खण्ड-278, अंक-3
गुरूवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1891
(7 अगस्त, 1969 ई0)

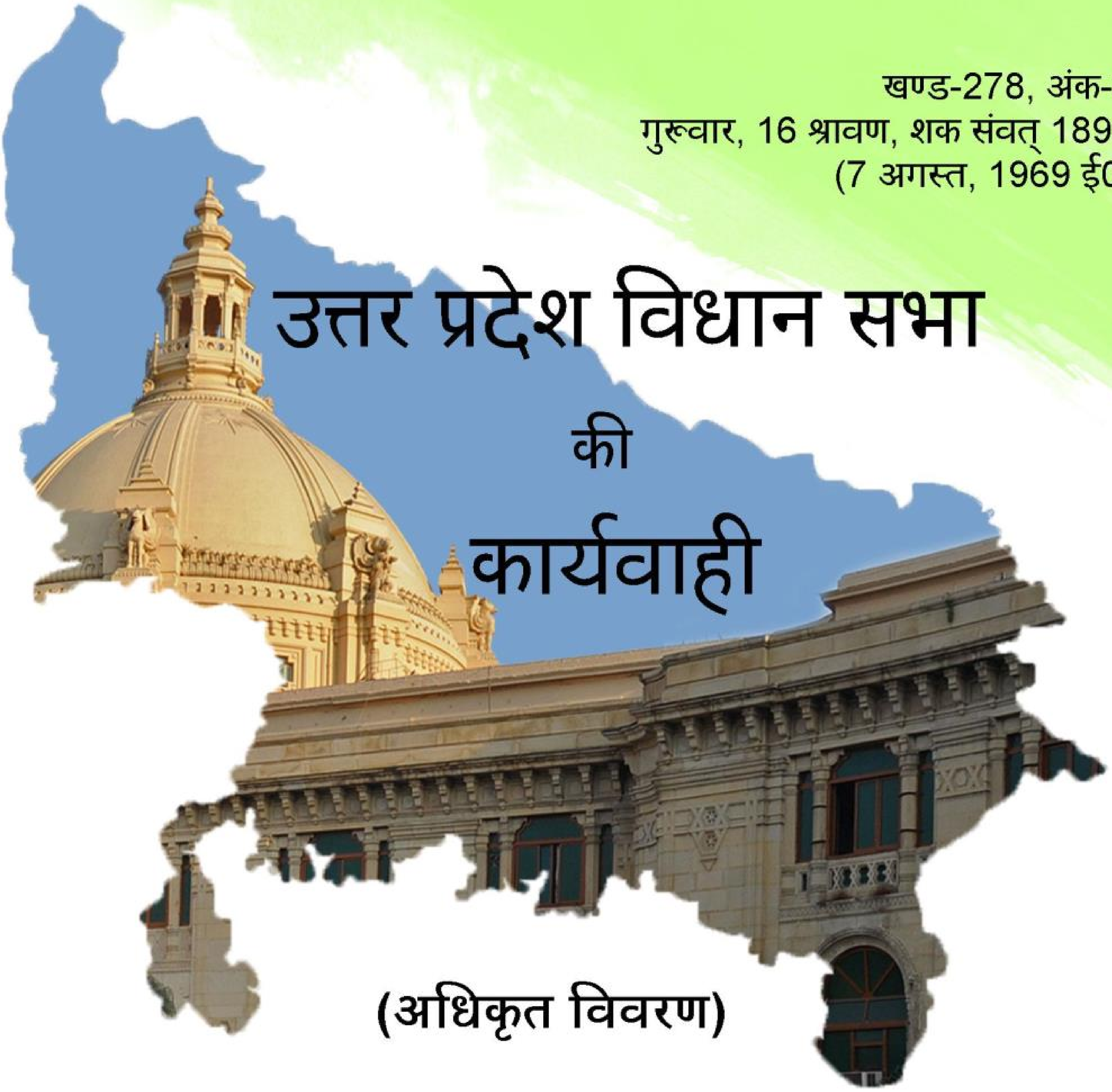

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 278 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ७ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में १०.३० बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४०२

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रसाद सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्र नाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)

केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीप नरायन बन, श्री
दीपनरायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नर्नसिंह, श्री
नैपाल, श्री

नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम नारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदनमोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
मही लाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपति देवी, श्रीमती
राज बहादुर चन्द, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री

राजितराम, पांडेय श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम गोपाल संड, श्री
राम चन्द्र आजाद, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
राम चरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन शुक्ल, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम विलास, श्री
राम शिरोमणि, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम स्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती

शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव पाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिव लाल, श्री
शिव वक्ष सिंह राठौर श्री,
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शोनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छुन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्त राम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज लाल, श्री
सेवा राम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा–फतेहबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा–पश्चिम)
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ७ अगस्त, १९६९

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

चीनी मिल, कर्मचारी यूनियन बाजपुर का शिकायती पत्र

*१—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि सरकारी चीनी मिल, बाजपुर में हजारों रुपये के गोलमाल होने की कोई सूचना चीनी मिल कर्मचारी यूनियन बाजपुर, जिला नैनीताल द्वारा सरकार को जून-जुलाई, १९६७ में मिली है ? यदि हां, तो इस यूनियन के मुख्य आरोप क्या हैं, और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कदम उठाया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी हां, एक पत्र दिनांक १ जुलाई, १९६७, चीनी मिल, कर्मचारी यूनियन, बाजपुर से प्राप्त हुआ था।

इसमें मुख्य आरोप यह था कि बाजपुर फैक्टरी के स्टोर में १,७२,००० रुपये की कीमत का सामान कम है जिसको दबाने की भरसक कोशिश की जा रही है। गन मेटल की स्टोर से कमी और उसके बाजपुर बाजार में बेचे जाने की और पुलिस द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने के बात भी इस पत्र में कही गयी थी। इसकी जांच ऊंचे स्तर पर पुलिस द्वारा की गई तथा विभागीय कार्यवाही भी की गयी। परन्तु पर्याप्त सबूत के अभाव में किसी को दंडित नहीं किया जा सका।

श्री इन्द्रलाल—

मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि इसकी जांच उच्च स्तर पर पुलिस द्वारा की गई और विभागीय कार्यवाही भी की गई। तो उद्योग मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पुलिस द्वारा किस सन् में और किस अधिकारी द्वारा जांच की गई और क्या उसकी रिपोर्ट सदन के सामने सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मान्यवर, मामला ऐसा था कि १८ जनवरी, १९६७ को एक साहब जगन्नाथ बाजार में गन मैटिल बेचते हुये पकड़े गये। एक कांस्टेबिल ने पकड़ा और थाने में ले गया। यह गन मैटिल ३,२०० रु० का था, यही कुछ पांच-छः किलो था। फिर वहां स्टोर वगैरह में देखा गया तो पता लगा कि ३,२०० रु० का गन मैटिल कम है। जो साहब गन मैटिल बेचते हुये पकड़े गये थे, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात चली तो पता लगा कि जो रिकवरी रिपोर्ट है उसमें पुलिस कांस्टेबिल ने यह नहीं लिखा कि कहां पकड़ा गया और किसके मकान पर पकड़ा गया, दो कमियां उसमें रह गई थीं। और जो गवाह थे उन्होंने कह दिया कि हम तो थे नहीं, हमारा नाम तो वैसे ही लिख दिया है। इसके बाद फैक्टरी वालों ने कलेक्टर से कहा। तो इसमें थोड़ा सा समय लग गया। जिसने यह रिपोर्ट लिखी थी वह कांस्टेबिल इस बीच मर गया। दूसरे को सजा देने का सवाल नहीं पैदा होता था। पूरा सबूत मिला नहीं। इसलिये कुछ नहीं हो सका।

श्री इन्द्रलाल—

इस बाजपुर स्टोर में एक लाख ७२ हजार का गोलमाल है, तो क्या इस भारी अनियमितता को दूर करने के लिये इन मिलों का राष्ट्रीयकरण सरकार करेगी और इस केस की पुनः नये तरीके से जांच करायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो कोआपरेटिव फैक्टरी अपने पास ही है। और यह घपला जो एक लाख ७३ हजार का आप बता रहे हैं ऐसी बात नहीं है। यह ३,२०० रु० का ही है। और यह फैक्टरी तो वन आफ दि बेस्ट फैक्टरी है, इसलिये राष्ट्रीयकरण की बात नहीं है, यह तो कोआपरेटिव की है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी वैभागिक जांच अभी जारी रखेंगे? क्योंकि आपने कहा कि गवाह नहीं मिले, तो जांच तो करा सकते हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

विभागीय जांच तो करायी गयी थी, चार्ज शीट लगी थी, मगर उसमें वह साबित नहीं हुये। चार्जशीट साबित नहीं हुई।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या गन मैटिल के अलावा और सामान भी चेक हुआ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

तमाम सामान चेक किया गया, वहां तो भगदड़ सी मच गई, उससे ही तो मालूम हुआ कि ३,२०० का गन मैटिल गायब है।

श्री इन्द्रलाल—

चूंकि सबूत के अभाव में यह मामला ऐसा था जिसमें कार्यवाही किसी के खिलाफ नहीं हो सकी, तो क्या माननीय मंत्री जी, चूंकि सबूत का अभाव था, इसकी नये तरीके से कोई जांच करायेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तभी हो सकता है जब कि माननीय इन्द्रलाल जो कांस्टेबिल मर गया है उसे वापस बुला दें।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस फैक्टरी के मैनेजर कौन हैं और क्या यह सही है कि जो व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है उसको वहां का इंजीनियर बना दिया गया है जिसकी वजह से यह घपला हुआ है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जनरल मैनेजर तो श्री पृथ्वी सिंह हैं और वे तो उन लोगों में से हैं जो हमारे यहां सबसे अच्छे माने जाते हैं। अगर यह फैक्टरी उनको छोड़ दे तो दूसरे फैक्टरी वाले उनको तुरन्त अपने यहां ले लेंगे। इन्हीं के कारण यह फैक्टरी इतना प्राफिट दे रही है। आपका खयाल गलत मालूम होता है।

अविवाहित व्यक्तियों की नसबन्दी की जांच

*२—श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त, १९६८ से ३१ मार्च, १९७० तक जिन लोगों की नसबन्दी की गई है, उनमें से कोई अविवाहित भी हैं? यदि हां, तो कितने?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

इस प्रश्न के प्राप्त होने पर समस्त जिलों से सूचना मांगी गई । अभी तक ३७ जिलों से सूचना प्राप्त हुई है, जिनमें से ३१ जिलों ने लिखा है कि उनके यहां किसी भी अविवाहित व्यक्ति की नसबन्दी नहीं हुई है । केवल ६ जिलों से कुल ८ अविवाहित व्यक्तियों के की नसबन्दी की सूचना मिली है। चूंकि अविवाहित व्यक्तियों की नसबन्दी शासन की नीति के विपरीत है, इसलिये इन आठ मामलों की जांच उच्च स्तर पर कराई जा रही है ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से बतला दूं कि यह जुलाई की रिपोर्ट है । लेटेस्ट जो रिपोर्ट मिली है ७ अगस्त को उसमें यह है कि ४३ जिलों से सूचना प्राप्त हो गई है जिससे पता चलता है कि सात जिलों में केवल ९ अविवाहितों की नसबन्दी हुई है । ३६ जिलों में ऐसा कोई केस नहीं हुआ है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

श्रीमन्, इस प्रश्न को भेजे हुये लगभग तीन महीने होने को आये हैं और अपने प्रशासन की हालत यह है कि तीन महीने के अन्दर पूरा उत्तर नहीं आ पाया है । सात जिले जो ऐसे बचे हैं तो क्या उनमें ऐसी संख्या ज्यादा है कि उन्होंने उत्तर नहीं भेजा । मेरे प्रश्न का उत्तर फिर रक्खा जाय क्योंकि इसके अन्दर पूरे जिलों का उत्तर नहीं है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

ऐसी बात नहीं है । असल में अविवाहित व्यक्तियों की नसबन्दी कानून के खिलाफ है । ऐसी हालत में जो जनपद का रिकार्ड है उनमें अविवाहित व्यक्तियों की नसबन्दी का उल्लेख नहीं है । शिकायतों के जरिये से जब पता लग जाता है तो जितनी रिपोर्ट मिल सकती हैं उत्तर उतना दे दिया गया । छः सात जिलों से रिपोर्ट आने वाली है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

श्रीमन्, इस फार्म के अन्दर एक कालम बलीअर है । वह व्यक्ति विवाहित है या अविवाहित, इसका पता तो उससे भी चल सकता है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और नसबन्दी कर दी गई है ? तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह मामला गंभीर है, नियम के विरुद्ध है कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी नसबन्दी कर दी गई ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, यह सही है कि यह बिलकुल नियम के विपरीत है कि जिसकी शादी न हुई हो उसकी नसबन्दी कर दी जाय और यह भी सही है कि फार्म में एक कालम होता है जिसमें, यह विवाहित या अविवाहित है, उसकी एन्ट्री होती है । उत्तर में कहा गया है कि यह केस गम्भीर है । इसकी जांच कराई जायेगी और आदेश होगा तो सदन के पटल पर भी जांच रिपोर्ट रक्खी जायेगी ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, जो फार्म भरे जाते हैं वे किन व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं ? और जिन व्यक्तियों ने नियम विरुद्ध ऐसी नसबन्दी कर दी है उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जो फार्म भरा जाता है वह कालम उस व्यक्ति द्वारा भी भरा जाता है जो प्रेरक होता है और जिस सिविल सर्जन या डाक्टर के सम्मुख वह रक्खा जाता है उस कालम को वह भी भरता है। उस फार्म में कई कालम हैं और वे अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं जिन ९ अविवाहितों की नसबन्दी कर दी गई है उनकी उम्र क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, इसकी सूचना नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ९ केसेज आपकी निगाह में जो आ गये हैं आप उन पर कार्यवाही भी कर रहे हैं, और क्या आपने उन तमाम सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त सस्पेंड कर दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, अभी तो मैंने उत्तर दिया कि कार्यवाही की जा रही है। सस्पेन्शन तो नहीं किया। जब पूरी डिटेल मालूम हो जायेगी कि कौन आदमी ले गया तब कार्यवाही की जायेगी।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)---

जिन ७ जिलों की रिपोर्ट आयी है क्या उनमें लखनऊ जिला भी शामिल है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

जो ३७ जिलों की रिपोर्ट आयी थी उसमें लखनऊ का नाम नहीं है लेकिन अभी अभी जो ६ जिलों की रिपोर्ट आयी है, उनम नाम न दिए होने के कारण निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि लखनऊ भी इनमें शामिल है।

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)---

क्या इसमें बलिया जिले के गांव भी शामिल हैं जहां पर २० वर्ष से कम आयु वाले बालकों की नसबन्दी हुयी है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

इसमें बलिया का नाम नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य कोई सूचना देंगे तो उसकी जांच कराकर विचार किया जायगा।

जिला गन्ना अधिकारी, शाहजहांपुर को बोगस पर्चियों पर गन्ना सप्लाई करने की शिकायत

*३---श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाजहांपुर)---

क्या यह सही है कि जिला गन्ना अधिकारी, शाहजहांपुर को यह शिकायतें अप्रैल, १९६९ में प्राप्त हुयी हैं कि बोगस पर्चियों पर गन्ना सप्लाई किया गया और उनका भुगतान किया गया ? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जिला गन्ना अधिकारी, शाहजहांपुर को इस सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन सम्परीक्षक, शाहजहांपुर से माह अप्रैल, १९६९ में प्राप्त हुये थे।

इस विषय में आवश्यक जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री सुरेन्द्रविक्रम---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बोगस पर्चियों की शिकायत अपील में आयी थीं, वे कितने क्विन्टल गन्ने की थीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

क्विन्टल के बारे में तो कोई सूचना नहीं है लेकिन वे ६ पर्चियां थीं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा दुबारा कैसे पेमेन्ट हो गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यही तो शिकायत थी। जांच करने पर गलती पायी गयी। सुपरवाइजर से स्पष्टीकरण मांगा गया और जब यह पता चला कि कुछ गड़बड़ी है तो हमारे डी० सी० ओ० ने गन्ना आयुक्त, जो उनके नियुक्ति अधिकारी हैं, से प्रार्थना की कि वे इस मामले की जांच के लिए एक इन्क्वायरिंग आफिसर एप्वाइन्ट करें। वह नियुक्त हो गया है और डिटेल में इन्क्वायरी करके जो रिपोर्ट देगा उसके अनुसार दोषी व्यक्ति को सजा दी जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या किसी व्यक्ति को या कर्मचारी को निलंबित किया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मुअत्तल तो अभी नहीं किया गया क्योंकि प्रिमिलिनरी इन्क्वायरी के उपरान्त डी० सी० ओ० द्वारा थोड़ी गलती का पता चला। उसका एक्सप्लेनेशन लिया। अब पता चला कि इसमें उनका (सुपरवाइजर) कुछ कसूर है लेकिन डिटेल्ड इन्क्वायरी के लिए गन्ना आयुक्त एक इन्क्वायरिंग अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। अगर उनकी रिपोर्ट में उसे दोषी पाया गया तो बर्खास्त भी करेंगे।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

चूंकि हर फैक्ट्री में बोगस पर्चियों की शिकायत होती है तो क्या माननीय मंत्री जी कानून में कोई परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जिससे बोगस पर्चियों का बनाना बन्द हो सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कोई सुझाव आप ही हमको दे दें कि जिससे बोगस पर्चियों का बनना बन्द हो सके तो सरकार उस पर विचार कर लेगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

सरकार को शिकायत किस तारीख को मिली और पर्चियों का भुगतान किस तारीख को हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

२४-४-१९६९ को शिकायत भेजी गयी और पर्चियों का भुगतान पहले ही हो चुका था।

श्री चेतराम गंगवार—

यह भुगतान कितने किया और किसको किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पर्चियां यूनियन वाले देते हैं। जब एक दफा पर्चियों का पेमेन्ट हो गया तो उन पर से रोशनाई मिटा कर दुबारा पेमेन्ट ले लिया।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं जानना चाहता था कि किस कैशियर ने पेमेन्ट किया था और किन व्यक्तियों ने पेमेन्ट लिया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नामों की लिस्ट मेरे पास है। माननीय सदस्य मेरे कमरे में आ जायें तो दिखला दूंगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

२४-४-१९६९ के बाद किसी पर्ची का क्या भुगतान हुआ है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमारे आडिटर्स ने रिपोर्ट की कि गलत पर्चियों का भुगतान हो गया और उस रिपोर्ट के बाद जांच शुरू हो गयी।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि कब तक जांच की रिपोर्ट आ जायगी ताकि उस पर आवश्यक कार्यवाही हो सके?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जब यह शिकायत पहुंची तो तुरन्त जांच करना शुरू कर दिया। जांच का एक प्रोसेस होता है। जिन काश्तकारों की पर्चियां थीं उनको बुलवाया गया, उनसे पूछा गया। फिर सुपरवाइजर से पूछा गया। उसमें समय लगा। फिर एप्वाइंटिंग अथारिटी से कहा जायगा जो रिपोर्ट देंगे और इस सब जांच के बाद रिपोर्ट होगी उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री छांगुर—

मैं यह जानना चाहता था स्पेसिफिकली कि कब तक रिपोर्ट आ जायगी।

श्री अध्यक्ष—

वही तो उन्होंने बतलाया है।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

बोगस पर्चियों का मामला दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार एक कमेटी बनाने की कृपा करेगी जो पर्चों बांटने व भुनाने की प्रक्रिया पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे ताकि फर्जी पर्चों का काम न हो सके?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी आवश्यकता इसलिये नहीं है कि ये सब डेमोक्रेटिक बाडीज हैं। आपस के सब लोग हैं। केन डेवलपमेन्ट कौंसिल इस काम की करती है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इसी बात की शिकायत दो साल पहले हुई थी जिसमें ८० हजार रुपये का लोन फर्जी नामों पर दे दिया गया था। उसमें इन्क्वायरी हुई। सुपरवाइजर और सी० डी० आई० सस्पेन्ड हुए लेकिन अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई और केस रुक गया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसके लिये नोटिस की जरूरत है क्योंकि इसका संबंधित प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद

*४—श्री देवकीनन्दन विमल—

क्या सरकार बतायेगी कि गत वित्तीय पांच वर्षों में अंग्रेजी और हिन्दी के कितने-कितने टाइपराइटर खरीदे गये और सरकारी कार्य का माध्यम हिन्दी घोषित होने पर भी अंग्रेजी टाइपराइटर खरीदने का कारण क्या है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गत वित्तीय पांच वर्षों में अंग्रेजी के ८५७ तथा हिन्दी के ७३६९ टाइपराइटर खरीदे गये। इन अंग्रेजी टाइपराइटरों को खरीद न्याय सम्बन्धी, वित्तीय, टेक्निकल तथा अन्य ऐसे मामलों को निपटाने के लिये की गयी जिनमें अंग्रेजी में ही काम करना आवश्यक है।

श्री देवकीनन्दन विभव—

मंत्री जी ने यह बतलाया है कि ८५७ अंग्रेजी के टाइपराइटर भी खरीदे गये। हिन्दी में काम किये जाने की घोषणा के बाद कुछ विभागों में अंग्रेजी के टाइपराइटर भी खाली हुए होंगे तो क्या उनका प्रयोग इन विभागों में आवश्यक कार्यों के लिये किया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

उनमें से बहुत से पुराने होंगे इसलिये उनको बदलना पड़ा होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हिन्दी के टाइपराइटरों में भी अंक हैं। उनके अंकों का उपयोग हो सकता है। फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि ७ हजार अंग्रेजी के टाइपराइटर खरीदे जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

७ हजार तो हिन्दी के हैं अंग्रेजी के तो बहुत थोड़े से हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

लेकिन वह क्यों खरीदे गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सरकार को भारतवर्ष में भी ऐसे प्रदेशों से लिखा पढ़ी करनी पड़ती है जिन्होंने अभी हिन्दी में अपना काम चालू नहीं किया है और केन्द्रीय सरकार ने जो अधिनियम, १९६३ और १९६७ में बनाया है उसमें यह भी कह दिया है कि जब हिन्दी में कोई चीज केन्द्र में या उन प्रदेशों में भेजें जहां हिन्दी का अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसके साथ साथ अंग्रेजी का तर्जुमा कर के भी भेजें। तो उस अधिनियम का पालन करते हुये, प्रदेशीय सरकार को ऐसा करना पड़ता है कि जो हिन्दी में लिखते हैं उसका तर्जुमा अंग्रेजी में भी भेजना पड़ता है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

पिछले पांच वर्षों में हिन्दी के लिए कितने टाइपराइटर आये और क्या यह सही है कि लगभग ५००० टाइपराइटर शिक्षा निदेशालय में बेकार पड़े हुये हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास जो सूचना है वह शिक्षा मंत्रालय की नहीं है। पूरे प्रदेश में ५ वर्षों में ७,३६९ टाइराइटर हिन्दी के खरीदे गये।

श्री नरेन्द्रसिंह—

सब से ज्यादा अंग्रेजी के टाइपराइटर किस विभाग के लिये खरीदे गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं सभी को बता देता हूं। सचिवालय के विभागों में अंग्रेजी के १२३ और हिन्दी के १,३७८ टाइपराइटर खरीदे गये। डिवीजन के आयुक्तों के यहां अंग्रेजी के ४ और हिन्दी के ३९, जिला मैजिस्ट्रेटों के यहां अंग्रेजी के २० और हिन्दी के १,०१०, लखनऊ के बाहर स्थित विभागाध्यक्षों के यहां ११२ अंग्रेजी के और १,०६४ हिन्दी के, न्यायाधीशों के यहां ५१ अंग्रेजी

के और १५ हिन्दी के, लखनऊ स्थित विभागाध्यक्षों के यहां ५४७ अंग्रेजी के और ३८६३ हिन्दी के टाइपराइटर खरीदे गये। इस तरह से जो योग है वह अंग्रेजी टाइपराइटर्स का ८५७ और हिन्दी टाइपराइटर्स का ७,३६९ है।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

भविष्य के लिये हिन्दी को प्राथमिकता देने के लिये क्या अंग्रेजी के टाइपराइटर नहीं खरीदे जांयगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ऐसे आदेश जारी हो गये हैं। दिसम्बर, १९६७ के बाद कोई खरीदा ही नहीं गया।

लीसा का वितरण

*५—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) श्री वीरेन्द्र वर्मा तथा श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६८–६९ में उत्तराखण्ड के रिजर्व तथा वन पंचायतों का लीसा आई० टी० आर०, बरेली तथा सहकारी समितियों को कितना और प्रति क्विंटल किस भाव पर दिया गया है तथा बचा हुआ शेष लीसा जो खुले आम नीलाम हुआ उसका मूल्य सरकार को प्रति क्विंटल क्या मिला ?

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

१९६८–६९ में उत्तराखण्ड के रिजर्व का ४७,६५६ क्विन्टल लीसा आई० टी० आर० बरेली तथा ६,६७० क्विन्टल लीसा सहकारी समितियों को रु० ८५–७५ पैसे प्रति क्विन्टल भाव से दिया गया। इसके अतिरिक्त आई० टी० आर० ३,००,००० रुपये के ऊपर के मुनाफ़े का ५० प्रतिशत भाग वन विभाग को देगी और सम्बन्धित जिला परिषदों को रु० १–३४ पैसे प्रति क्विन्टल की दर से देगी। सहकारी समितियों के लिए लीसे की वही दर है जो आई० टी० आर० के लिए है। वन पंचायतों का कोई लीसा आई०टी०आर० बरेली तथा सहकारी समितियों को नहीं दिया गया। बचा हुआ शेष लीसा जो खुले आम नीलाम हुआ उससे सरकार को प्रति क्विन्टल रु० १४८.११ पैसे और रु० १४५.४१ पैसे औसत मूल्य क्रमशः कुमाऊं व टिहरी वृतों में प्राप्त हुआ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि ५४, ३२६ क्विन्टल लीसा आई० टी० आर० बरेली और सहकरी समितियों को दिया गया, इसके अलावा कुल कितने और लीसे की निकासी इन दोनों डिवीजनों में होती है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कुमायूं वृत्त में २७,१४२ क्विन्टल लीसा बेचा गया और टिहरी में ५,६६७ क्विंटल बेचा गया। कुल ३२,८०९ क्विंटल बेचा गया।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

क्या वन मन्त्री जी यह बतायेंगे कि आई० टी० आर० को इतना सस्ता लीसा क्यों दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

पहले आई० टी० आर० से २० साल का कान्ट्रेक्ट था, जो १९६१–६२ में खत्म हो गया। उस वक्त १५ रुपये के करीब लीसा के दाम उनको देना पड़ते थे। १९६२–६३ में इसका फ़िर पुनरावलोकन किया गया और ३३ रुपया रखा गया और आई० टी० आर० कंपनी से इस रकम

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

को देने के लिये कहा गया। इसके साथ ही साथ ८ आना फ़ी मन प्रत्येक जिला परिषद् को, जिसके यहां से वह लीसा आया, देने के लिये कहा गया। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि ३ लाख से जो ज्यादा मुनाफ़ा हो उसमें से ५० प्रतिशत वन विभाग को मिलेगा। यह सब इसलिये किया गया कि हम इस टरपेंटाइन उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहते थे तथा यह भी चाहते थे कि उससे जो दूसरे डिराइवेटिव उद्योग धंधे पैदा होंगे, उनको भी हम पैदा करना चाहते थे। इस प्रकार दूसरे ढंग से हमें सेल्स टैक्स आदि के रूप में और अधिक आमदनी बढ़ जायगी। जब कभी नये उद्योग धंधों को स्थापित किया जाता है तो उनको कम कीमत पर रा मेटीरियल आदि देकर प्रोत्साहित किया जाता है। इसी से उद्योग पनपते हैं और इसी से उन पनपे हुए उद्योग से सेल्स टैक्स आदि के रूप में प्रदेश की आमदनी बढ़ जाती है।

श्री रामसिंह खन्ना—

आई० टी० आर० कंपनी को यह रियायत क्यों दी जाती है और यह जो २८ लाख रुपये का नुकसान गवर्नमेंट को होता है, उसके एवज में ३ लाख रुपया से अधिक मुनाफ़ा होने पर आई० टी० आर० से सरकार को कितना रुपया मिलता है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आई० टी० आर० कम्पनी का लाभांश अधिक नहीं है। उसका ब्योरा सन्वार इस प्रकार है—१९६२–६३ में ३.४३ प्रति क्विंटल, १९६३–६४ में .१६, १९६४–६५ में .९६, १९६५–६६ में १.१२, १९६६–६७ में शून्य, १९६७–६८ में .६८ प्रति क्विंटल हुआ। कुल धनराशि १,००,६६९ रुपया है।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि आई० टी० आर० बरेली तथा सहकारी समितियां खुले बाजार में लीसा बेचती हैं और मुनाफ़ा कमाती हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, अगर सारा लीसा खुले बाजार में बिकेगा तो दाम बहुत गिर जायंगे। खुले बाजार में लीसा बहुत कम आता है इसीलिये नीलाम में दाम ज्यादा मिलते हैं। एक कारण यह भी रहा कि रोजिन की कीमत ज्यादा हो गई। इसलिये हिमांचल प्रदेश ने एक लाख मन लीसा अपने फ़ैक्टरी के लिये रख लिया और दूसरे यहां के उद्योगों में इसकी मांग बढ़ गई। इसलिये इधर रोजिन के दाम बढ़ गये। लेकिन भविष्य में आशा है कि इसके दाम फिर गिर जायंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला है कि ५४,३२६ क्विंटल लीसा आई० टी० आर० तथा सहकारी समितियों को देने के बाद कितना लीसा नीलाम के द्वारा बेचा गया क्योंकि मंत्री जी ने कहा है कि शेष लीसा नीलाम द्वारा १४५ तथा १४८ रुपया प्रति क्विंटल बेचा गया?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैंने बतलाया था कि कुमायूं वृत्त में २७,१४२ क्विंटल तथा टेहरी गढ़वाल में ५,६६७ क्विंटल बेचा गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है और यह सही है कि इस रेट से लीसा देने से वन विभाग को प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये की हानि होती है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं यह स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये की हानि होती है। जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि खुले बाजार में लीसा बहुत कम आता है और छोटे-छोटे यूनिट होते हैं इसलिये वे अपनी मांग के आधार पर नीलाम में भाव बढ़ा देते हैं।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने रुपये की हानि होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्रीमन्, लीसा के दाम जो बहुत ज्यादा बढ़े हैं वे पिछले वर्ष ही बढ़े हैं। पहले ८५ रुपये १२ आने क्विंटल लिये जाते थे। इस वर्ष ९४ रुपये क्विंटल कर दिये गये हैं। इस वर्ष खुले बाजार में बिकने के कारण इतने दाम बढ़े और भी बातें हुई हैं जिनकी चर्चा मंत्री जी ने की है। वास्तव में जो घाटे की बात आप सोचते हैं वह घाटा अन्य तरह से पूरा हो जाता है फ़ैक्ट्री से जो माल तैयार होता है उस पर सरकार को सेल्स टैक्स मिलता है। हम चाहते हैं कि टरपेनटाइन फ़ैक्टरी और अन्य उद्योग जो इससे संबंधित हैं, वे चलें। हमने जापान से भी कोलोबरेशन किया है और उसका एग्रीमेंट होने वाला है। ऐसी चीजें जो हमें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं जिनके लिये फ़ारिन एक्सचेन्ज देना होता है। इसको बचाने के लिये हम इस फ़ैक्टरी के अन्तर्गत यह चीजें पैदा करना चाहते हैं। और इस फैक्टरी की आमदनी और प्रदेश की आमदनी और देश की आमदनी को फ़ारेन एक्सचेन्ज के रूप में बढ़ाना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय मंत्री ने यह कहा कि जिला परिषदों को एक रुपया ३४ पैसे प्रति क्विंटल की दर से दिया गया है, तो क्विंटल की दर से लीसा दिया गया या मुनाफ़ा दिया गया, और अगर लीसा दिया गया तो कितना और मुनाफ़ा दिया गया तो कितना ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जितना जिस जिले से लीसा आया है, उसके हिसाब से वहां की जिला परिषद् को १ रुपया ८४ पैसे मन पहले था, इस वर्ष एक रुपया मन कर दिया है...

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

आप कह रहे हैं कि एक रुपया मन कर दिया गया है। उत्तर है एक रुपया ३४ पैसे क्विंटल। दोनों में कौन सही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आठ आने मन पहले था, जिसका आता है एक रुपया ३४ पैसे क्विंटल। अब हो गया है एक रुपये, तब आयेगा २ रुपये ६८ पैसे क्विंटल।

मध्यावधि चुनाव संबंधी हत्यायें

*६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मध्यावधि चुनाव में प्रदेश के किन-किन जिलों में गोलीकांड हुये और कुल कितने व्यक्तियों की जिलेवार हत्यायें हुईं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

मध्यावधि चुनाव में जिलेवार हुई हत्याओं के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस उत्तर के खिलाफ भारी आपत्ति है। आपकी आज्ञा से यह उत्तर पहले दिन के लिए मुकर्रर हुआ था। माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा था कि इन आंकड़ों के एकत्र करने में कुछ समय लगेगा, तो आज यह उत्तर न देकर समय मांग सकते थे और कह सकते थे कि अभी सचना एकत्र नहीं हुई। मुझे इस प्रकार के उत्तर पर बड़ी भारी आपत्ति है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैंने टेंटेटिव ऐन्सर दे दिया है। जब पूरा ब्यौरा आ जायगा तब उत्तर दिया जायगा। इसमें यह न समझा जाय कि प्रश्न का उत्तर पूरी मात्रा में नहीं दिया जायगा। चूंकि आज के लिए रखा गया था, मैंने जरूर कहा था कि मुझे आशंका है आज के दिन सूचना आ सकेगी, इसलिए टेंटेटिव ऐन्सर दे दिया है। पूरा ब्यौरा जब आ जायगा तब दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

१४ रोज में फिर से रिपीट किया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार मानते हुए आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि नामिनेशन के दिन से चुनाव फल के डिक्लेरेशन के दिन तक कितने कत्ल हुए, कितने मध्यावधि चुनाव से सम्बन्धित हैं, इसकी सूचना एकत्र करवा कर सदन को देने की कृपा करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैंने तो स्वीकार किया है और आदेश भी इसी प्रकार के दिये हैं।

[७ अगस्त, १९६९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

रामनगर वन खंड में शीशम की लकड़ी के कटान की जांच का आश्वासन

*१—श्री इन्द्र लाल—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि क्या यह सही है कि वैस्टर्न सर्किल के रामनगर वन खंड रेन्ज, फतेहपुर में फारेस्ट गार्ड लाभाचौड़ की चौकी पर २९ अप्रैल, १९६९ को गेमवार्डन डिपूटी रेन्जर पूर्वी, रामनगर इन्चार्ज ने हजारों रुपये का नाजायज शीशम कटा हुआ पकड़ा और इसकी सूचना इसी तारीख को रेंज आफिसर, फतेहपुर तथा एस० डी० ओ० (वन), फतेहपुर सेक्शन को दी? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कायवाही की गयी? यह शीशम किस-किस नपत का कुल कितना था और इस मामले की जांच किस तारीख को किस अधिकारी द्वारा की गई?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वेस्टर्न सर्किल के रामनगर वन खण्ड के रेन्ज फतेहपुर में फारेस्ट गार्ड लामा चौड़ की चौकी पर ३० अप्रैल, १९६६ को (न कि २९ अप्रैल, ६६ को) सहायक वन्य जन्तु प्रतिपालक, पश्चिमी खण्ड ने शीशम के १६ लट्ठे पड़े हुए देखे और इसकी सूचना इसी तारीख को रेंज आफिसर, फतेहपुर तथा उप प्रभागीय अधिकारी, फतहपुर को दी। उपरोक्त शिकायत की जांच दिनांक १ मई, ६६ को रेंज आफिसर फतेहपुर तथा उप-प्रभागीय अधिकारी फतेहपुर ने व्यक्तिगत रूप से की। उपरोक्त १६ लट्ठों की नपत निम्न प्रकार है :—

			फीट इंच	फीट इंच
(१)	..	..	.. १२'–०"	४'–५"
(२)	..	..	.. ७'–०"	२'–४"
(३)	..	..	.. ९'–६"	४'–०"

				फीट इंच	फीट इंच
(४)	..	..	..	७'–६"	३'–०"
(५)	..	..	..	६'–०"	६'–११"
(६)	..	..	..	१३'–४"	३'–६"
(७)	..	..	..	६'–९"	४'–५"
(८)	..	..	..	८'–०"	२'–१०"
(९)	..	..	..	८'–६"	३'–९"
(१०)	..	..	..	८'–५"	३'–०"
(११)	..	..	..	६'–१०"	५'–२"
(१२)	..	..	..	९'–१०"	५'–३"
(१३)	..	..	..	१०'–१"	५'–०"
(१४)	..	..	..	६'–२"	३'–६"
(१५)	..	..	..	७'–४"	६'–६"
(१६)	..	..	..	६'–०"	२'–४"

यह लकड़ी वास्तव में नाजायज कटी हुई नहीं थी बल्कि बोड़रा गांव तथा थारला गांव के हकूक की थी जो कि दिनांक ३१ मार्च, ६६ को जंगल से मियाद समाप्त हो जाने के कारण बाहर निकाल कर उपरोक्त चौकी पर जमा कर दी गई थी। जांच के दौरान लट्ठों की संख्या १८ पाई गई। दो लट्ठों की नपत नहीं ली गई क्योंकि यह उप-प्रभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया। जांच में यह मालूम हुआ कि यह लकड़ी हकूक की है अतः उप-प्रभागीय अधिकारी द्वारा लकड़ी ग्राम प्रधान के पक्ष में छोड़ दी गई।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर जब दें, तो इतने लम्बे चौड़े उत्तर देने की जरूरत नहीं है, इसमें निम्नलिखित कह कर छोड़ दिया करें, माननीय सदस्य के पास तो वह पहुंच ही जाता है और शेष सदस्यों की रुचि इतने डिटेल में जाने की नहीं होती है।

श्री इन्द्रलाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में उल्लिखित ग्राम लामाबौड़ से २५–३० मील की दूरी पर है और जहां से यह लट्ठे लाये गये वहां से एक रेंज आफिस और एक रेंज रास्ते में पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि इसे इतनी दूर से लाने में कोई उद्देश्य अवश्य ही निहित है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि तराई भावर की लकड़ी की समस्या को ध्यान में रख कर जो उनको नहीं दे पा रहे हैं, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में उनको लकड़ी कैसे दी गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसकी जांच करा ली जाएगी।

श्री इन्द्रलाल—

मेरे इस प्रश्न को सूचना मान कर कि इसमें वहां के अधिकारियों की भी मिली भगत है, क्या मंत्री जी इस मामले की मैजिस्ट्रीयल जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक मिली भगत का प्रश्न है, यह तो जांच के बाद ही कहा जा सकता है।

खामियां ब्लाक की वन भूमि पर कब्जा

*२—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक ५ जुलाई, १९६७ के तारांकित प्रश्न संख्या २० व २१ के उत्तर के संदर्भ में तथा वन मंत्री के कार्यालय के पत्र सं० २०५९, वन मंत्री दिनांक २९ जून, १९६७ द्वारा प्रश्नकर्ता को जो यह सूचना दी गई थी कि श्री गोसाईं राम के प्रार्थना-पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, के संदर्भ में क्या वन मंत्री बतायेंगे कि संबंधित मामले में सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मामले की गम्भीरता को देखते हुये अब जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई जा रही है।

श्री इन्द्रलाल—

माननीय मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मामला सी० आई० डी० को दे दिया है, लेकिन इसमें सन् ६७ से अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसमें कार्यवाही तो लगातार हो रही थी, लेकिन जब इस जांच से सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकला तो मामला सी० आई० डी० को दिया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सी० आई० डी० को जांच किस दिन दी गई और उसमें तब से अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इस बारे में निर्णय तो अभी पिछले महीने लिया गया है, अभी इसमें कार्यवाही शुरू हुई है।

*३—श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त हो गया।]

बदायूं जिले में उद्योग लगाने की जानकारी

*४—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेशीय सरकार बदायूं जिले में कोई उद्योग लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कौन-सा उद्योग ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

मनीराम क्षेत्र, जिला गोरखपुर में बम फटने की घटना

*५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या गृह मंत्री को सूचना है कि विधान सभा क्षेत्र मनीराम, जिला गोरखपुर में २, ३, ४ व ५ मार्च, १९६९ को बम फटने, कत्ल एवं डकैतियों की कई वारदातें घटित हुई हैं और उन सभी की रिपोर्ट थाना चिलुवाताल में दर्ज है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

विधान सभा क्षेत्र मनीराम, जिला गोरखपुर में २ मार्च, १९६९ को बम फटने, कत्ल अथवा डकैती की कोई घटना घटित होने की सूचना शासन को नहीं मिली है।

३/४ मार्च, १९६९ की रात को पड़ी दो डकैतियों तथा ५ मार्च, ६९ को बम फटने की एक घटना की सूचना थाना चिलवाताल, जिला गोरखपुर पर प्राप्त हुई।

इनके अतिरिक्त ४ मार्च, ६९ को धारा १४७/१४८/१४९/३४२/३७९/२२४/३०७/३६४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक घटना की सूचना प्राप्त हुई जो मामला बाद में धारा ३०२ भा० द० वि० (कत्ल) में परिवर्तित हुआ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ३, ४ और ५ तारीख को दो डकैती और बम फटने की सूचना प्राप्त हुई उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई? कितने आदमी गिरफ्तार हुये, नामजद रिपोर्ट में कितने थे और उस मकान वाले आदमियों में कितने जख्मी हुये?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, यह जो पहली डकैती थी इसमें श्रीमन् यह पाया गया कि गलत है इसलिये इसको खारिज करने की रिपोर्ट लगा दी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कौन सी ३ और ४ वाली?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी हां। श्रीमन् यह जो दूसरी डकैती थी जिसमें ३०-३५ आदमी आये थे यह घटना हुई नहीं पायी गई और श्रीमन्, यह ऐबटमेंट कर दी गई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ४ और ५ तारीख को जो बम फटने की घटना हुई उसकी रिपोर्ट पर क्या भली भांति जांच की गई कि बम कैसे और किन कारणों से फटा और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री कृष्णानन्द राय—

बम फटने की घटना पांच तारीख को हुई थी। इसमें जो रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें लिखा है कि ग्राम मीरपुर में दो पार्टियां हैं जिसमें से एक के नेता श्री सीताराम सिंह, भारतीय क्रान्ति दल के व दूसरी के नेता श्री श्यामकरण सिंह हिन्दू महासभा के हैं। दिनांक ५ मार्च, ६९ से दो तीन दिन पहले श्री सीताराम सिंह की पार्टी के रामदास सिंह उर्फ नाटे आदि ४ व्यक्तियों को सांवर अहीर व श्याम करण सिंह आदि ने लाठी तथा बन्दूक से मारा था। इस की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई। इस मारपीट से बराबर श्याम करन सिंह की पार्टी श्री सीताराम सिंह की पार्टी को मारने की ताक में रहती थी। दिनांक ५ मार्च, ६९ की सुबह करीब ७ बजे जब प्रार्थी व उस गांव के बुनियादी सिंह व छोटू के साथ अपने खेत का कटिया कराने जा रहे थे तब श्याम करन सिंह वीरेन्द्र सिंह व अन्य गोल बना कर मार मार करते प्रार्थियों की तरफ दौड़े। प्रार्थी साथियों सहित शोर करते गांव की तरफ भागा। इस पर गांव के अन्य लोग पहुंच गये। रामपति यादव ने प्रार्थियों पर पास आकर हथगोला (बम) फेंका। बम से बुनियादी सिंह, छोटू तथा प्रार्थी जुगुल सिंह तीन व्यक्तियों को चोटें लगीं। अभियुक्त गांव के लोगों को देख कर भाग गये। चोटों की अस्पताल में दवा कराने के बाद रिपोर्ट लिखाई। इसमें २२ अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज शीट तैयार कर ली गई है जो अदालत में भेजने के स्टेज पर है।

श्री दीपनारायण मणि—

क्या मुख्य मंत्री जी बतने की कृपा करेंगे कि जब बम फेंकने और बनाने वाले कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने बी० के० डी० वालों को हताहत करने के लिये यह किया?

श्री कृष्णानन्द राय—

यह तो एफ० आई० आर० में लिखा हुआ है कि इस गांव में दो पार्टियां थीं जिनमें एक के नेता श्री सीताराम सिंह, बी० के० डी० और दूसरी के नेता श्याम करण सिंह हिन्दू महासभा के हैं। दोनों में चुनाव को ले कर संघर्ष था यह एफ० आई० आर० में दिया हुआ है।

श्री सजीवन लाल --

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस गांव में दो दल थे तो ऐसी हालत में दफा १०७/११७ की कार्यवाही पहले क्यों नहीं की गई।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन् सतर्कता की आवश्यक कार्यवाही की गई थी। चूंकि एक विधान सभा क्षेत्र में सैकड़ों गांव होते हैं इस तरह की घटनायें होना स्वाभाविक है और उनको रोकना भी कठिन है।

श्री अवेद्य नाथ (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मणिराम क्षेत्र में श्री सीताराम सिंह अभियुक्त होने के पहले ह्रास गांव को लूटने वाली डकैती में मुलजिम थे और वह उस समय जमानत पर थे?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, इसकी सूचना पत्रावली में नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दो डकैतियां हुई उनकी जांच किस अधिकारी अथवा कर्मचारी के जरिये की गई। वहां के एस० ओ० के जरिये हुई या डी एस० पी० के जरिये हुई।

श्री कृष्णानन्द राय—

दोनों डकैतियों की रिपोर्ट लिखाई गई थी। डकैतियों के पहले एक रिपोर्ट मारपीट जांच की लिखाई गई थी उसमें मुलजिमों का चालान हुआ था जो थानाध्यक्ष द्वारा इन की रिपोर्ट की गई और गलत पायी गई।

श्री अवेद्यनाथ —

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि थाना मणिराम क्षेत्र में जो बी० के० डी० और हिन्दू महासभा का झगड़ा कहा जाता है बल्कि यादवों और दूसरी जाति के बीच में है जो बहुत पहले से चला आ रहा है?

श्री कृष्णानन्द राय—

एफ० आई० आर० के अन्दर जो सूचना है उसके अनुसार तो यही है कि सीताराम सिंह जी जो बी० के० डी० के उम्मीदवार हैं वे एक गिरोह का नेतृत्व करते हैं और दूसरा गिरोह महन्त जी का है। जातियों का झगड़ा है इसकी सूचना एफ० आई० आर० में नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो यह बम फेंका गया था वह किस के मकान में फेंका गया? क्या वह व्यक्ति किसी पार्टी से सम्बन्धित था और जिनका चालान हुआ वह किस दल से सम्बन्धित थे?

श्री कृष्णानन्द राय—

मैंने बताया कि यह खेत पर बम फेंका गया था। रिपोर्ट इसी प्रकार आयी है मैंने अभी आपको पढ़ कर सुना दी है।

ह्विटले कौन्सिल्स

*६—श्री हिम्मत सिंह, श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

कर्मचारियों की समस्याओं एवं विवादों को सुलझाने की दृष्टि से क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह ह्विटले कौंसिलों के गठन पर विचार करेंगे तथा बतायेंगे कि इन कौंसिलों को कब तक गठित कर दिया जावेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री हिम्मतसिंह—

यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और कब तक रहेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह साल डेढ़ साल से विचाराधीन है। राष्ट्रपति शासन के समय भी इस प्रश्न पर विचार हुआ था और एक कमेटी सचिवों की बैठी थी उसमें उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये थे। वह सुझाव मुख्य सचिव की कमेटी के सुपुर्द हो गये हैं। अभी मुख्य सचिव ने वह तमाम सुझाव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं और इसलिये कैबिनेट ने उन तमाम बातों पर विचार नहीं किया है।

श्री रामगोपाल सेठ—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६७ की हड़ताल के बाद ही सरकार ने घोषणा की थी कि ह्विटले कौंसिल बनाई जावेगी जिससे कर्मचारी अपनी समस्याओं को टेबुल पर बैठ कर फैसला कर लेंगे लेकिन इतना काल हुआ अभी तक कर्मचारियों को अपनी शिकायतों को रखने का मौका नहीं मिल रहा है तो कब तक निर्णय हो जायगा ? साल भर में, ६ महीने में या तीन महीने में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सरकार को कुछ थोड़ी सी इसमें परेशानी है वह यह है कि आपस में बातचीत करने के समय आफिसर्स तो रह सकते हैं और कुछ यूनियन्स हैं जिनके प्रतिनिधि इसमें भाग ले सकेंगे लेकिन बहुत से गवर्नमेंट सरवेंट्स हैं जिनकी यूनियन्स नहीं हैं और न वह किसी यूनियन्स से सम्बन्ध रखते हैं तो उनका भी प्रतिनिधित्व हो सके यह ऐसा प्रश्न है जिस पर सरकार का ध्यान गया है और उसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है।

मऊ कांड की न्यायिक जांच न होना

*७—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मऊ काण्ड की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के जज द्वारा कराने के लिये राजनैतिक दलों द्वारा मांग की गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां।

*८—श्री अनन्तराम जायसवाल—

यदि हां, तो मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि मऊ काण्ड की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के जज द्वारा कराने में उनके समक्ष क्या कठिनाइयां थीं ?

नोटः—तारांकित प्रश्न ६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इन घटनाओं की विस्तृत प्रशासकीय जांच एक ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा कराई जा चुकी है अब न्यायिक जांच कराने की न आवश्यकता है न ऐसा करना जनहित में होगा।

कस्तूरी हिरन तथा काला हिरन की सुरक्षा

*९—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में कस्तूरी हिरन तथा काला हिरन (Black Buck) के लिये सैंक्चुअरी बनाने जा रही है? यदि हां, तो कहां-कहां और इनके रख-रखाव में प्रति वर्ष कितना व्यय होगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

चमोली तथा मिर्जापुर जिलों में क्रमशः कस्तूरी हिरन तथा काला हिरन की सुरक्षा के लिये सैंक्चुअरी बनाने के मामले में अभी छानबीन की जा रही है। अभी यह ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता कि इस संबंध में वार्षिक व्यय क्या होगा।

गृह उद्योग के लिये छोटी मशीन का कारखाना लगाने का सुझाव

*१०—श्री देवकीनन्दन विभव—

क्या उद्योग मंत्री गृह उद्योग के लिये छोटी-छोटी मशीनें बनाने के कारखाने को खोलने पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो योजना क्या है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गृह उद्योग के लिये छोटी छोटी मशीनें बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य स्तर पर लगाने का कोई विचार नहीं है। यदि प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा कारखाना लगाना चाहें तो सरकार आर्थिक, प्राविधिक एवम् अन्य सुविधायें देने के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

श्रीमती कैसर के साथ शाहजहांपुर कोतवाली कर्मचारियों द्वारा बलात्कार करने की जांच

*११—श्री कृष्णस्वरूप तथा श्री जगदीश गांधी—

क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी है कि १२ मई, १९६९ को शाहजहांपुर कोतवाली में पुलिस के कर्मचारियों द्वारा श्रीमती कैसर के साथ बलात्कार किया गया जिसके संबंध में मुख्य मंत्री को श्री गणेश शंकर खन्ना ने एक ज्ञापन भी मई, १९६९ के अन्त में दिया? यदि हां, तो स्थानीय पुलिस के विरुद्ध क्या शिकायत थी तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्री गणेश शंकर खन्ना का ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें थाना कोतवाली शाहजहांपुर की पुलिस के विरुद्ध श्रीमती कैसर के साथ दिनांक १२ मई, १९६९ को बलात्कार करने के आरोप लगाये गये थे।

इन आरोप की जांच नगर मैजिस्ट्रेट शाहजहांपुर द्वारा कराई गई और अब इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा हो रही है।

उखीमठ—चमोली मोटर मार्ग

*१२—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि चमोली जिले में उखीमठ–चमोली मोटर मार्ग कब से बनना शुरू हुआ था और वह मोटरादि यातायात के लिये कब से उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

चमोली जिले में उखीमठ–चमोली मार्ग का निर्माण-कार्य अगस्त, १९६० में प्रारंभ हुआ था और वह मोटरादि यातायात के लिये उपलब्ध है ।

*१३—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस मोटर मार्ग के निर्माण पर अब तक कितना रुपया लग चुका है और कितना खर्च उस पर और लगेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस मोटर मार्ग पर जून, १९६९ तक १,३३,२०,९३७ रुपये व्यय हो चुके हैं और लगभग २३ लाख रुपये के और व्यय होने की संभावना है ।

फीरोजाबाद थाना कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही

*१४—श्री राम स्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) तथा श्री हुक्मसिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६८ में घटित आगरा जिले के थाना फीरोजाबाद के गांव तोफजपुर व सोफीपुर काण्ड में पुलिस के कौन-कौन लोग सी० आई० डी० की जांच में दोषी पाये गये ? सरकार ने इन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की तथा पीड़ित लोगों की क्या मदद सरकार द्वारा की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ग्राम तोफजपुर व सफीपुर, थाना फीरोजाबाद, जिला आगरा में हुई कथित घटना की जांच में फीरोजाबाद थाने के इंसपेक्टर इंचार्ज व चार अन्य सब-इन्सपेक्टर दोषी पाये गये हैं। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के लिये अवश्यक कदम उठाए गए हैं । पीड़ित लोगों को सहायता दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

गन्ना पेराई

*१५—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलें १९६९ में कब तक चालू रहीं और सरकार ने काश्तकार के गन्ना पेरवाने के लिये क्या-क्या उपाय किये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रदेश में चीनी मिलों के बन्द होने की तिथि संलग्न तालिका में दी हुई है ।

प्रदेश की चीनी मिलों के क्षेत्र में काश्तकार के गन्ना पेरवाने के लिये निम्नलिखित उपाय किए गए—

(१) गन्ने का व्यावर्तन—जिन चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ना अधिक था उस अधिक मात्रा को उनके सुरक्षण से निरस्त करके उन निकटवर्ती चीनी मिलों को सुरक्षित किया गया जिनके पास पेराई क्षमता के अनुसार गन्ने की शीघ्र खपत संभव थी ।

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--]

(२) अप्रैल, १९६९ के बाद चलने वाली चीनी मिलों को गन्ना खरीद में क्रय-कर पर निम्न छूट--

दिनांक १-५-१९६९ से १४ मई, १९६९ तक ३२ पैसे प्रति क्विंटल
दिनांक १५ मई, १९६९ से आगे ५१ पैसे प्रति क्विंटल ।

(३) खांडसारी व गुड़ बनाने में निम्नलिखित सुविधायें दी गयीं जिससे कि चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ने की अधिक खपत हो सके--

(क) पावर क्रशर तथा खांडसारी इकाइयों को २२ दिसम्बर के बजाये १ दिसम्बर से पेराई आरंभ करने की छूट दी गई । पेराई काल अप्रैल के अन्त से बढ़ाकर जून के अन्त तक कर दिया गया ।

(ख) जिन किसानों के पास अपने ट्यूबवेल ट्रैक्टर आदि की शक्ति थी, गुड़ बनाने के लिये खड़े कोल्हू थे और निजी गन्ना था उन्हें वर्ष (१९६८-६९) में बिजली, ट्रैक्टर आदि शक्ति द्वारा गुड़ बनाने की अनुमति व आवश्यक लाइसेंस दिये गये ।

(ग) खांडसारी इकाइयों को ३० अप्रैल, १९६९ से आगे जून के अन्त तक पेराई की अनुमति दी गई ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३४७-३४८ पर)

मधुवन थाना क्षेत्र में श्री मंगलदेव विशारद पर आक्रमण

*१६--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि २२ मई, १९६८ को मधुवन थाना, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम गुरुम्हा में भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाने के लिये सत्याग्रह करते समय श्री मंगलदेव विशारद, भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री पर कुछ व्यक्तियों द्वारा आक्रमण किया गया और उन्हें बेहोश कर दिया गया ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त संबंध में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

दिनांक २२ मई, १९६८ को श्री मंगल देव विशारद के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल के लगभग २५ कार्यकर्त्ता गुरुम्हा ग्राम समाज की भूमि पर बलात् अधिकार करने की चेष्टा कर रहे थे कि गांव वालों ने अपने प्रधान के नेतृत्व में इसका विरोध किया और अचानक ढेलों की बौछार कर दी । इस ढेलेबाजी से बचने के प्रयास में श्री विशारद गिर पड़े । गिरने से और ढेले लगने से उनको कुछ साधारण चोटें आईं । इस मामले में शासन की ओर से इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि गांव वालों ने ग्राम संपत्ति के बचाव के लिये कानूनन शक्ति प्रयोग करने का अधिकार जो उन्हें उपलब्ध था प्रयोग किया ।

नक्सलियों की गतिविधियां रोकने का सुझाव

*१७--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि गत १ मई, १९६९ से १५ जून, १९६९ तक सैकड़ों नक्सलिये, जिला लखीमपुर, पीलीभीत, लखनऊ, तथा कानपुर में सक्रिय हैं और शान्ति भंग की समस्या उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो सरकार तुरन्त रोक-थाम के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी नहीं, उक्त अवधि में कथित जिलों में नक्सलियों की ऐसी कोई गतिविधियां दृष्टिगोचर नहीं हुई हैं ।

प्रतापपुर चीनी मिल का उत्पादन

*१८—श्री हरिवंश (जिला देवरिया) तथा श्री रामसिंह खन्ना—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले की प्रतापपुर चीनी मिल ने १ जनवरी, १९६७ से १५ जून, १९६९ तक कितना शीरा तैयार किया तथा क्रमशः प्रत्येक वर्ष में कितनी चीनी तैयार हुई तथा कितना गन्ना पेरा गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

१ जनवरी, १९६७ से १५ जनवरी, १९६९ तक प्रतापपुर चीनी मिल में १,०७,१४८.२५ क्विंटल शीरा उत्पादित हुआ, क्रमशः प्रत्येक वर्ष में पेरे गए गन्ने की तथा चीनी उत्पादन की वर्षवार तथा उसके योग की मात्रायें निम्न प्रकार रहीं :

क्रम-संख्या	विवरण	सत्र १९६६-६७ में १ जनवरी, १९६७ से मिल बन्द होने तक	सत्र १९६७-६८	सत्र १९६८-६९	योग
१	पेरा गया गन्ना (लाख क्विं०)	४.६५	६.२४	१०.४६	२१.३५
२	चीनी उत्पादन (मीट्रिक टन)	४.८२	५.६९	१०.३५	२०.८६

सितम्बर, १९६८ की हड़ताल संबंधी मुकदमे

*१९—श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री राम सिंह खन्ना—

क्या सरकार बतायेगी कि १९ सितम्बर, १९६८ की केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित कितने कर्मचारियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुकदमे चलाये जो इस समय विचाराधीन हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सितम्बर, १९६८ को केंद्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में कायम किये गये मुकदमों में से ५०८ सरकारी कर्मचारी तथा २९ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध १२२ मुकदमे न्यायालयों में विचाराधीन हैं ।

*२०—श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री रामसिंह खन्ना—

उपर्युक्त प्रश्न से संबंधित क्या सरकार बतायेगी कि केंद्रीय सरकार की ओर से यह घोषणा हो जाने पर कि जो मुकदमे मामूली अभियोग पर आधारित होंगे वापस कर लिये जायेंगे कितने कर्मचारियों से अभी तक मुकदमे वापस हुए हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इन मुकदमों के संबंध में भारत सरकार ने यह आदेश दिये हैं कि जिन मुकदमों में पर्याप्त सबूत न हों उन्हें वापस ले लिया जाय । विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन ऐसे मुकदमों की राज्य सरकार द्वारा छानबीन करने पर पता चला है कि ऐसा कोई भी मुकदमा नहीं है जिसमें सबूत की कमी हो । इसलिये कोई मुकदमा वापस नहीं लिया गया है ।

*२१—श्री रामपाल सिंह तथा श्री रामसिंह खन्ना—

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

लक्सर थाने में आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत चालान

*२२—श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९६९ से १५ जून, १९६९ तक थाना लक्सर में कितने व्यक्तियों का आर्म्स ऐक्ट में चालान किया गया और कितनी घटनायें राहजनी और कत्ल की हुई ? इस संबंध में होने वाली रिपोर्टों में कितनी गिरफ्तारियां हुयीं और कितने बरी हुए ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

१ मार्च, १९६९ से १५ जून, १९६९ तक थाना लक्सर में आर्म्स ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत ८ मुकदमे दर्ज हुए तथा आठों मुकदमों में चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है। उक्त अवधि में थाना लक्सर के क्षेत्र में राहजनी की कोई घटना नहीं हुई तथा हत्या की केवल एक घटना की रिपोर्ट प्राप्त हुई। हत्या के इस मामले में ५ गिरफ्तारियां हुई हैं।

कानपुर जिले में डकैती व कत्ल

*२३—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १५ मार्च, १९६८ से १५ जून, १९६९ तक कानपुर जिले में डकैती व कत्ल के अभियोगों की कुल संख्या कितनी है क्या यह पिछले वर्ष से अधिक है ? यदि हां, तो इनकी रोकथाम के लिये सरकार आगे क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस अवधि में कानपुर जिले में डकैती तथा कत्ल के वास्तविक अपराधों की संख्या क्रमशः ११९ व १५० थी। इसमें, इसी अवधि में गत वर्ष की तुलना में, कोई वृद्धि नहीं है, तथापि अपराधों की रोकथाम के लिये यथासंभव कार्यवाही की जाती है।

*२४—श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

[प्रश्नकर्त्ता की प्रार्थना पर ५वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

अनुसूचित जातीय जिलाधीश एवं पुलिस कप्तान

*२५—श्री हरिवंश—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रदेश में अनुसूचित जाति के जिला मैजिस्ट्रेटों की संख्या ११ तथा पुलिस कप्तानों की संख्या २ है। पिछड़ी जाति के अधिकारियों से संबंधित ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

*२६—२७—श्री दीपनारायण मणि—

[प्रश्न विषय गोपनीयता के कारण रिक्त किये गये।]

इलाहाबाद में श्री रामकृष्ण राय की हत्या

*२८—श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को यह विदित है कि इलाहाबाद में हाल ही में श्री राम कृष्ण राय, मंत्री, शहर उत्तरी भारतीय क्रान्ति दल की हत्या पुलिस की गोलियों से हुई ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक ७ मई, ६९ को नगर महापालिका के डिमालिशन स्क्वाड ने नियमानुसार व उपयुक्त आदेशों के अनुपालन में श्री राम कृष्ण राय द्वारा अनधिकृत रूप से बनाई गई दूकानों को गिराना आरम्भ किया। सुरक्षा व शान्ति बनाये रखने हेतु पुलिस के कर्मचारी भी बुलाए गये थे जो घटना-स्थल पर उपस्थित थे। सूचना पाते ही श्री राम कृष्ण राय बन्दूक लेकर घटना-स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों को धमकाया तथा अंधाधुंध गोलियां चलाईं, नगरमहापालिका का एक कर्मचारी आहत हुआ। सब इन्सपेक्टर को आत्म-रक्षार्थ तथा नगर महापालिका के कर्मचारियों व अन्य उपस्थित लोगों के बचाव के लिये गोली चलानी पड़ी। श्री राम कृष्ण राय घायल हो गये और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

चूंकि पुलिस अफसर को दोषी नहीं पाया गया, अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

बलिया रोडवेज स्टेशन पर बसों का कथित नीलाम

*२९—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि नवम्बर-दिसम्बर, सन् १९६८ में बलिया रोडवेज स्टेशन से १० राजकीय बसों का नीलाम हुआ है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

*३०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नीलाम की गई राजकीय बसों के स्थान पर नई राजकीय बसें बलिया रोडवेज केन्द्र पर कार्य करने के लिये भेज दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता।

*३१—श्री रामसिंह खन्ना—

[पुनरावृति होने के कारण निरस्त किया गया।]

कौड़िया थाने के चौदहा गांव में गोली चलना

*३२—श्री गंगाप्रसाद—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चौदहा, थाना कौड़िया, जिला गोंडा में दिनांक २० जून, १९६९ को गोली चली? यदि हां, तो मौके की जांच के लिये कौन-कौन अधिकारी गये, उनके नाम तथा पद क्या हैं, और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक २० जून, ६९ की शाम को थाना कौड़िया, जिला गोंडा पर श्री रामसागर, ग्राम चौदहा ने एक लिखित सूचना दी कि उसी दिन ११ बजे दिन महादेव प्रसाद तथा अन्य १० व्यक्तियों ने प्रार्थी व उसके भाई को मौजा उर्दी गोंडा, पूरे कुट्टी के निकट घेर लिया और महादेव प्रसाद ने बन्दूक से दो फायर किये जिसमें से एक फायर से उसके भाई के कन्धे के पास चोट आई।

मौके पर जांच के लिये श्री लालता सिंह, थानाध्यक्ष, कौड़िया गये। मामले में अभी थानाध्यक्ष द्वारा विवेचना की जा रही है।

देहरादून क्षेत्र में जीप दुर्घटना में मृत रोडवेज कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता

*३३—श्री राजबहादुर चन्द, श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती), श्री मुमताज मोहम्मद खां तथा श्री जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ और १६ जुलाई, १९६७ की रात में जब देहरादून रीजन के असिस्टेंट जनरल मैनेजर, श्री बलवीर सिंह, एकाउन्ट आफिसर श्री ब्रह्मस्वरूप सक्सेना तथा लिपिक शेफर्ड राजकीय जीप नं० यू० एस० क्यू० २९०९ से सरकारी काम से देहरादून से श्रीनगर (गढ़वाल) जा रहे थे तब रास्ते में जीप गाड़ी दुर्घटना-ग्रस्त हो गई और उपरोक्त तीनों कर्मचारियों की घटना-स्थल पर ही मृत्यु हो गई?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां।

*३४—श्री राजबहादुर चन्द, श्रीमती राजेन्द्र किशोरी, श्री मुमताज मोहम्मद खां तथा श्री जलील अब्बासी—

सरकार ने उपरोक्त कर्मचारियों के परिवारों को कोई फेमिली पेंशन, ग्रेच्युटी तथा मुआवजा अभी तक दिया या नहीं? यदि दिया, तो किस-किस को किस-किस मद में कितना-कितना दिया? यदि नहीं दिया, तो क्यों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अ—प्रत्येक तीनों मृतकों के परिवारों को रुपये १,००० की अन्तरिम सहायता का मृत्यु के शीघ्र पश्चात् प्रधान प्रबन्धक द्वारा भुगतान किया गया।

ब—नियमानुसार इन मृतक कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा देय नहीं है।

स—स्वर्गीय श्री बलवीर सिंह सहायक प्रधान प्रबन्धक तथा स्व० श्री ब्रह्म स्वरूप सक्सेना लेखा अधिकारी के आश्रितों को फेमिली पेन्शन तथा ग्रेच्युटी देने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा स्वर्गीय श्री शेफर्ड, लिपिक के परिवार को रुपये १,९६० की ग्रेच्युटी एवं रुपये ५८.८० पैसे प्रतिमाह पारिवारिक पेन्शन स्वीकृति की जा रही है।

सुल्तानपुर जिले में डकैतियां

*३५—श्री रामप्यारे शुक्ला (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में अप्रैल, मई और जून, सन् १९६९ में कितनी डकैतियां पड़ीं और उनमें से कितनी डकैतियों की तफतीश ३० जून, १९६९ तक पूरी हो चुकी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिला सुल्तानपुर में इस वर्ष अप्रैल में ५, मई में ३, और जून में ७ डकैतियां पड़ीं। किसी भी डकैती की तफतीश ३० जून ६९ तक पूर्ण नहीं हुई।

नौगढ़ तहसील में जमुआर नदी के वन क्षेत्र में निहित भूमि

*३६—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में जमुआर नदी के किनारे-किनारे की जमीन वन विभाग में निहित हुई है? यदि हां, तो निहित होने के दिन से जमीन अथवा पेड़ों के रख-रखाव में अब तक कितना खर्च हुआ तथा कितनी आमदनी हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में जमुआर नदी के किनारे का क्षेत्र सन् १९५२–५३ में वन विभाग में निहित हुआ। निहित होने के दिन से जमीन अथवा पेड़ों के रखरखाव में अब तक रु० ३५,४१७ खर्चा हुआ तथा रु० ३६,७४२ आमदनी हुई।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी तथा डाला सीमेंट फैक्टरी में हरिजन

*३७—श्री रामप्यारे (मिर्जापुर)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सीमेन्ट चुर्क फ़ैक्टरी एवं राजकीय डाला सीमेन्ट फ़ैक्टरी, जनपद मिर्जापुर में इस समय अलग-अलग स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है और उनमें अलग-अलग हरिजन कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

चुर्क सीमेंट फ़ैक्टरी में स्थायी कर्मचारियों की संख्या १,१६६ है जिसमें हरिजनों की संख्या १७९ है तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या २४३ है जिसमें हरिजनों की संख्या ३ है।

डाला सीमेंट फ़ैक्टरी में स्थायी कर्मचारियों की संख्या ३८ है जिसमें हरिजनों की संख्या शून्य है तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या १,६७७ है जिसमें हरिजनों की संख्या २३७ है।

बांदा जिले के माराचन्द्रागांव की पत्थर की खदान का नीलाम

*३८—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९ में बांदा जिले की करवी तहसील के माराचन्द्रा गांव की पत्थर की खदान का नीलाम केवल दो वर्षों के लिये किया गया था किन्तु उसकी अवधि पांच वर्षों के लिये बढ़ाकर करा ली गयी है ? क्या इस नीलामी से सरकार को १५ हजार रुपये के घाटे का अनुमान है ? क्या सरकार इसके निराकरण के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वर्ष १९६९ में बांदा जिले के माराचन्द्रा गांवों के पत्थर के खदान का नीलाम दिनांक ८ मई, १९६९ को ३० जून, १९७० तक के लिये किया गया था किन्तु बोली कम होने के कारण उसे अस्वीकृत कर दिया गया। शेष सवालों का प्रश्न नहीं उठता।

कर्नेलगंज बाजार में जनाना अस्पताल खोलने की प्रार्थना

*३९—श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जिला गोंडा के अन्तर्गत कर्नेलगंज बाजार में जनाना अस्पताल खोलने की कोई योजना इस वित्तीय वर्ष में है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी नहीं।

कोखराज थाने में श्रीनाथ पासी की हत्या सम्बन्धी जांच

*४०—श्री श्यामसूरत (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ जून, १९६९ को इलाहाबाद जिले के कोखराज थाने में वहां के थानाध्यक्ष द्वारा श्रीनाथ पासी की हत्या की गयी ? तथा क्या वह सही है कि उपरोक्त मामले की जांच के लिये सी० आई० डी० की नियुक्ति हुयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक १२ जून ६९ को श्री महादेव पुत्र शिव दयाल, निवासी मुरादपुर, थाना कोखराज, जिला इलाहाबाद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को इस आशय का शिकायती-पत्र दिया कि थाना कोखराज के दरोगा तथा चौकी भरवारी के सिपाही उनके पुत्र श्रीनाथ पासी को पकड़ कर थाने ले गये और उसे मारा-पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा हो रही है।

इलाहाबाद जिले में कत्ल व डकैतियां

*४१—श्री श्यामसूरत—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में पिछले छः महीनों में कितने कत्ल व डकैतियां हुई और कितनी डकैतियों में मुलजिमान का पता लग कर चालान किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिला इलाहाबाद में १ जनवरी, ६९ से ३० जून, ६९ (छः माह) की अवधि में ४० कत्ल व ५६ डकैतियां हुई। अब तक डकैती की २२ घटनाओं में मुलजिमान का पता लगा कर उनका चालान किया गया है।

*४२-४३—श्री शेरसिंह दानू—

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

मुजफ्फरनगर में दफा १४४ के तहत मीटिंग पर रोक

*४४—श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुजफ्फरनगर शहर में तारीख १२ जून, १९६९ को एस० डी० एम० सदर से बी० के० डी० के जनरल सेक्रेटरी श्री महेन्द्र सिंह ने मुजफ्फरनगर शिव जी के चौक में मीटिंग करने की आज्ञा मांगी थी, उस प्रार्थना-पत्र को एस० डी० एम० ने धारा १४४ जाब्ता फ़ौजदारी को लागू बता कर नामंजूर कर दिया था, जब कि धारा १४४ का आदेश १३ जून, १९६९ को किया गया है और कोई धारा १४४ शहर में १२ जून, १९६९ को नहीं लगी हुई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मुजफ्फरनगर नगरपालिका क्षेत्र में जाब्ता फ़ौजदारी की धारा १४४ के अधीन आदेश ३० दिन की अवधि के लिये १५ मई, ६९ को जारी किया गया था। अतः १२ जून, ६९ को उक्त आदेश लागू था जिसके कारण मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई।

*४५—श्री मनफूल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जब कि धारा १४४ जाब्ता फ़ौजदारी श्री बी० एस० विष्ट ने १३ जून, १९६९ को शहर मुजफ्फरनगर में लागू किया है तो उसने शहर कोतवाल आदि पुलिस को और ए० एस० डी० एम० सदर को साथ लेकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) आदि पार्टियों द्वारा रखा गया १२ जून, १९६९ की शाम को शिव जी के चौक, मुजफ्फरनगर का जलसा क्यों भंग किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इजाजत न मिलने पर भी कुछ लोगों ने मीटिंग करने की कोशिश की लेकिन अधिकारियों ने जब उन्हें स्थिति से आगाह किया तो उन्होंने स्वयं मीटिंग समाप्त कर दी, अधिकारियों द्वारा भंग करने का प्रश्न नहीं उठा।

इन्डियन टरपेंटाइन और रोजिन कम्पनी, बरेली में लाभांश का वितरण न होना

*४६—श्री रामसिंह खन्ना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इंडियन टरपेंटाइन और रोजिन कम्पनी, बरेली ने इस वर्ष (१९६८–६९) कितना डिवीडेंट दिया है और पिछले तीन वर्षों में कितना डिवीडेंट दिया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वर्ष १९६८–६९ का लेखा सम्परीक्षा में है, अतः उक्त वर्ष के लाभांश की घोषणा अभी नहीं की गयी है।

पिछले तीन वर्षों में अंशधारियों को लाभांश का भुगतान प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत की दर से किया गया।

मऊरानीपुर ब्लाक में सहकारी समितियों की जांच

*४७—श्री प्रेम नारायण (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि मऊरानीपुर, जिला झांसी की कुछ कोआपरेटिव सोसाइटियों की प्रान्तीय सो० आई० डी० द्वारा सरकार के आदेश पर गबन, जालसाजी, धोखादेही इत्यादि की जांच सन् १९६७ से चल रही है ? यदि हां, तो आरोप किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या हैं व उन सोसाइटियों के नाम क्या-क्या हैं एवं सन् १९६७ से सन् १९६९ मई तक उक्त सोसाइटियों में से कितनी सोसाइटियों की जांच सो० आई० डी० अधिकारी द्वारा इस अवधि में की गई व प्रमुख अपराधी कौन-कौन पाये गये व उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां।

मऊरानीपुर ब्लाक, जिला झांसी की सहकारी समितियों, हरिजन परवारी पुरा, जलालपुर, कटरा नं० १ व नं० २, मऊरानीपुर, पुरानी बस्ती तथा मऊताजरान में गबन, जालसाजी, धोखादेही इत्यादि की जांच प्रशासन के आदेश पर प्रान्तीय सो० आई० डी० द्वारा सन् १९६७ से जारी है। इस कारण प्रमुख अपराधी कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई का प्रश्न नहीं उठता।

सहायक बिक्री-कर आयुक्तों के विरुद्ध जांच

*४८—श्री लक्ष्मण स्वरूप तथा श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर विभाग के कितने सहायक आयुक्तों (Assistant-Commissioners) के विरुद्ध सतर्कता आयोग में मामला भेजा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

तीन सहायक बिक्री-कर आयुक्तों के विरुद्ध जांच सतर्कता अधिष्ठान को सौंपी गई है।

अतारांकित प्रश्न

भाटपार रानी गांव में चेचक

१—श्री हरिवंश—

क्या सरकार कृपया बताये गी कि देवरिया जिले के भाटपार रानी नगर में १ ली अप्रैल, १९६९ से ३० मई, १९६९ तक चेचक की बीमारी से कितने आदमी मरे हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

आटपार रानी कोई नगर नहीं है परन्तु ग्राम है। आटपार रानी गांव में १ अप्रैल, १९६९ से ३० मई, १९६९ तक ७ आदमी चेचक से बीमार पड़े परन्तु मृत्यु किसी की नहीं हुई।

इलाहाबाद के साम्प्रदायिक झगड़े से संबंधित मुसद्दी लाल कमीशन की रिपोर्ट

२—श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, अप्रैल, सन् १९६८ में इलाहाबाद में हुए फिरकावाराना फसाद के सिलसिले में मुसद्दीलाल कमीशन ने इस जांच कोई अपनी रिपोर्ट तैयार की? यदि हां, तो सरकार के सामने कब पेश हुई और सरकार ने उस पर क्या अमल किया? क्या सरकार इस रिपोर्ट की कापी सदन की मेज पर रखेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। यह रिपोर्ट सरकार को १८ जनवरी, १९६९ को प्राप्त हुई। रिपोर्ट में दिये गये सुझावों के प्रकाश में अधिकारियों को आवश्यक निदेश दिये गये। रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा।

३—श्री हबीब अहमद—

क्या सरकार बतलायेगी कि इलाहाबाद के उस फसाद में तबाह हुये लोगों को कोई मुआविजा सरकार ने दिया? अगर हां, तो किस-किस को और कितना-कितना? उसकी एक फेहरिस्त सदन की मेज पर रक्खी जायगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इलाहाबाद में मार्च, १९६८ में हुये दंगे से पीड़ित व्यक्तियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया किन्तु उन लोगों को अनुग्रह दान के रूप में सहायता दी गई जिसका *विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है?

पिथौरागढ़ जिले में सिंचाई योजना

४—श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में १ जुलाई, १९६९ तक कितनी गूलें बनाई गयीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

चौथी पंचवर्षीय योजना काल में १ अप्रैल, १९६९ से १ जुलाई, १९६९ तक पिथौरागढ़ जिले में सिंचाई विभाग द्वारा कोई गूल नहीं बनाई गई।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, आपकी घड़ी ने तो ११ बजा दिये और प्रश्न नं० ७ का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया। श्रीमन्, आप को तो पूरा अधिकार है कि प्रश्नों का क्रम किस तरह से निर्धारित किया जाय। इस स्थिति में जिस तरह से छपा है उसको ही आप ले सकते हैं। क्या यह नहीं हो सकता कि जो प्रश्न आप महत्व के समझें वह आप पहले ले लिया करें।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन इससे बहुतों को नाराजगी लेनी पड़ेगी।

---

*छापा नहीं गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

इस प्रश्न को कल प्रारम्भ में ही रख दिया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कल के लिये इसे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में बदल दें।

श्री अध्यक्ष—

आप ऐसा करें कि आपको जो उत्तर मिलता है उसके ऊपर नियम ४९ के अनुसार प्रस्ताव दे दें। यदि इसको महत्वपूर्ण समझते हैं तो उस हिसाब से वह आ जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल —

नियम ४९ में चर्चा का समय तो मिल जाता है लेकिन दिक्कत यह रहती है कि जो जरूरी जानकारी मिलना चाहिये सवाल करके वह नहीं मिल पाती है।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न अलग से दे सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु (जिला मुजफ्फरनगर)—

मेरा निवेदन यह है कि आपकी नजर किसी वक्त भी इस साइड में नहीं आती। ५, ७ आदमी जो सामने रहते हैं उनको ही प्रोत्साहन मिलता है। इसके अन्दर ४८ प्रश्न छपे हैं। जब १ घंटा इसके लिये निर्धारित है तो ३ मिनट का समय प्रत्येक प्रश्न को मिलना चाहिये। जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं इस तरह से वह सब रह जाते हैं और २, ४ आदमियों के प्रश्न जो आरम्भ में छपे रहते हैं वही ले लिये जाते हैं। बाकी रह जाते हैं और वे सब नजरन्दाज हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्रीमती वीना दुग्गल तथा मेजर जनरल हबीबुल्ला के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने आज विशेषाधिकार की अवहेलना के २ प्रश्न आये हैं जिनमें एक तो बोरा जी ने दिया है और दूसरा माननीय नित्यानन्द जी ने दिया है। वे दोनों मैं पढ़कर सुनाये देता हूं :— पहला बोरा जी का है :—

"मैंने दिनांक ४ अगस्त, १९६९ को विधान सभा में यह बयान दिया था कि श्री सी० बी० गुप्ता जी संविद शासन काल में विद्यार्थियों के आन्दोलन का नेतृत्व अपने निवास-स्थान से किया करते थे।

श्रीमती वीना दुग्गल, कन्वीनर यंग वीमेन्स कमेटी, यूथ कांग्रेस ने दिनांक ५ अगस्त, १९६९ को एक बयान अखबार को दिया है जो नेशनल हेरल्ड में दिनांक ६ अगस्त, १९६९ कालम ८ पेज चार पर छपा है। उस बयान में श्रीमती वीना दुग्गल ने मेरे विधान सभा में दिये गये उपरोक्त बयान की आलोचना की है और कहा है कि मैंने असेम्बली में यह झूठा बयान दिया था कि श्री सी० बी० गुप्त अपने कनखरीबा निवास-स्थान से विद्यार्थियों को राजनीति का नेतृत्व किया करते थे। श्रीमती वीना दुग्गल ने यह भी कहा है कि विधान सभा में इस तरह के झूठे बयान दिये जा सकते हैं। उपरोक्त बयान देकर श्रीमती वीना दुग्गल ने और नेशनल हेराल्ड ने उसे छाप कर मेरी और माननीय सदन और आपके विशेषाधिकार का हनन किया है। अतः प्रार्थना है कि श्रीमती दुग्गल और सम्पादक नेशनल हेराल्ड के विरुद्ध नियम ६३ के अन्तर्गत कार्यवाही करने की कृपा करें।"

[श्री अध्यक्ष]

यह जो दूसरा है इसमें आलोचना और जबरदस्त है। इसमें यह है कि "मेजर जनरल हबीबुल्ला ने लखनऊ के दैनिक पायनियर में एक सम्पादक के नाम पत्र लिख कर तथा सदन में माननीय वित्त मंत्री के बयान तथा अन्य माननीय सदस्यों के बयानों की गम्भीर आलोचना करके इस सदन की अवमानना की है।

सदन में हुई कार्यवाही के प्रति आलोचना करना तथा उस पर व्यंग करना निश्चयरूप से सदन का घोर अपमान है अतः मैं इस नोटिस द्वारा मेजर जनरल हबीबुल्ला के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं।"

ये दोनों मैंने अभी पढ़े। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है कि माननीय सदस्य यहां पर अपने विचार प्रकट करते हैं, भाषण करते हैं, कुछ तथ्य कहते हैं और उनके ऊपर आलोचना बाहर होने लगे तो मैं समझता हूं हर रोज एक सदस्य की आलोचना हो सकती है। तो यह एक बड़ा भारी प्रश्न सदन के सामने है। इस विषय में मैं तो यह समझता हूं कि प्राथमिक दर्शन में ऐसा महत्व का विषय दिखाई देता है। अभी मैं फैसला इसलिये नहीं करता हूं कि उनसे पूछना पड़ेगा लेकिन यह लिखते हैं कि सदन की इसमें मान-हानि और विशेषाधिकार की अवहेलना प्रतीत होती है और उसके बाद सिर्फ इतना करना बाकी है कि अगर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, यह सही है तो वह मैं उनसे क्लियर कर लूंगा, प्रत्यक्ष जानकारी ले लूंगा कि आपने स्टेटमेंट दिया। साथ ही पत्रकार पर भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आता है कि पत्रकार को निश्चित ही नहीं छापना चाहिये था अगर यह सिद्ध होता है कि स्टेटमेंट नहीं दिया और पत्रकार ने छाप दिया तब भी पत्रकार के ऊपर प्रश्न आता है और दिया है तब छापा है तब भी आता है। इसीलिए मैंने नित्यानन्द जी से पूछा था कि पत्रकार के ऊपर भी प्रश्न उठाना वे चाहते हैं?

और उससे ज्यादा गम्भीर दूसरा है—

"As Vice-President of the U. P. Convention against Communalism, I visited Mau Nath Bhanjan on April 1, I had promised the Home Secretary not to publicise my report until I had seen what Mr. Musaddi Lal had assessed. In spite of my best efforts to get a copy of his report I have not yet seen it. In the meanwhile I am sorry to see that the U. P. Cabinet has blindly accepted the report. What is worse the incidents of Mau as represented in the Vidhan Sabha by Mr. L. R. Acharya, Finance Minister, were a shocking travesty and distortion of facts. The Congress member from Azamgarh also made a subtle terminological exactitude for the ears of those who did not know the area. He stated that a Yadav was killed at Chakia. This is not true. A mob advanced from Chakia direction on to Gulawa, a Muslim locality. The Muslims ran out to face them. A man whose little son ....." आगे है—

"As for Mr. Acharya's unfactual statement, I would like to ask him who fired from the mosque near the Chowk ? I questioned many people....

"The performance of the Congress side in the House whereby, when Mr. Anant Ram Jaiswal was about to come to the most crucial point of disproving the entire fairy story, scarcely did anything to allay the doubts of the public that, not their party, but certainly, ill supported criminal bosses were being shielded....."

तो इसके बारे में एक बार मेजर जनरल हबीबुल्ला साहब से पूछना पड़ेगा; मैं पूछ लूंगा, और दूसरे मिसेज दुग्गल से भी पूछ लूंगा कि आपने स्टेटमेंट दिया। वेरिफिकेशन करने के बाद मिसेज दुग्गल तो मिल जायेंगी, अगर हबीबुल्ला साहब.....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देवरिया)—

वह भी लखनऊ में हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर हैं तो पूछने के बाद यह विशेषाधिकार का प्रश्न है या नहीं, मैं इसका निर्णय लूंगा।

एक सदस्य--

मिसेज दुग्गल मौजूद हैं और मेरी प्रार्थना है कि उनसे पूछ लिया जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्ता)--

अध्यक्ष महोदय, अभी विशेषाधिकार के जो जो दो प्रश्न उठे हैं उनके विषय में आपने जानकारी हासिल करने के विषय में अपना निर्णय लिया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यह जो सिटीजन हैं इस सदन के बाहर के उनको आजादी से भी सम्बन्ध रखते हैं। क्या कोई व्यक्ति इस सदन में जो कार्यवाही हो उसके विषय में सदन के बाहर अपने विचार प्रकट कर सकता है या नहीं, यह एक ऐसा विषय है जो कि एक सिटीजन को आजादी से सम्बन्ध रखता है। तो मैं आप से इस विषय में यह भी निवेदन करूंगा कि जब आप इस विषय में सुनकर निर्णय लेने के लिये उद्यत हों तो जो आपके सब से बड़े एडवाइजर हो सकते हैं, वे एडवोकेट जनरल हो सकते हैं, या जिनसे भी राय लें। मुझे एक लेमैन के नाते ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो बाहर है और अपने विचार रखता है उन विचारों के विरुद्ध जिनमें उसके हिसाब से कोई तथ्य नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है और जिन्हें वह समझता है कि उसकी विचारधारा के अनुकूल नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

जो माननीय गुप्ता जी ने अभी आपके सामने सुझाव प्रस्तुत किया है मैं इस पर आपत्ति प्रकट करता हूं। आप को प्रभावित करने की दृष्टि से ऐसा किया है। आपके सामने हाउस आफ कामन्स, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट, उत्तर प्रदेश की असेम्बली, सब की नजीरें मौजूद हैं और जिस प्रकार इन बातों में होता रहा उसी के आधार पर आप निर्णय देंगे न कि मुख्य मन्त्री जी ने जो सुझाव दिया उस पर।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य यह सजेस्ट कर सकते हैं कि एडवोकेट जनरल की राय ले लें। फैसला देना मेरा काम है, उनकी राय को मानना या न मानना मेरा काम है। जो प्रथा है, पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस है उसी के हिसाब से मैं करूंगा। जो राय दी है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भी राय देना चाहें तो दे सकते हैं। परसों भी एक मामला जो बहुत टिकलिश मामला था उसके बारे में उदित नारायण जी और वित्त मंत्री के साथ ढाई घंटे बैठा रहा और अभी कुछ नहीं हो पाया है। मुझसे भी हाई कोर्ट के कई रिटायर्ड जजेज ने कहा कि यह कौन-सी बात है। मैंने कहा कि ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि हमको यह शंका है कि बाहर के व्यक्ति कम से कम फैक्ट्स बयान कर सकते हैं। ऐसे केसेज हो चुके हैं जहां अदालत ने निर्णय दिया है कि बाहर के लोग फैक्ट्स बयान कर सकते हैं, यह फैसला कहीं हो चुका है। सदस्यों का विशेषाधिकार है कि वे स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात कह सकें। और यदि बाहर के लोग उनके भाषण पर कटु आलोचना कर सकते हैं या नहीं यह प्रश्न है। पार्लियामेंटरी प्रक्टिस के हिसाब से तथा संविधान में दिया हुआ है कि इंगलैंड की पार्लियामेंट में जो सन् ५० तक के प्रिविलेजेज हैं वह आपके हैं। आप कोई प्रिविलेज एड नहीं कर सकते। वह वहां भी हैं और यहां भी हैं। इसलिये कोई खतरे की बात नहीं। यह जो प्रिविलेजेज के प्रश्न उठते हैं जो फुटकर होते हैं तो जरा-सा रिग्रेट करने पर सदन बाहर वालों को माफ कर देता है, किसी को फांसी तो हम चढ़ाते नहीं। सवाल इस बात का है इस सदन की मान-मर्यादा पर आंच नहीं आना चाहिये और स्पीच देने की स्वतंत्रता में बाधा नहीं होनी चाहिये। इस विषय पर माननीय सदस्यों को अगर कोई सूचना देनी हो या सुझाव देना हो तो दे सकते हैं।

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह, श्रीमन् ने निवेदन किया कि यह बहुत गंभीर विषय है और इस पर आप पूरा विचार करना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं

[श्री कृष्णानन्द राय]

कि आप इस पर विचार करके निर्णय दें। उसके बाद आपने कहा कि हबीबुल्ला साहब से या जो एक श्रीमती है उनसे आप पूछेंगे कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया या नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप इस निर्णय पर न पहुंच जायें कि इस प्रकार का वक्तव्य देना प्रिविलेज की परिधि में आता है या नहीं तब तक अपने देश, के नागरिकों से पूछताछ करना यह न्याय-उचित प्रतीत नहीं होता। प्राइमाफेसी रूप में भी अभी उन लोगों पर कोई दोष नहीं लग पा रहा है क्योंकि श्रीमन्, रोज पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट अपने बजट पेश करती है, वैदेशिक मामलों में जो निर्णय प्राइम मिनिस्टर लेते हैं हमारे देश के नागरिक आलोचनायें करते हैं और इतनी ज्यादा आलोचनायें होती है कि सभी को नोटिस देने लगें और सभी से पूछताछ करने लगें तो हमारे प्रिविलेज की परिधि बढ़ जायेगी। यह मेरा एक साधारण सा निवेदन है कि जब तक आप पूरा विचार न कर लें यह व्यवस्था के बाहर होगा कि हबीबुल्ला साहब से या श्रीमती दुग्गल से पूछताछ करें।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें। मैं कह लूं। इसका जवाब यह है कि कोई अन्याय करने के लिये सदन बैठा नहीं है। अगर कोई माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरा बयान गलत छपा है और इस पर मैं कह दूं कि प्राइमाफेसी केस है तो उसके ऊपर सीधे बात यह हो जायेगी कि वह प्रिविलेज कमेटी में जायेगा, उसकी जांच होगी और बाकायदा उसको १० दफा चक्कर लगाना होगा और इस तरह से बाहर वाले की स्वतंत्रता का पहले ही हम हनन कर देंगे और उसको तंग होना पड़ेगा। तो जब तक प्राइमाफेसी डिक्लेयर न हो तब तक प्रिविलेज कमेटी में नहीं भेजेंगे और तब तक मैं जरूर यह करूंगा कि वक्तव्य देने वाले से पूछ लूं कि उसने अमुक वक्तव्य दिया है या नहीं। हम खाली अखबारों के भरोसे कोई कार्य नहीं करते हैं क्योंकि अभी मैंने एक रूलिंग दी है और आपने उसे देखा होगा कि कई अखबार वालों ने अलग-अलग ढंग से एक अधिकारी का कथन छापा था और एकाध ने बेबुनियाद बात लिखी थी। मैंने निर्णय दिया है कि मैं अमुक कथन पर विश्वास करता हूं। इस तरह से फैक्ट्स के आधार पर थोड़ी-सी फाइंडिंग्स कर लें। अगर खबर के ऊपर मुझे करना हो तो मैं फौरन कह सकता था कि प्राइमाफेसी प्रिविलेज का सवाल है लेकिन उसी के हित में, जिसका नाम लिखा है कि अखबारों में उन्होंने बयान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं जिसमें उसके साथ अन्याय न होगा और यह पूछना मैं समझता हूं कि हमेशा अच्छा होता है और न्यायसंगत होता है।

श्री मलिखानसिंह—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मैं बराबर यह देख रहा हूं कि यहां अवहेलना के प्रश्न बराबर उठते हैं और अभी कोई प्रिविलेज कमेटी बनी नहीं है जिसके कारण सदन का समय रोज व्यर्थ हो जाता है। प्रिविलेज कमेटी बनाई जानी चाहिये।

दूसरा इस समय जो सवाल है उसमें अध्यक्ष महोदय आपने यह माना है कि वास्तव में उन्होंने इस तरह का बयान देकर सदन का अपमान किया है। और इसको आप मान चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कल के लिये आपने इनको छोड़ रखा है और आप उनसे बात करेंगे। मेरा कहना है कि पहले पहल आप प्रीविलेजेज कमेटी बना दें ताकि उसमें यह प्रश्न रेफर हो जाय या इस हाउस में उसे आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

प्राइमाफेसी साबित होने पर वह कमेटी में तो जायेगा ही। चाहे १५ रोज के बाद कमेटी बने, लेकिन जो कमेटी बनेगी उसमें यह जायेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, आपके सामने दो प्रश्न आये अवमान के। एक तो गलतबयानी का है दूसरा जिन खयालात का कर्नल हबीबुल्ला ने इजहार किया है उसके संबंध में है। यह आपने बजा फरमाया कि चाहे श्री नित्यानन्द जी अखबार वाले को इसमें शामिल करें या न करें, अगर अवमान का प्रश्न है और मैं समझता हूं कि प्राग्दर्शन बनता है तो अखबार वाला भी उसमें आ जाता है, वह किसी तरह से बचता नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस अखबार को भी आप स्वयं उसमें शामिल करें।

दूसरी बात यह है कि जो कर्नल हबीबुल्ला का कमेंट छपा है, मेरी अपनी यह राय है कि वह फेयर है।

श्री अध्यक्ष—

मेरिट पर आप न आइये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो बर्ताव कांग्रेसी सदस्यों का मेरे साथ रहा, मैं समझता हूं कि वह सही नहीं था। तो माननीय कृष्णानन्द राय जी की राय को आप मान लें और जब आप इस नतीजे पर पहुंचे कि सचमुच उन्होंने कोई ओच किया है,उससे पहले उनसे कोई जवाब तलब न करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कि उन्होंने यह बात छपवाई कि नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मुझे खेद है कि सारे सदन की अवमानना का यह प्रश्न है। यद्यपि उस प्रश्न को मैंने उठाया, जो कुछ टिप्पणी और व्यंग था वह कांग्रेस बेंचों की ओर से किया गया। मेरी राय में जिस लहजे में मुख्य मंत्री जी ने बात कही वह सही नहीं था। जैसा कि सदन को पता है, यह सदन की अवमानना का प्रश्न स्पष्ट है। सबसे पहले आपके सामने सुझाव यह रखा गया कि पहले आप इसकी जांच कर लें और फिर उस पर अपना निर्णय दें तो वह सही बात होगी। इस मामूली से मामले पर माननीय मुख्य मंत्री ने जो तरीका अख्तियार किया है, मैं समझता हूं कि इसके लिये एडवोकेट जनरल को बुलाने की जरूरत नहीं है, वे तो पूरे सदन के नेता हैं, इसलिये इस मामले में वे हमारे साथ खड़े हो सकते हैं।

उप मुख्यमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज जो प्रश्न उठाया, एक मौलिक प्रश्न है जिसकी ओर ध्यान दिये बिना निर्णय करने लगें तो यह एक बड़ा व्यापक प्रश्न हो जाता है जिसमें लोगों के मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता सन्निहित है, उस पर विचार करें। ऐसे तो जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठा है, चाहे श्री बोरा के संबंध में हो, चाहे मेजर हबीबुल्ला के संबंध में हो, इधर के लोग उनके विरुद्ध हैं। इसमें मेजर हबीबुल्ला या श्री बोरा के सपोर्ट करने की कोई बात नहीं है। बात तो यों उठी है कि इस विधान सभा की सारी कार्यवाही सारे प्रदेश में पहुंचती है और उस पर लोग टीका टिप्पणी करते हैं। परन्तु आपने जो रुख अख्तियार किया है वह इतना व्यापक हो जाता है कि जिनके बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यहां बजट पर बहस होती है, और बजट स्पीच जब हाउस में वित्त मंत्री जी रखते हैं तो उस पर और माननीय सदस्य बोलते हैं। अब आप देखें कि तमाम देश भर के अखबारों में जो बात बजट के ऊपर यहां कही जाती है या बजट के संबंध में जो यहां सदस्य कहते हैं उस पर टीका-टिप्पणी होती

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

है, अखबार वाले करते हैं, और लोग करते हैं, यहां तक कहते हैं कि यह बजट जगलरी है, बेकार है, एडीटोरियल निकलते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ब्रीच आफ प्रिवेलेज का सवाल इस हद तक जो जरूर है कि भीतर जो कुछ किया गया उस पर बाहर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती, जो कुछ भीतर किया गया उसके बारे में किसी पर कोई मोटिव नहीं इम्प्यूट किया जा सकता। लेकिन जो बात कही जाती है उस पर टीका-टिप्पणी और राय देने की पत्रों की भी स्वतंत्रता है और वह देते हैं। कोई पालिसी यहां या पार्लियामेंटरी में डिक्लेयर होती है किसी बड़े प्रश्न पर, इसकी पहले उस पर टीका-टिप्पणी हो जाती है, लोग बाहर ऐसा करते हैं, अखबार वाले करते हैं। तो आपने जो प्रश्न उठाया कि जो कुछ यहां हुआ उसके बारे में कोई राय दे या अखबार वाले छाप दें वह इसकी परिधि में आ गया, सदन का अवमान हो गया, तो यह तो इतना व्यापक बनता है कि यहां की प्रोसीडिंग्ज पर कोई टीका-टिप्पणी हो ही नहीं सकती जबकि यहां की प्रोसीडिंग्स पब्लिक डाक्यूमेंट की तरह से अखबार में छपती हैं। तो इस दृष्टि से उन्होंने कहा। मैं समझता हूं हबीबुल्ला जी तो हमारे ही खिलाफ बोले हैं और बोरा जी का भी इसके खिलाफ ही हुआ। तो इसमें किसी को सपोर्ट करने की बात नहीं है। बड़ा व्यापक मामला है इसलिये यह समझा गया कि महाधिवक्ता की राय ले ली जाय।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रश्न रखा है वह बहुत गंभीर है। दोनों पक्षों से मेरा निवेदन है कि जो यहां पर प्रिविलेज का सवाल आता है वह दलगत भावनाओं से अलग हटकर विचार किया जाना चाहिये। पूरे सदन के सम्मान का सवाल है। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। आज कवल यह प्रश्न नहीं है कि इस सदन के प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी प्रश्न है कि क्या नागरिक को आप यह अधिकार देते हैं कि जो यहां कहा जाय उसकी सैद्धांतिक आलोचना कर सकें। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट रखा, उनका भाषण हुआ, नीतियों की घोषणा हुई, तो आप नागरिक को यह अधिकार देते हैं या नहीं कि जो भाषण और नीतियां है उनकी आलोचना कर सकें। इसी प्रकार यहां पर नीति संबंधी घोषणायें होती हैं, वक्तव्य होते हैं, तो क्या यह अधिकार नागरिक को प्राप्त है कि उनकी आलोचना कर सकें, इसको भी देखना चाहिये। मेरा निवेदन है कि न केवल आप ही चैम्बर में एडवोकेट जनरल को सुनें बल्कि वह हाउस में आकर हम लोगों की भी जानकारी इस मामले में बढ़ायें।

*श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस आदरणीय सदन में बहस ने एक गलत रुख अख्तियार कर लिया है। इस समय जो बहस हो रही है उसका रुख यह है कि आया एक विशेषाधिकार जो इस सदन का इस वक्त है वह उचित है या नहीं, जैसा मान्यवर ने कहा, इस आदरणीय सदन के वे विशेषाधिकार हैं जो सन् १९५० में संविधान बना उस समय ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के थे। मैं आपकी आज्ञा से मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस से एक उद्धरण पढ़ना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सदन में जब कोई माननीय सदस्य अपनी बुद्धि, विवेक और जानकारी के आधार पर कोई स्पीच देंगे, उसके सम्बन्ध में बाहर किसी अखबार में कोई भी बात निन्दनीय छपेगी जिससे उसकी आलोचना की बू भी आती हो तो निश्चित रूप से उस आदरणीय सदन का अवमान होगा और उस सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना होगी जो दायरा हमारे विशेषाधिकार का स्थित है उसमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार न तो एडवोकेट जनरल को है, न किसी को है। माननीय चन्द्रभानु गुप्ता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी तो बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने विशेषाधिकार को सीमित करने की बात कैसे कह दी हूं में श्रीमन्, आप के सामने मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस (पंद्रहवां एडीशन के पृष्ठ १२५) से पढ़ना चाहता हूं–)

"*Reflections upon members*—Analogous to molestation of Members on account of their behaviour in Parliamentare speeches and writings reflecting upon their conduct as Members. On-26 February, 1701 the House of Commons resolved that to print or publish any libels reflecting upon any member of the House for or relating to his service therein, was a high violation of the rights and privileges of the House(*a*).

"Written imputations, as affecting a Member of Parlament, may amount to breach of privilege, without, perhaps, being libles at common law" (b) but to constitute a breach of privilege a libel upon a Member must concern the character or conduct of the Member in that capacity. and the conduct or language on which the libel is based must be actions performed or words uttered in the actual transaction of the business of the House'.

श्रीमन्, यहां पर दोनों तकरीरें आधारित हैं यहां की तकरीरों पर और वह तकरीरें कार्यवाही का अंग बन चुकी हैं। श्री डी० पी० बोरा ने जो शिकायत की है उसके बारे में यहां कहा गया है कि श्री डी० पी० बोरा न झूठ बोला है। जो माननीय सदस्य ने उधर से कहा है वह सत्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरिट्स पर न जाइये।

श्री शिवराजसिंह—

आपकी रूलिंग श्रीमन्, शिरोधार्य है, किन्तु जब कभी किसी बाहर के व्यक्ति के संबंध में विशेष धिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जाता है तो आप उससे पूछते हैं कि क्या यह सही है या नहीं, तुमने यह स्टेटमेंट दिया है या नहीं आदि। श्रीमन्, आपने कुछ तर्क भी दिये, उन तर्क से मैं सहमत हूं, किन्तु यह ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के विरुद्ध है। वहां की पद्धति में वहां, यदि मेम्बर के संबंध में प्रश्न है, तो मेम्बर से पूछा जाता है कि यह सही है कि नहीं, और अगर किसी स्ट्रेन्जर के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जाता है तो उस अखबार की खबर के आधार पर ही विशेषाधिकार की अवहेलना की कार्यवाही शुरू कर की जाती है और अगर वह दौरान कार्यवाही गलत साबित होती है तो कन्डेमनेशन नहीं होता।

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस से आगे पढ़ता हूं—

"Where in complaints have been made that, according to a report in a newspaper, defamatory statements concerning the House or some Member have been made at a meeting, public or other, or that threats have been uttered against a Member, the House has sometimes resolved that the words or other act reported to have been spoken or done constitute a breach of privileges of the House....."

श्रीमन्, महज अखबार में छपना काफी है और कमिटमेन्ट से पहले पूछा जाता है। हम कमिटमेन्ट ही न करें, उनसे पूछना यह ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी पद्धति के विरोध में है, यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, एक प्वाइन्ट आफ आर्डर में आपकी इजाजत से करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे नियमों में है कि इस सदन में कौन-कौन लोग बोल सकते हैं। उसके साथ दिया हुआ है कि इस सदन के साधारण सदस्य बोल सकते हैं जो चुनकर आये हैं या जो नामजद हुए। मंत्रि-परिषद् के सदस्य चाहे इस सदन के हों या विधान परिषद् के हों वे बोल सकते हैं। उसी तरह से मान्यवर, जो एडवोकेट जनरल हैं उनको भी इस सदन में हाजिर होने का और आपकी इजाजत से बोलने का अधिकार प्राप्त है। इसमें दो राय हैं ही नहीं। यह तो व्यवस्था है लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं वह यह कि जब इस प्रश्न की चर्चा आये तो आप कुछ इतना ज्यादा समय इसमें दें कि लोग पढ़ भी सकें और विस्तार से चर्चा हो जाय ताकि सारे मेम्बरान रोज रोज इन प्रश्नों को उठायें तो उन नियमों का ध्यान रक्खें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका सजेशन एक्सेप्ट करता हूं।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। माननीय त्रिपाठी और राय साहब ने एक बात उठाई। बात यह है कि पहलू बहुत गम्भीर है। मौलिक अधिकारों से सम्बन्ध रखता है। लेकिन कब दूसरों से राय लेने की आवश्यकता पड़ेगी, उस वक्त जब आप निर्णय न ले सकें। आप ऐसी लीगल गुत्थी उसमें समझते हैं, बड़ी ही कठिनाई अनुभव करते हैं, इसका जो निर्णय देंगे वह सही होगा या नहीं। आपने कहा कि जब बहस होती है या पार्लियामेन्ट के लोग बोलते हैं उनकी आलोचनायें होती हैं तो इसमें बड़ा डिफरेन्स है। आलोचना करना, नेकनीयती से आलोचना करना एक बात है और ऐसी आलोचना करना जो किसी की ईमानदारी पर रिफलेक्शन हो, किसी की इन्टेग्रिटी को रिफलेक्ट करती हो यह दूसरी बात है। इसमें टेक्नीकेलिटी की जरूरत नहीं है। इसमें आप स्वयं निर्णय करेंगे। इसमें जो साधारण नियम दिये हुए हैं उसके अनुसार सदस्यों की प्रतिष्ठा रहती है या नहीं, आप की प्रतिष्ठा रहती है या नहीं, हमारी मर्यादा का पोषण होता है या नहीं, आप स्वयं इस निर्णय पर पहुंच जायें, यही हमारे लिए काफी है और किसी के बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मुझे याद है कि वोट आन अकाउन्ट के बारे में मैंने बहुत विनती की थी कि एडवोकेट जनरल को बुलायें। मेरे उस आर्गूमेंट के बल पर उसे स्वीकार किया गया और एडवोकेट जनरल को आदेश दिया गया। परन्तु आपने समझा कि उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस रूलिंग के बारे में नत मस्तक हूं। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब आप स्वयं निर्णय लें। जब लीगल टेक्नीकेलिटी हो या आन मर्यादा को धक्का लगने का अन्देशा हो तो आप स्वयं निर्णय लें।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

मेरे मित्र सहयोगी श्री शिवराजसिंह और माननीय नेता जनसंघ ने जो मैं कहना चाहता था, वह सभी कुछ कह दिया। मैं बहुत मुख्तसरन दो ही बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि फ्रीडम आफ स्पीच हमारा अधिकार है और उस पर बाहर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता जिससे सदन के कान्डक्ट पर असर या धक्का आता हो। कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता यह एक ऐसी निर्विवाद बात है जिसमें किसी बहस की यहां जरूरत नहीं है और एडवोकेट जनरल को तकलीफ देने की जरूरत नहीं थी। जैसा कि मेरे किसी मित्र ने कहा जिसके ऊपर माननीय गुप्ता जी की तरफ से इस तरह का सवाल उठा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा प्रिविलेज क्या है इसको तय करने का प्रिविलेज भी इसी हाउस का है। चाहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ एडवोकेट जनरल कहें। आप अलाहिदा कोई मशविरा कर लें वह दूसरी बात है। मैं गुजारिश करूंगा कि यह इतना सरल मामला है। लेकिन एडवोकेट जनरल बहस करे वह यों बेकार हो जाता है कि प्रिविलेज हमारा क्या है इसका अन्तिम निर्णय करने का अधिकार आपको है। इसलिये आवश्यकता उसकी नहीं उठती।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह मामला इतना अहम है और जितना माननीय नेता विरोधी दल ने आसान बताया है, मैं समझता हूं, यह बहुत ही गलत है। भाषण की स्वतंत्रता कितनी हो, इसकी सीमा क्या हो, मेरे विचार में आपको तय करनी है। एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है कि जैसे किसी आदमी को कहा जाय कि तुम्हें खाना खाने का अधिकार है, इस प्रश्न पर आप को विचार करना है। मैं समझता हूं कि महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) को बुलाना चाहिए। कोई बाइंडिंग नहीं है कि जो वे कहेंगे, वह यह सदन स्वीकार ही करेगा। यह उनकी केवल सलाह होगी। एक बार नहीं कई बार विशेषाधिकार के मामलों में उनको सुना गया है और उनकी जो सम्मति हुई उसे माना भी है और नहीं भी माना है लेकिन अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिये एडवोकेट जनरल को बुला लेना कोई अभूतपूर्व बात नहीं होगी। मैं तो सिर्फ श्रीमन्, इतना कहना चाहता था कि आपको भी अपनी सहायता के लिए विशेषाधिकार समिति निर्मित करनी पड़ती है। जब तक इस मामले में पूरी तरह से या पूरी छान बीन न कर लें तब तक किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल और माननीय जायसवाल जी, जो इस समय बहुत परेशान हो रहे थे और मुझे और सब किसी को कहने का अधिकार होना चाहिए कि प्रागदर्शन में बनता है या नहीं। इस मामले में कोई जल्दी की आवश्यकता नहीं है। अगर यह हो कि हमारे कामों की कोई आलोचना जनता में हो ही नहीं सकती तो मुझे ऐसा लगता है कि सब बे लगाम हो जायेंगे। एक लगाम, एक सीमा हमारे कार्यों की होनी चाहिये जिस सीमा के बाहर हम जनता के विरुद्ध कुछ न कह सकें। मिसाल के तौर पर श्री शिवराज सिंह जी ने एक बयान में कह दिया कि बदायूं में ५०० आदमी हिन्दु-मुसलमान दंगे में मरे हैं। यह बयान तो छप गया अखबारों में। अगर कोई बाहर का आदमी इसको डिनाई न करे कि माननीय शिवराज सिंह जी ने झूठ नहीं बोला, कोई बल्वा नहीं हुआ तो उससे क्या स्थिति होग अगर एक आदमी यहां पर झूठ बोलेगा या इस तरह से कोशिश करता है तो जनता को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वे उसके बारे में कह सके।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि जो विषय आज माननीय बोरा जी ने उठाया था, वह एक साधारण सा है। इसमें हम बहस में दूसरी ओर चले गये.....

श्री त्रिवेनी सहाय (जिला बदायूं)—

श्रीमन, मैं माननीय रियासत हुसैन जी से पहले खड़ा हुआ था पर मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

*श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय है। हम लोग दो, दो लाख आदमियों के प्रतिनिधि हैं और अपने विचार भिन्न इश्यूज पर यहां रखते हैं। कुछ इस सदन के कन्वेंशंस तथा ट्रेडीशंस भी हैं जिनका कि हम को और आप को तजुर्बा है। हम जो कुछ यहां कहते हैं वह एक प्रिविलेज्ड स्टेज में कहते हैं। हम को सब कुछ कहने का अधिकार है लेकिन इसके यह मानी नहीं है कि हम जो चाहें वह कह डालें और उसी प्रिविलेज की आड पकड़ कर बाहर हमारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

किसी बात पर कोई टीका टिप्पणी न हो। अगर बाहर जो दो लाख आदमी हैं, जिनके हम यहां पर प्रतिनिधि हैं, उनको यह अधिकार नहीं मिलता है कि हम यहां जो चाहें कह डालें लेकिन उसके ऊपर वे अपने विचार अथवा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते तो इसके मानी यह होंगे कि हमारी अपनी एक किस्म की डिक्टेटरशिप उन दो लाख आदमियों पर हो जायगी। अच्छाई बुराई की छानबीन करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने हम को यहां चुन कर भेजा है। इसलिये मैं समझता हूं कि आप अपनी मदद के लिये एडवोकेट जनरल से मशिवरा कर लें वैसे यों ही आपने काफी दिनों अध्यक्षता की है इस सदन की और आप को काफी तजुर्बा है। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में और इस हाउस में जो कुछ विचारा लोग जाहिर करते हैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने का पूरा अधिकार सूबे के नागरिक को होना चाहिये। यह हमारा प्रिविलेज है कि बाहर का नागरिक अपने विचार प्रकट करने से हमको न रोक सके और किसी कोर्ट आफ ला में हमारे कथन को चैलेंज न किया जा सके। लिहाजा बाहर के नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुये आप अपना निर्णय दें।

*श्री त्रिवेनी सहाय—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने आये हैं उनको प्रस्तुत करते समय आपने एक वाक्य का प्रयोग किया था कि यह प्रश्न बड़ा ही गम्भीर है और इसमें पत्रकार को क्यों न शामिल किया जाय? इस वाक्य को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि आप ने उसकी गम्भीरता को अनुभव किया और तभी आपने इस प्रकार के विचार व्यक्त किये। उसके बाद मुझे यह आशा नहीं थी कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यह कहने का दुस्साहस करेंगे कि इसमें आपको सुझाव देना चाहिये। सदन में अध्यक्ष महोदय को विचार स्वातंत्र्य तथा भाषण स्वातंत्र्य नहीं होगा तो कैसे सदन में कार्य सम्पादित किया जा सकता है? लिहाजा विचार स्वातंत्र्य का अधिकार तो मिलना ही चाहिये।

जहां तक रूलिंग का ताल्लुक है लोक सभा तथा विधान सभाओं की रूलिंग्स आप देख लीजिये। इस तरह के विचार व्यक्त किये जाते हैं बाहर तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। भारतीय क्रान्तिदल के सदस्य ने केसेज पढ़ कर सुनाये। इस तरह के केसेज और विधान सभाओं में भी हुए हैं और इंटेंशन के आधार पर जब क्रिटिसिज्म बाहर होता है तो हमें पूरा अधिकार है उस पर ऐक्शन लेने का और मैं इसी आधार पर एक उद्धरण पेश करना चाहता हूं "ला आफ पार्लियामेंटरी प्रिविलिजेज इन इंडिया" के पृष्ठ २५८ से जिसमें यह दिया है:

"Madras Mail editorial casting reflections on and imputing motives to Members—

A privilege motion was made in respect of an editorial (dated 10th March, 1961) under the caption "The Madras Police" The offending passage read—

The police are part of the permanent services, carrying out their duties loyaly. It is quite probable that there may be among them, as in other walk of life, a few black sheep; but to allege, as Mr. Ahbazaghan did in the Assembly, that the police have failed to do their duty by the people in general and the opposition parties in particular is trying to malign a force that had done its best.....

और जो फाइंडिंग दी प्रिविलेज कमेटी ने वह मैं सुना देता हूं—

"The Committee of Privilege held that the editorial crossed the reason of fair criticism and was a clear breach of privilege."

प्रिविलेज कमेटी ने कहा कि यह क्लियर ब्रीच आफ प्रिविलेज है। जो आज प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं कहना चाहता हूं कि यह क्लियर ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें ऐडवोकेट जनरल की राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे दुःख होता है जब हमारे माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जिस समय यहां लक्षानुदान प्रस्तुत किया गया था यह कहा था कि एडवोकेट जनरल की राय ले ली जाय तो उस समय उसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी। उस समय कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है। लकिन जब आप को पूरा अधिकार है कि फैसला देने का तब कहा जाता है कि ऐडवोकेट जनरल को बुलाया जाय ताकि यह मामला टलता जाय। मैं चाहता हूं कि यह प्रिविलेज का मामला स्वीकार किया जाय और इस पर कार्यवाही की जाय।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

मान्यवर, प्रश्न के दो अंश हैं, एक विचारात्मक और दूसरा व्यक्तिगत। जहां तक सदन की विचारात्मक कार्यवाही का प्रश्न है उस पर हमशा पत्रकार टीका टिप्पणी करते रहते ह और बाहर के लोगों को पूरा अधिकार है। विचारों के संघर्ष से एक विचार निकलता है और बाहर के लोगों को हमारे विचारों पर टीका टिप्पणी करन का पूरा अधिकार है। इसमें दो रायें नहीं हैं। इस वक्त जो दो अवमान के प्रश्न आये हैं वह ऐसे हैं जो सीधे सदस्य के भाषणों से सम्बन्ध रखते हैं। एक माननीय सदस्य के भाषण के बारे में किसी ने बाहर टीका टिप्पणी की। किसी सदस्य के भाषण के बारे में झूठा या गलत कहना यह ठीक ठीक सदन के अवमान का प्रश्न है और माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी ने और माननीय शिवराज सिंह जी ने May's Parliamentay Practice कोट किया, इसलिये आप ने कहा कि प्राग्दर्शन में वह हो जाता है। यहां नेता सदन ने जो ऐडवोकेट जनरल को बुलाने की बात कही तो वह तो कानूनी परामर्श-दाता हैं। इसमें कोई कानूनी प्रश्न नहीं है और आपने निश्चय किया है कि किसी के व्यक्तिगत आक्षेप पर जब कोई प्रश्न उठेगा तो सीधे सीधे अवमान है और पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस भी यही कहती है। आप चाहें तो ऐडवोकेट जनरल को आप अपने कमरे में सुन सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि आप की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत ही अनुभवशील हैं। नेता सदन ने जो ऐडवोकेट जनरल को बुलाने की बात कही वह इश्यू को साइडट्रैक करने की कोशिश की है तथा अनुचित है।

श्री अध्यक्ष—

अब इसको समाप्त कीजिये। मैं कह चुका हूं कि न्याय की बात यही है कि पूछ लें। चाहे जो भी टेक्निकेलिटीज में जायं लकिन मेरा एक साधारण सिद्धान्त यह है कि यह निश्चय हो जाना चाहिये कि अमुक आदमी ने ऐसे बयान दिये। अखबार पर ही हम निर्भर कभी नहीं रहते हैं। उसमें जो छपा है वह सही है या नहीं उसको एक तरह से इस तथ्य पर पिन डाउन कर देना चाहिये। क्योंकि प्रिविलेज कमेटी अगर बैठ जायगी तो वह उसको समन करेगी जैसे एक कोर्ट होता है। मैं सिर्फ यह जानने के लिये कि उसने कहा है या नहीं कहा है यह जानने के लिये पूछूंगा। निर्णय तो मैं ही करूंगा। इसमें टेक्नीकेलिटी में जाने की बात नहीं है। यह तो केवल न्याय की बात है क्यों कि भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न तरह से इसको सोचते हैं।

जहां तक एडवोकेट जनरल की बात है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐसा मैं समझता हूं। यह प्रश्न बराबर उठता रहा है और आगे भी उठता रहेगा। यहीं नहीं इंगलैंड में भी उठा है। मैं इसको जानता हूं क्योंकि इसको मैं [illegible]। अखबार यह सवाल उठाते हैं कि [illegible] पार्लियामेंट वालों को विशेष प्रिविलेज क्यों हों जैसा हम आदमी हैं वैसे वे भी हैं इस बिना पर वे हमारे प्रिविलेज [illegible] कहते हैं कि

[श्री अध्यक्ष]

कामन ला में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। यह क्वेश्चन अनेक बार उठता है कि ये लोग तो चाहे जो कह जाते हैं हमारे ऊपर हमला भी करते हैं और अगर हम कुछ कहते हैं तो पकड़ कर सदन में बुला कर स्वयं निर्णय भी लेते हैं। इस प्रकार के जो ऐतराज उठते हैं उनके कारण मैं कहता हूं कि अपने इस अधिकार का हमें बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिये। उसकी लिमिट होनी चाहिये। इसलिये उसके विषय में थोड़ा-सा विचार कर लेने की आवश्यकता है। एक सैन्डीज का केस मेरे सामने आया लेकिन उस बारे में मैं कुछ अपना मत बना नहीं पाया। पार्लियामेंट से भी गलतियां हो जाती हैं। कई हुई हैं जहां पर ऐसे केसेज आ जाते हैं। लेकिन जब किसी कोर्ट के साथ टक्कर हो जाती है तब तो और भी टिकलिश प्रश्न हो जाता है। कहा गया कि एडवोकेट जनरल को न बुलाया जाय। इसमें क्या हर्ज है। फैसला तो मैं ही करूंगा चाहे वे कुछ भी कहें। वह भी सही कहते हैं या नहीं इसको तो मैं ही जज करूंगा। यह तो मेरी ड्यूटी है। जब यह सवाल प्रिविलेज कमेटी में चला जायगा तो वे भी वहां एडवोकेट जनरल को बुला सकते हैं। एडवोकेट जनरल यहां सदन को भी एड्रेस कर सकते हैं। एक सदस्य ने कहा कि अच्छा होगा कि वे हमें ऐड्रेस करें। मैं भी उसको पसंद करूंगा यदि सदस्यों की ऐसी राय होगी। (आवाजें नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है।) आप लोग नहीं चाहेंगे तो मैं उसकी विशेष आवश्यकता महसूस नहीं करूंगा। लेकिन उनको कन्सल्ट कर लेना मैं उचित समझता हूं क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न रोज रोज उठते ही रहेंगे। इसलिये यह अच्छा होगा अगर इस बात का फैसला एक बार हो जाय कि हमारे विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की क्या सीमा होनी चाहिये और बाहरी व्यक्ति को कुछ कहने की आजादी है या नहीं। प्रिविलेज का मतलब यही है कि हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही किसी कोर्ट में नहीं हो सकती है लेकिन यह भी देखना है कि क्या पब्लिक को इस बात का प्रिविलेज है कि यहां कोई उनके खिलाफ कोई असत्य बात भी कहता है तो वे कह सकें कि वह सही है या झूठ है। किसी बाहर वाले के दिल में ही यह बात आती है ऐसी बात नहीं है स्वयं माननीय सदस्यों के दिल म यह बात उठती है फिर बाहर वालों के क्यों न उठे। और जब यह चीज किसी के दिल में उठती है तो मैं कहता हूं कि एक दफा इस की लिमिट तय हो जानी चाहिये ताकि लोगों को यह भ्रम न रहे कि उनके साथ कोई अन्याय किया गया है। हमारे तो प्रिविलेज छीनते चले जा रहे हैं और अपने प्रिविलेज को बढ़ाते जा रहे हैं। यह जनता के दिल में शंका इस सदन के बारे में न उठ सकें इसका विचार हम को करना है। हम आपकी भी सलाह लेंगे और जो भी सलाह देना चाहेगा उसकी सलाह भी लेंगे। किसी बड़े वकील की सलाह भी ली जा सकती है। सबको सुनने के बाद जो भी फैसला होगा, वह मैं दूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, इस पर सारे सदन में एक दिन बहस करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह तय हुआ था कि विविध विषयों पर एक घंटे से अधिक चर्चा न होगी। इसलिये अब इसको खत्म किया जाय।

१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—शिक्षा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब शिक्षा के बजट के ऊपर विचार प्रारम्भ होगा।

---

†६ अगस्त, १९६९ की कार्यवाही से।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार प्रगट करने से पहले एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आजकल दल बदलुओं का जोर बढ़ता चला जा रहा है और दल बदलू के कारण जनता खतरे में है। जितनी भी कार्यवाही यहां पर हो रही है और जितनी भी बाधायें आ रही हैं वे सब इस सदन में आपके नेशनल हैराल्ड के कारण हो रहा है। कल जब मैं यहां पर भाषण कर रहा था तो मेरे बारे में निकाला गया है "लक्ष्मण स्वरूप जनसंघ" इस प्रकार की गलत बयानी से जनता को गुमराह करना कहां तक उचित है? मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रेस रूम से नेशनल हेराल्ड का बहिष्कार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि किस प्रकार से आज सरकार का शिक्षा के ऊपर नियंत्रण नहीं है। आज जो प्रशासन के कार्य में बाधायें उत्पन्न हो रही हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि शिक्षा के ऊपर सरकार का नियंत्रण न हो कर राजनीतिक नेताओं का है जिन्होंने शिक्षा संस्थाओं को व्यापार का अड्डा बना रखा है और वे जनता तथा विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। उनको अपना टूल बनाते हैं और हड़ताल करवा देते हैं, अनशन करवा देते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। चाहे बजट ४९ करोड़ के बजाय कितना ही ज्यादा क्यों न कर दिया जाय लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति नहीं हो सकती है, विकास नहीं हो सकता है जब तक कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और व्यक्तिगत संस्थाओं का बहिष्कार नहीं होगा।

मैं कल भी कह रहा था कि बनारस विश्वविद्यालय के संबंध में गजेन्द्रगडकर कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि जितनी हड़तालें हुई हैं उनका मुख्य कारण राजनीतिक नेता रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर आदि विश्वविद्यालयों में जो हड़तालें तथा अनशन होते हैं वे न विद्यार्थी करते हैं और न टीचर्स ही करते हैं बल्कि राजनीतिक नेता लोग कराते हैं। वे लड़कों को भड़काते हैं, टीचर्स को टूल बना कर हड़ताल कराते हैं। डी० ए० वी० कालेज में एक ही व्यक्ति का नियंत्रण है, कितने महान हैं और कितना अच्छा प्रशासन है, ८० प्रतिशत नियुक्तियां वहां जातीयता के आधार पर होती हैं। इसके अतिरिक्त माध्यमिक परिषद् यू० पी० बोर्ड का नियंत्रण भी उनके हाथ में है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा की उन्नति तथा विकास हो सकता है। इसके लिये जरूरी है कि राजनीतिक नेता अपने ठंडे दिल से सोंचे कि हम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लेकिन उनके पास इसके लिये समय नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो वाइस चांसलर की नियुक्तियां होती हैं वे भी राजनीतिक तथा जातीयता के आधार पर होती हैं। क्या इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षा की उन्नति तथा विकास हो सकता है? प्रशासन की दृष्टि से देख लीजिये। यहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठे हैं। वे रात-दिन परेशान रहते हैं। कभी ट्रांसफर के लिये, कभी प्रमोशन के लिये, इस प्रकार की समस्यायें उनके पास आती रहती हैं। कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक नहीं हो सकता है। फिर कहा जाय कि एडमिनिस्ट्रेशन दोषी है। इसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है? विद्यार्थी, टीचर्स तथा सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसकी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। चाहे उस पक्ष के हों या इस पक्ष के हों। शिक्षा का उत्थान तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना को अग्रसर करना नहीं होगा। शिक्षक का कार्य शिक्षा देने का है और विद्यार्थी का कार्य शिक्षा प्राप्त करना है। प्राचीन काल का इतिहास साक्षी है, विदेशों से बहुत से व्यक्ति भारतवर्ष में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। सम्राट सिंहासन से उतरकर शिक्षक के सामने खड़ा हो जाता था। आज शिक्षक की क्या दशा है? इसका मुख्य कारण कुछ राजनीतिक नेता हैं।

[श्री लक्ष्मण स्वरूप]

अध्यक्ष महोदय, एग्जामिनर्स की नियुक्ति कैसे होती है ? ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं, जो अध्यापक उस विषय को पढ़ाता नहीं, उस विषय की कापियां उसके पास भेज दी जाती हैं। कोई भी अध्यापक उन कापियों को लौटाना नहीं चाहता क्योंकि अगर वह लौटा देता है तो पता नहीं दूसरी कापियां उसके पास आएं या न आएं। वह सोचता है कि लौटाने से तीन-साढ़े तीन सौ रुपये की हानि होगी। इस प्रकार विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता है। एक मेरा सुझाव यह है कि जिस समय एग्जामिनर्स की नियुक्ति की जाय, उस समय इस बात की आवश्यकता नहीं है कि यह देखा जाय कि पांच साल का अनुभव हो, बल्कि यह देखा जाय कि वह अध्यापक उस विषय को पढ़ा रहा है या नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि जिस विषय को मैं पढ़ाता हूं, किसी भी विद्यालय में पी० एस० डी० के कमांडर मिलीटरी साइंस नहीं पढ़ाते, जब कि मिलीटरी साइंस के एग्जामिनर केवल उसी विभाग के हैं। जो अध्यापक किसी विषय को नहीं पढ़ाता, उस विषय की कापी वह कैसे जांच सकता है ?

दूसरी बात यह है कि यह जो एन० सी० सी० और पी० एस० डी० है यह देश के लिये अभिशाप है। इस पर जो रुपया खर्च किया जाता है, वह व्यर्थ जाता है। न उचित टाइम पर परेड होती है, न उचित रेफ्रेशमेंट मिलता है। केवल कागज पर टाइम टेबिल उतार कर भेज दिया जाता है। कुछ नहीं होता है। किसी कालेज में निरीक्षण कर लीजिये।

दूसरी बात बताने जा रहा हूं। टेक्निकल एजूकेशन में आप देखेंगे दिन पर दिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। इंजीनियर्स की मिसाल है। हिन्दुस्तान में ६० हजार इंजीनियर्स गत वर्ष बेकार थे, आज एक लाख हैं। आप उनकी तरफ भी देखें। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि गांधी जी ने भी लड़कों का प्रयोग किया था। देश की स्वतन्त्रता में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उस समय लड़ाई विदेशी सरकार से थी। सोचना होता है कि आज हड़ताल होती है, तो किस की सरकार है ? गांधी जी ने अपने प्रति, अपनी सरकार के प्रति इस प्रकार के आन्दोलन करने को नहीं कहा था। तो हमको यह देखना है कि हम किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल कर सकते हैं, अपने अध्यापकों को सुविधाएं दे सकते हैं, किस प्रकार शिक्षा का उत्थान हो सकता है ? इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल राजनैतिक क्षेत्र में अपने स्वार्थ की सिद्धि की जा रही है और इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। मैं यहां पर टैक्निकल एजूकेशन, उरई का उदाहरण देना चाहता हूं, वहां पर एक टैक्निकल स्कूल है, जो एक करोड़ की लागत से बना है। वहां सिर्फ ३२ लड़के पढ़ते हैं और ५० टीचर्स हैं। मान्यवर, अनुमान लगाया जाए ५० अध्यापकों पर कितना खर्च है और ३२ लड़कों को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है। वहां पर यह स्कूल राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर खोला गया है, क्योंकि एक काफी प्रभावी मंत्री जी उस क्षेत्र के हैं वह उस क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा की क्या हालत होगी, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास होगा ? शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है और जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। जो कुछ टैक्स के रूप में जनता से वसूला जाता है उसका शिक्षा के बारे में कोई सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग अपने राजनैतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए शिक्षा का विकास नहीं होने दे रहे हैं। आप करोड़ों रुपया शिक्षा पर खर्च कर दीजिए, चाहे जितनी योजनाएं बनाइये, लेकिन जब तक राजनैतिक अधिकारी शिक्षा के क्षेत्र में से अपना हस्तक्षेप करना बन्द नहीं करेंगे तब तक शिक्षा का विकास न सम्भव है न हो सकता है।

श्री महेश्वरदत्त सिंह (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मैं आपका महान् आभारी हूं कि कई दिन तक प्रयत्न करने के बाद आज मुझे बोलने का मौका मिला कि मैं इस बजट के बारे में कुछ कहूं। शिक्षा के बजट का मैं समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है, मैं दो रोज से बार-बार कोशिश कर रहा हूं कि मेरी तरफ आप की नजर जाय. . .

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठ जायं।

श्री महेश्वरदत्त सिंह—

मेरे विरोधी भाइयों ने कई अच्छी-अच्छी बातें कहीं, और उन्होंने कई अच्छे-अच्छे सुझाव शिक्षा के बारे में दिये हैं। कहीं-कहीं उनके भाषण में विरोधी पक्ष की दलगत बात आयी है जिसको सुनकर बाहर के लोगों और सदन के लोगों को भी काफी तकलीफ हुई। इसका मुख्य कारण है, इसकी जिम्मेदारी हमारे विरोधी दल के जो नेता हैं उनके ऊपर है। उसका कारण यह है कि जब यह विरोधी दल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उस समय अपने सिद्धान्त के अनुकूल प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करते। उस समय तो यह देखा जाता है कि कौन से लोग कांग्रेस के विरोधी हैं और जब सिद्धान्त के अनुकूल प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो सिद्धान्तहीन विरोधी लोग चुन के आ जाते हैं। तो उनके मन में भावना तो केवल विरोध की रहती है और केवल कांग्रेस का विरोध ही करते हैं। केवल व्यक्तिगत विरोध की बात रहती है। मैं जिला गोंडा बलरामपुर का निवासी हूं, वह जिला हमेशा से पीछे रहा है इस बजट में किसी भी मद में हमें कहीं भी इस जिले का नाम नहीं दिखाई पड़ता है। मैं, श्रीमन्, कहना यह चाहता हूं कि जैसे यातायात का मामला हमारे सामने है, हमारे उत्तर क्षेत्र में मास्टरों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन उनको दो-तीन दिन घर से स्कूल पहुंचने और स्कूल से घर पहुंचने में लग जाते हैं। इसलिये वहां न लड़के पहुंचते हैं, न मास्टर पहुंचते हैं और कोई पढ़ाई नहीं होती है। हमारे यहां बलरामपुर में एक के० एम० पी० वी० इंटर स्कूल है, जो सन् १८६९ में गांधी जी के जन्म-दिवस के साल बना था, उसको अब १०० साल पूरे हो गये हैं, इस साल वह प्रायः समाप्त होने को है, जब कि उसके मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं और अध्यक्ष उसके डी० एम० हैं। वहां पर ४ मास से अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं वहां पर न प्रिंसिपल है, न मैनेजर है और न कोई प्रबन्ध समिति है। तो जहां पर ऐसी अव्यवस्था स्कूलों की हो, वहां कैसे कुछ काम हो सकता है। इसी तरह से एक बसन्तलाल स्कूल तुलसीपुर में है, उसकी स्थिति भी बहुत खराब है, वहां जनसंघ की तरफ़ से लाठियां इकट्ठा हो रही हैं, अतः वहां पर जल्द से जल्द कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाये। इस प्रकार मेरा अनुरोध है कि जहां और जिलों की बात होती है वहां इस जिले की शिक्षा व्यवस्था तथा दूसरे विकास कार्यों पर भी विचार होना चाहिये। बजट में गोंडा बिलकुल शून्य है, जब हम लोग अपने जिले में जाते हैं मुझ से लोग यह प्रश्न करते हैं कि आप अपनी बात यहां नहीं कर पाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान के० एम० पी० वी० स्कूल और बसन्तलाल स्कूल की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। जहां तक स्कूलों का सवाल है, इनमें समानता नहीं है। गांव के लड़के भी गांव में स्कूलों में पढ़ते हैं और शहरों में भी स्कूलों में लड़के पढ़ते हैं। उनकी दशा आप देखें। उन दोनों में महान अन्तर है लखनऊ में मेरा लड़का कालविन कालेज में पढ़ता है और गांव का लड़का गांव के प्रायमरी स्कूल में पढ़ता है। दोनों की दशा कैसे समान हो सकती है? श्रीमन, गांव के स्कूलों की तरफ़ और उनका स्तर ऊंचा करने की तरफ़ आपको ध्यान देना चाहिये। श्रीमन, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ़ इतना ही कहूंगा कि आप के० एम० पी० वी० स्कूल और बसन्तलाल स्कूल पर विशेष ध्यान दीजिये चाहे आप वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर रखिये या जो उचित समझें करें लेकिन उन स्कूलों को जल्दी चलाया जाय।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन में बोलने का यह पहली बार मौका मिल रहा है और इस अवसर पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके चुने जाने के बाद लोगों ने आपको बधाई दी थी उसे नहीं दुहराऊंगा। सिर्फ़ एक ही बात कहूंगा कि जो किसी ने नहीं कही। आप ने आज से ४६ साल पहले बुन्देलखंड के झांसी शहर में इतिहास का निर्माण किया था। सन् २३–२४ का जमाना था जब आप म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे और वहां आप ने राष्ट्रीय झन्डा समारोह के साथ फ़हराया था। उस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर ने खर्चे के लिये, मुझे याद नहीं कितना था शायद ७५ रु० या ८० रुपये थे पास नहीं किया तो आप ने और मेम्बरों ने अपने पास से पैसा देकर इतिहास निर्माण किया था। आपके चुने जाने के बाद यह बात किसी ने नहीं कही क्योंकि किसी को मालूम नहीं है। यह बहुत पुरानी बात है। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी उन दिनों स्कूल के विद्यार्थी थे और हमारे मुख्य मंत्री जी और इस सदन के नेता श्री चन्द्रभानु गुप्त जी "ला कालेज" के विद्यार्थी थे। किसी को यह मालूम नहीं तो कौन इसे बतलाता।

अस्तु! शिक्षा के बारे में यह जो कटौती का मोशन है मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं समझता हूं कि आज शिक्षा को सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है। आज शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है लेकिन वह नहीं दिया गया। आज से बाईस साल पहले ब्रिटिश जमाने में इस देश में जो शिक्षा की हालत थी आज वह उससे भी खराब है, बदतर है। सन् ४७ के पहले लखनऊ, बनारस और बड़े-बड़े शहरों में अंग्रेजी के माध्यम से कान्वेन्टस में शिक्षा दी जाती थी आज उनमें विद्यार्थियों की संख्या ४०० परसेंट बढ़ गई है यानी आजादी के २२ साल बाद अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है उससे डिनेशनलाइज्ड देशद्रोही तत्व पैदा हो रहे हैं इन स्कूलों में। २२ साल पहले यह प्रगति हुई है। यह एक फ़ैक्ट, वाकया है इसकी तरफ़ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह जो डिनेशनलाइज्ड एलीमेन्ट्स देश में तैयार हो रहे हैं इनको मंत्रि-मंडल एक अध्यादेश जारी करके समाप्त कर दे। यह तभी हो सकता है जब सरकार एक अध्यादेश जारी करके अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों को फौरन बन्द कर दे। यह बहुत जरूरी चीज है।

दूसरी बात यह है कि पिछले २२ साल के अन्दर मैंने तमाम यूनिवर्सिटियों में भाषण दिये हैं। जहां मैं जाता हूं उनसे पूछता हूं कि क्या आप चन्द्रशेखर आजाद के बारे में जानते हैं और क्या आप राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने ४३, ४४ साल पहले जब काकोरी षडयन्त्र का मामला चल रहा था अपना बलिदान किया था उनके बारे में जानते हो तो मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी उनका नाम तक नहीं जानते। तो जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व होम कर दिया ऐसे शहीदों का नामोनिशान पिछले २२ सालों में मिटा दिया गया है, एक इतिहास को समाप्त कर दिया गया है। इसकी तरफ़ सरकार को ध्यान देना चाहिये। शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्रान्तिकारियों, शहीदों और देश भक्तों का नाम जरूर होना चाहिये।

उत्तर प्रदेश जो भारतवर्ष भर में इतना महान् है जिसने राष्ट्र को अब तक के सारे प्रधान मंत्री दिये हैं वही अशिक्षा के मामले में आज सबसे आगे है। आज जो सबसे अग्रणी था वही सब से बैकवर्ड है। इसकी तरफ़ अवश्य ध्यान जाना चाहिये।

प्राइमरी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे रहा है। आप नये-नये विश्वविद्यालय खोलते जा रहे हैं, उनके लिये नई-नई, बड़ी-बड़ी, आलीशान इमारतें बनाते जा रहे हैं। हम इन बिल्डिंग्स को लेकर क्या करेंगे? हमें छप्परों के नीचे, कच्चे मकानों में शिक्षा दीजिये लेकिन आज इतनी बिल्डिंग्स की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हमारे शिक्षा स्तर के बढ़ने की, उसकी तरफ़ ध्यान दीजिये।

विश्वविद्यालयों के बढ़ने के साथ-साथ उसका स्तर नीचे आया है। आज हाई कोर्ट के जस्टिस, जिनका जनता के साथ, शिक्षा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और जिनको कोर्ट में भी वकील लोग माई लार्ड कह कर के ऐड्रेस करते हैं और जो पुराने मुर्दा फ़ाइल देखकर ही जजमेंट्स लिखते हैं।

(इस समय १२ बजकर ५२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

यानी जिनके पास मेरिट्स अपनी नहीं है केवल फ़ाइलों की नकल करके जजमेंट लिखते हैं उनको रिटायर होने के बाद शिक्षा निकेतनों में आप विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाते हैं। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे भारत सरकार ने मेजर जनरल करिअप्पा और मेजर जनरल चौधरी को क्लर्क का काम करने को भेज दिया है। यह ऐसी बात है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिये। बहुत से शिक्षाव्रती लोग हमारे टीचर्स तथा प्रोफ़ेसर्स जिन्होंने शिक्षा कार्य में अपना जीवन दिया है उनको वाइस चांसलर बनाया जाना चाहिये जैसा कि त्रिगुन सेन ने काशी विश्वविद्यालय में साल भर वाइस चान्सलर रह कर दिखा दिया है। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि शिक्षा की जो हालत आज मुल्क में है उसका एक ही इलाज है कि आप पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन करते हैं, शिक्षा का नेशनलाइजेशन पहले होना चाहिये। शिक्षा देश की प्राइमरी जरूरत है, शिक्षा का नैशनलाइजेशन देश की प्राइमरी जरूरत है। उससे शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह कम हो जायगा। यहां रोडवेज का नेशनलाइजेशन होता है, ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइजेशन होता है लेकिन जिस चीज पर देश का भविष्य बनना है भविष्य का नागरिक बनना है उसका नेशनलाइजेशन नहीं होता। शिक्षा का नेशनलाइजेशन होना देश की प्राइमरी नेसेसिटी है।

अभी शिक्षकों को पिछले वर्ष हड़ताल करना पड़ा। मास्टर जो कभी शान्ति-प्रिय समझे जाते थे उनमें से हजारों आदमी जेल गये। उनके लिये महंगाई भत्ता देने का वादा किया गया। गवर्नर रिजीम में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उस वक्त की यह पुस्तक है "प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश", उसमें यह लिखा गया है :—

"The Secondary School teachers have been granted parity in dearness allowance with the Government Servants since 1967."

लेकिन यह रिपोर्ट गलत है। अभी १६ मार्च को जो राज्यादेश निकला है उसमें उस आशा को खत्म कर दिया गया है। शिक्षा संस्थानों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका भी दो-एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं। एक लड़की, जो पी० एच० डी० कर रही थी बनारस में, उसको एक डिग्री कालेज में अप्वाइन्टमेंट मिला। उसकी वहां पर नियुक्ति ४०० रुपये वेतन पर हो गई। जब वह वहां पर कालेज में ज्वाइन करने के लिये जुलाई के दूसरे सप्ताह में गई तो वहां के मैनेजमेंट ने उसको बताया कि तुमको ४०० रुपया पर तो दस्तखत करने होंगे और तुमको दिया जायगा केवल २५० रुपया। वह लड़की वहां से नाराज होकर चली आई। बहुत से स्कूल बहुत सी जगहों पर चल रहे हैं जहां पर उसके मैनेजमेंट ने अपनी कमाई का साधन बना लिया है जो बहुत ही गलत है। यहां लखनऊ में एक कालेज के प्रिंसिपल ने प्राइवेट इन्टरमीडियेट के चार लड़कों से एक-एक हजार रुपया लिया और एक-एक सब्जेक्ट के टीचर ने उन चारों लड़कों से कापी लिखाई और वे चारों फ़र्स्ट डिवीजन में आ गये। यह तभी खत्म हो सकता है जब शिक्षा को नैशनलाइज किया जायगा।

टैक्निकल एजूकेशन के बारे में कहा गया। टैक्निकल एजूकेशन इसलिये देते हैं कि आपको टैक्नीशियन चाहिये और इंजीनियर चाहिये। इंजीनियर तो आप बना देते हैं लेकिन उनके लिये स्थान नहीं है। सरकार के पास कोई प्लान नहीं है वे कहां जायंगे। कोई सोचने का तरीका नहीं है। यहां तक मैंने देखा है कि लड़की के ग्रेजुएट इंजीनियर आज शार्ट हैण्ड सीख रहे हैं

[श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी]

कि कहीं उनको नौकरी मिल सके। शार्ट हैण्ड टाइपिंग सीखकर वह नौकरी करेंगे। आपके टेक्निकल एजूकेशन का यह हाल है। यह इसी वजह से है कि सरकार की कोई सही प्लानिंग नहीं है। फिर भी आज प्लान के ऊपर जोर है। हम अपने यहां टैक्निकल शिक्षा में प्रवीण लोगों को तो पैदा करते हैं लेकिन वह अच्छी तनख्वाह पर बाहर चले जाते हैं और फिर वहां से लौट कर यहां नहीं आते हैं। यहां पर इस प्रकार के साधन पैदा करना चाहिये कि जो यहां से यह ब्रेन ड्रेन आउट हो रहा है वह किसी तरह से बन्द हो। यह तो हमारे यहां बच्चों की नौकरी का हाल है लेकिन जो हमारी नौकरशाही जो सारे प्राविन्स में फैले हुये हैं, उनके लिये क्या शिक्षा दी जा रही है। जवाहरलाल जी आजादी के पहले बड़ी-बड़ी बात कहा करते थे कि जो गलत काम किये हैं उन सबको सजा दी जायगी और उनको लैम्प पोस्ट पर लटकाया जायगा लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से टेबिल पर बैठ कर कम्प्रोमाइज हुआ तो उस समय लिख दिया कि किसी को सजा नहीं दी जायगी। वही वसूल आज तक चला आ रहा है। यह जो नया जमाना बदला है उसमें बहुत सा पुराना स्टाफ काम कर रहा है। यह जो पब्लिक स्कूल और कन्वेंट से निकले अंग्रेजी मीडियम के नौकर हैं, उनके ही बच्चे अफसर बनते हैं। वे सब विदेशी अफसरों की तरह से व्यवहार करते हैं। यह जो नया प्रजातन्त्र का युग चला है इस जमाने के मुताबिक उनका सेटअप नहीं है। उ को यह सरकार क्या शिक्षा दे रही है। वाराणसी में जो महिलाओं का डिग्री कालेज है उसमें महिला टीचरों ने हड़ताल किया था। मैनेजमेंट ने उनके खिलाफ ऐक्शन लिया कि नाराज हो कर उसने अकस्मात जुलाई के सेशन में यह आर्डर दे दिया कि इन्टरमीडियेट क्लासेज यहां नहीं होंगी। मैनेजमेंट ने उसको खतम कर दिया। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की धांधली खतम होना चाहिए। जौनपुर में डिग्री कालेज है। वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के लिए व्यवस्था हो रही थी वह भी बन्द हो गई। क्यों बन्द हो गई समझ में नहीं आता है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

*श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। मैं इस बजट के समर्थन में कुछ थोड़े से अपने विचार रखूंगा। सबसे पहले मैं प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के लिये भी थोड़ी सी बात कहूंगा। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी के डिपार्टमेंट का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि कम से कम मिडिल स्कूल के बच्चों की किताबें एक जिले में जितनी हों उस जिले में एक रहें और कम से कम ५ साल तक चलती रहें ताकि अगर जिले में एक जगह का कहीं बाबू बदलता है तो दूसरी जगह उसे किताबों के झंझट से परेशानी न उठानी पड़े। और ५ साल इसलिये कह रहा हूं, भले ही आप मजाक इसका उड़ायें, कि ५ साल यहां आपकी लाइफ है तो कम से कम उन्हें भी ५ साल तो जिन्दा रहने दीजिये यह भी बहुत मुमकिन है कि गरीब बच्चे दूसरे की किताब लेकर पढ़ सकें। हमको अच्छी तरह से याद है कि हम लोग जब किंग रीडर पढ़ते थे तो वह १५–२० साल पढ़ायी गयी। हिन्दी प्रवेशिका दर्जा तीन में ७–८ साल तक चली थी। अगर ५ साल तक वह किताबें चलती रहेंगी तो बच्चों का नुकसान नहीं होगा और पैरेन्ट्स को इस डिपार्टमेंट से अवश्य फायदा होगा और यह पेरेंट्स के साथ डिपार्टमेंट की बड़ी मेहरबानी होगी।

दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि जरा गरीबों पर मेहरबानी कीजिये। अमीर कहीं भी रहेगा, पढ़ लेगा। वह मिडिल स्कूल की परवाह नहीं करेगा, वह अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजेगा। लेकिन गरीब जिसको मिडिल स्कूल का ही सहारा लेना है वह क्या करे? सब जानते हैं कि दर्जा ६–७ में लड़कों को पढ़ाया नहीं जाता खाली प्रोमोशन दिया जाता है और जानबूझ कर दिया जाता है ताकि उनका स्कूल टूटने न पावे। अब गरीब का बच्चा अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पढ़ने जायगा तो चूंकि जिनकी तरफ़ से वह स्कूल चलाया जा रहा है उनके खेतों में वह काम नहीं कर सकेगा अगर वह पास हो जाय इसलिये गरीब बच्चों को आठवें दर्जे में फेल करना जरूरी है। इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि जो नियम पहले था कि जब कोई भी लड़का हाई स्कूल का इम्तहान दे सकता था, वही नियम लागू कीजिये। यह नहीं कि आठवां पास न करे तो टेन्थ का इम्तहान नहीं दे सकता। बहुत से बेचारे शाम के वक्त चिराग की रोशनी में घरों पर पढ़ते हैं, वह कहते हैं कि हम अरिथमैटिक पास नहीं कर सकते और चूंकि मिडिल पास नहीं किये हैं इसलिये हाई स्कूल पास नहीं कर सकते। इसलिये अगर आप मानते हैं कि यू० पी० गरीबों का प्रदेश है तो गरीबों पर मेहरबानी कीजिये। यह बंदिश पहले नहीं थी, यह इसीलिये लागू की गयी है कि आगे गरीबों के बच्चे न पढ़ें और खेत में और मिलों में मजदूर बराबर मिलते रहें। इसलिये हाई स्कूल में जितने साल उसने छोड़े हैं उतने साल का गैप आप निकाल लीजिये और उनको हाई स्कूल इम्तहान में बैठने का मौका दीजिये।

एक प्रार्थना और करूंगा कि पहले हम लोग गुलाम थे, अब हुए हैं आजाद तो अपने विभाग को सही तौर पर इस्तेमाल कीजिये, खाली एम० ए० इकोनामिक्स पढ़ा कर आप लोगों की मारेलिटी ऊंचा नहीं कर सकेंगे। अमीर का लड़का हमेशा फर्स्ट क्लास आयेगा। गरीब का लड़का चाहे मर जाय लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं आयेगा, यह वास्तविकता है, आप खुद देख लीजिये। कितना ही अच्छा लड़का हो फर्स्ट क्लास की पोजीशन उसी को मिलेगी जिसकी पहुंच होगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप डिवीजन को छोड़ दीजिये, मेरिट को रखिये। यह इम्तहान की पद्धति बदलिये। जब तक इसको नहीं बदलेंगे तब तक एजूकेशन डिपार्टमेंट में आप कोई सुधार कर दें, यह गैर मुमकिन है। अगर मुमकिन होगा भी तो बेकार रहेगा। आपको चाहिये कि डिवीजन तोड़ दें अगर मेरीटोरियस लड़के पैदा करना चाहते हैं।

नाइन्थ क्लास में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो मैथमैटिक्स में कमजोर होते हैं। आपने लड़के-लड़कियों को बराबर कर रखा है लेकिन लड़कियों के लिए मैथमैटिक्स कंपलसरी नहीं है जब कि लड़कों के लिए है। हरेक लड़का तो मिलिट्री में जाता नहीं मैट्रिक पास करके जहां वह बमबारी करेगा। इसलिये कोई लड़का मैथमैटिक्स नहीं लेना चाहता नाइंथ में तो वह उसके लिए कंपलसरी नहीं होना चाहिये कि वह नाइंथ में मैथमैटिक्स पढ़े। मैं फिर कहूंगा कि अगर आप मानते हैं कि यह गरीब प्रदेश है तो अंग्रेजी के टाइम से जो चीजें चली आ रही हैं कृपया उनको बदलिये। अगर आप नहीं बदलते हैं तो हम कहेंगे कि यह बेईमानी है।

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सिलसिले में थोड़ी-सी बात और कहना चाहूंगा। कोई भी चाहे गरीब हो या अमीर हो उसके लिए मुसीबत होती है इम्तहान पास करना। गरीब के लिए ज्यादा होती है। वह जब फेल हो जाता है तो उसका ऐडमीशन नहीं होता। अमीरों का तो हो जाता है हालांकि थोड़ी-सी दिक्कत उनको भी होती है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप पढ़ाई की प्रथा को बदलें। अगर कोई लड़का जिस सब्जेक्ट में फेल हो तो दूसरे साल वह उसी सब्जेक्ट में इम्तहान दे। अभी यह है कि उसे सभी सब्जेक्ट्स में बैठना पड़ता है। इससे यह होता है कि कोई लड़का इस साल ज्योग्राफी में फेल है और मैथमेटिक्स में पास है तो हो सकता है कि अगले साल वह ज्योग्राफी में पास हो जाय और मथमैटिक्स में फेल हो जाय। इसलिए गरीबों की तरफ भी ध्यान दें और उनके लिए सोचें। इससे उनका फायदा होगा। हम नहीं चाहते कि उनके साथ कोई रियायत आप करें। ३३ परसेंट की जगह चाहे आप ३५ परसेंट मार्क्स रख दें। दूसरी जगह आप करते भी हैं। ऊंची क्लासेज में जिस सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसी में उसे इम्तहान देना पड़ता है। अमीरों के लिए कोई बात नहीं, वह तो ट्यूशन रख लेता है और पास कर लेता है। लेकिन गरीब मां-बाप के लिए मुसीबत जरूर हो जाती है। १६-१७ साल में जब गरीब बच्चा फेल होता है तो फिर मां बाप

[श्री सोहन लाल धुसिया]

परेशान होते हैं और कहते हैं कि मजदूरी कर और खा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस विभाग में कुछ सुधार लावें।

मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो देहातों में हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर जो जातीय आधार पर कायम हुए हैं उनमें ९५ परसेंट उसी जाति के टीचर्स क्वालीफाइड रहेंगे और बाकी दूसरी जाति के जितने आयेंगे वे डिसक्वालीफाइड रहेंगे। लेकिन उन इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से। हमें भी कोई गुरेज नहीं है, आप ग्रांट दीजिये। लेकिन जब आप शिड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन देते हैं और हमारा हक है तो वहां भी वह मिलना चाहिये। अगर वह उस प्रोपोर्शन में शेड्यूल कास्ट के टीचर नहीं रखते तो आप उसी प्रोपोर्शन में उनकी ग्रांट काट दें। अगर आप यह नहीं करेंगे तो वह अपने ही कास्ट के आदमी रखेंगे। इसलिये इस चीज को बन्द करने के लिए थोड़ी सी डिपार्टमेंट को ताकीद करें। हमारे यहां एक बस्ती महाजन हायर सेकेन्ड्री स्कूल है। उसके सेक्रेटरी और मैनेजर ने उसको व्यापार का सेंटर बना रखा है। उसको बचाने के लिए एक मुकदमा कायम कर रखा है। हम चाहते हैं कि मुकदमा चलता रहे और डिपार्टमेंट उसको अपने हाथ में ले ले क्यों मासूम बच्चों की जिन्दगी खराब करेंगे।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, एक मिनट और लूंगा। इंटरमीडिएट तक लाखों का नम्बर लड़कों का आता है लेकिन वही लड़के जब एम० एस-सी० में जाते हैं तो उनकी संख्या ३०,३५ कर दी जाती है। साइंस क्लासेज में ३०,३५ लड़कों की संख्या रखते हैं। जब यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ८० परसेंट ग्रांट देता है तो चाहे उससे या बजट में बढ़ाकर आप थोड़ा इस बात का प्राविजन करावें कि कम से कम एक क्लास और खुल जाय ताकि ७०,७० लड़के तो हो जायं।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि जो माननीय सदस्य नजदीक पड़ते हैं उनको मौका बोलने का मिल जाता है लेकिन मैं बराबर प्रयास करता रहा और आपसे भी निवेदन किया लेकिन मुझको बोलने का समय नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—

समय तो सीमित है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

मैं कल से कोशिश कर रहा था कि शायद मेरी तरफ नजर इनायत हो जाय लेकिन बदकिस्मती से मुझे उस वक्त मिला है जब बहुत कम वक्त रह गया। ऐसे वक्त मुझे बोलने की इजाजत मिली है जब कि वक्त बहुत कम रह गया है और शायद मैं काफी वक्त न पा सकूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इसकी कोशिश करेंगे कि जो मैं कहूं उसे वह गौर से सुन लें। वह जमाना तो करीब-करीब खत्म हो चुका है कि जब एजूकेशन को एजूकेशन के वास्ते लिया जाता था। बाप, मां अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कुछ आब्जेक्टिव्स होते हैं, सोसाइटी इनकरेज करती है, कुछ आब्जेक्टिव्स होते हैं, स्टेट फेसिलिटी देती है, कुछ आब्जेक्टिव्स होते हैं। मुझे उन तमाम चीजों को जो मां-बाप के आब्जेक्टिव्स हैं या जो सोसाइटी के हैं उन्हें डिस्कस नहीं करना है। इस वक्त सिर्फ कन्सट्रेट करना है स्टेट के आब्जेक्टिव पर बहस करना है। इत्तिफाक से इस वक्त वह गवर्नमेंट पावर में है जो २० साल से इस सूबे पर ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान पर हुकूमत कर रही है। इस साल में उनके लीडरों ने, उनके खुद मंत्रियों ने बराबर जाहिर किया है कि उनके आब्जेक्टिव्स

क्या है और वह किस तरह की कौम बनाना चाहते हैं। अगर कौम बनाने के आब्जेक्टिव्स में वह सिसियर हैं तो वह एजूकेशन के जरिये से ही बना सकते हैं। अब सवाल यह होता है कि वह क्या-क्या आब्जेक्टिव्स हैं कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट के रहे हैं २० साल से और मौजूदा गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। पहली चीज जो वह चाहते हैं वह यह कि हम तालीम क जरिये आजकल के बच्चों को जो कल के शहरी होने वाले हैं, उनको एक ऐसा शहरी बनावें जो कि न सिर्फ अपने वास्ते फायदेमन्द हों, बल्कि सोसाइटी के वास्ते फायदेमन्द हों, अपने मुल्क के वास्ते फायदेमन्द हों, अपनी कौम के वास्ते फायदेमन्द हों।

दूसरी चीज जो बराबर उनकी और उनके लीडरों की कोशिश रही है वह यह कि बच्चों में सेक्यूलर आउटलुक पैदा हो। तीसरी चीज वह चाहते हैं कि यहां इंटिग्रेशन हो जिससे एक कौमियत बन सके। चौथी चीज वे चाहते हैं कि इस पूरे मुल्क में एक जबान हो जाय जिससे तमाम कौम एक दूसरे के बिलकुल इतना करीब हो कि एक ताकतवर कौम बन सके। पांचवीं चीज जो वह चाहते हैं वह यह कि एसी तालीम हो जिससे पढ़ने के बाद सिर्फ दफ्तरों के सामने, आफिसरों के सामने दरखास्त लेकर हाजिर न हो जायं कि उनको एक जगह दे दी जाय।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और उनकी गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपका जो पैटर्न आफ एजूकेशन है, वह तमाम इन आब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करता है। दो साल से करीब से मुझे देखने का मौका मिला है और मैं पहले ही कह दूं कि मुझे बहुत सख्त डिसएप्वाइंटमेंट हुआ है कि जो पैटर्न आफ एजूकशन यहां चलाया जा रहा है वह उन तमाम आइडियल्स को किल करता है जो हिन्दुस्तान के बराबर रहे हैं, जिसका गांधी जी ने प्रचार किया था, जिसका कांग्रेस के लीडरों ने प्रचार किया था और आज भी जिस वक्त हम लोग मिलते हैं तो गुप्ता जी, त्रिपाठी जी सभी उन तमाम आइडियल्स का प्रचार करते रहते हैं। आज हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में ऐसे सिटिजन पैदा हों जो सेल्फ सेक्रिफाइसिंग हों, जो कंट्री के लिए सेल्फ को मार सकें, उस तरह के आदमी हों जिस तरह के गांधी जी थे, जिन्होंने अपनी जानें देकर हिन्दुस्तान को आजाद कराया। क्या आजकल के स्कूलों में जो तालीम हम बच्चों को दे रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल में दे रहे हैं या यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, हमारे सामने बच्चों के इस तरह के आइडियल्स आ जाते हैं या नहीं? मैंने अभी तक कोई ऐसी किताब स्कूल या कालेज की नहीं पढ़ी है जिसमें उन आइडियल्स को सराहा गया हो या जिनमें उन आइडियल्स का प्रचार किया गया हो? आपने अपने यहां की प्राइमरी एजूकेशन को जिला परिषदों के सुपुर्द कर दिया है। सब जिला परिषदों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वे किस तरह से चल रही हैं लेकिन अपने जिले में मैंने एक जिला परिषद् को देखा है। मुझे ऐसा इत्तफाक हुआ है कि उन स्कूलों को देखूं और उन स्कूलों में जाऊं। मैंने देखा है कि कहीं-कहीं तो अगर लड़के हैं तो मास्टर नहीं और अगर मास्टर हैं तो लड़के नहीं और अगर मास्टर और लड़के दोनों मौजूद हैं तो उनके बैठने की जगह नहीं है। आज करीब एक महीने हुआ, बाराबंकी जिले के एक स्कूल में गया था जिसमें छत गायब थी। दरख्त के नीचे लड़के बैठे हुए थे। उनके बैठने की कोई जगह नहीं थी। लड़के अपने-अपने टाट लेकर आते थे और उस टाट के नीचे उन बच्चों की तालीम होती थी। मैंने यह भी सुना है मगर पूरी तरह जानकारी नहीं है आगे जानकारी की कोशिश करूंगा कि अक्सर ऐसी भी जगहें हैं जहां कि स्कूल, मास्टर और लड़के जिला परिषद् के रजिस्टर के मुताबिक मौजूद हैं मगर मौके पर कोई मौजूद नहीं है। उनके लिए तनख्वाहें निकाली जाती हैं और जिला परिषद् के आफिसर्स खुद उसको खुर्द बुर्द कर देते हैं उनको ले लेते हैं। चौधरी चरण सिंह के समय इस तरह के बदउनवानियों की शिकायत उन तक पहुंचती थी। और उन्होंने एक आडिट पार्टी भी भेजी थी, मगर एकदम से नई गवर्नमेंट आते ही वह आडिट पार्टी वापस बुला ली गई। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ देखता

[श्री मुस्तफ़ा कामिल किदवाई]

था, कि वह इस तरह की बदउनवानियों को दूर करेंगे। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं लेकिन मेरे खून में कांग्रेस से मोहब्बत है और मैं बड़ी उम्मीद से इस पार्टी को देख रहा था इस पार्टी में शायद अब भी उस तरह के देशभक्त मौजूद हों जो उस स्पिरिट में काम करें जिस स्पिरिट में गांधी जी ने किया था मगर एकदम से होता यह है कि अडिट पार्टी खत्म कर दी जाती है और वह लोग जो फायदा उठा रहे थे आज तक उठा रहे हैं।

अपने इलेक्शन के दौरान मैंने देखा कि तमाम स्कूल जिला परिषद के बन्द थे। क्यों बन्द थे? मेरी मुखालिफत करने के लिए और कांग्रेस की हिमायत करने के लिए और जो दूसरे लोग खड़े थे उनकी भी मुखालिफत करने के लिए। वह लोग सुबह से शाम तक कांग्रेस का काम करते थे। कांग्रेस के काम में मुझे कोई एतराज न होता, अगर मेरे जाती कुछ वजूहात की बिनह पर कांग्रेस के खिलाफ न खड़ा होता तो मैं शायद खुद काम करता मगर मुझे अफसोस यह है कि आपने ऐसे लोगों से काम लिया जिन्होंने स्कूलों से गायब होकर आपकी आइंदा नसल को नुक्सान पहुंचाया। स्कूल के टीचर्स पढ़ाने के लिये हैं न कि सियासी परोपैंट के लिए, एलेक्शन की वजह से महीनों बच्चों की तालीम नहीं हो सकी। (लाल बत्ती जलने पर) आप मुझे कुछ वक्त और दे दें।

आप इंटिग्रेशन की और सैक्यूलरिज्म की बात करते हैं। यह इस तरह नहीं होता कि लीडरान उम्दा-उम्दा तकरीरें करें प्लेटफार्म पर, इन आइडियल्स को सिर्फ प्रोसेस करने से काम नहीं चलता इन पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिन लोगों ने पुरानी किताबें पढ़ी हैं उनको मालूम होगा कि दुनिया में बहुत रिफार्मर्स पैदा हुए मगर कुछ ही याद किये जाते हैं। उन रिफार्मर्स को हम याद करते हैं जिन्होंने कुछ प्रोफेस भी किया और उसके साथ उसको प्रक्टिस भी किया। गांधी जी को हम इस वास्ते याद करते हैं कि उन्होंने कुछ प्रोफस किया था और प्रैक्टिस किया और उसके वास्ते जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी दे दी। आप सैक्यूलरिज्म और इंटेग्रेशन पर तकरीरें करते हैं लेकिन करते क्या हैं? मैंने तीन-चार रोज से जो मुजाहरे इस विधान सभा में देखे उससे मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने गुप्ता जी का जो एटीट्यूड देखा है वह इंटेग्रेशन और सैक्यूलरिज्म दोनों को फिल करता है। क्या मानें हैं एक जगह पांच आदमियों का कत्ल हुआ, तमाम पार्टियों के लोग कहें कि यह वाकया इस तरह हुआ और आप कहें कि हमारा सब-इंसपेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह रिपोर्ट करता है यह ठीक है। हम यह जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करायेंगे। क्या इन तरीकों से सैक्यूलरिज्म या इंटेग्रेशन लाने का काम हो सकता है। आप नहीं समझ रहे हैं कि हिन्दुस्तान के नेशनलिज्म को आप अपने रवैये से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपमें से बहुत से लोगों ने हिन्दुस्तान के बाहर इन वाकयात के रिऐक्शन को नहीं देखा होगा। मैं १७ साल तक हिन्दुस्तान का नुमाइंदा होकर बाहर रहा हूं और जब इस तरह के वाकयात होते थे, ऐसे वाकयात जैसे मऊनाथ भंजन में हुये और लखनऊ में हुए हैं, तब हफ्तों मुझको सर नीचे रखना पड़ता था। हफ्तों मैं अपना सर शरमिन्दगी से झुकाये रखता था अफसोस की बात है कि बावजूद इसके कि आपको १९६७ में इतनी चोट भी पहुंच चुकी, एक मर्तबा आप गवर्नमेंट से अलाहिदा भी कर दिये गये मगर तब भी आपके दिमाग में अभी तक यह नहीं आता कि आप जो कुछ कर रहे हैं वह उससे एक यूनाइटेड कौम नहीं बना रहे हैं। न अभी तक (तालियां) आपने सैक्यूलरिज्म को स्ट्रैन्थन किया है और न इंटेग्रेशन की तरफ कोई मुनासिब कदम उठाया। आपने एजूकेशन के जरिये से उस तरह के शहरी नहीं पैदा किये जिस तरह कि आपको पैदा करने चाहिये थे। आज आपके लड़के तालीम पाकर जाते हैं और दफ्तरों के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। आपकी एजूकेशन ऐसी होनी चाहिये कि जिस वक्त लड़का पढ़कर निकले वह फौरन ही ऐसे काम में लग जाय कि जिससे उसकी माली हालत भी बढ़े और कन्ट्री की वेल्थ बढ़े वह खुद सेल्फ अर्नेनिग हो जाय। आपकी अगर यह ख्वाहिश है कि एक जबान हिन्दुस्तान में हो, तो यह ठीक है, आप पूरे हिन्दुस्तान में एक जबान कर सकते हैं और वह होना भी चाहिये। ८५ फीसदी हिन्दुस्तान के रहने वालों की अगर

यह ख्वाहिश है कि हिन्दी पूरे हिन्दुस्तान की जबान हो, आप उसे करिये, मगर उसी के साथ-साथ दूसरी जबानों से भी आपको हमदर्दी होना चाहिये। आपको दूसरे मुल्कों से सबक लेना चाहिये। तमाम दुनिया के मुल्क हिन्दुस्तान की बदौलत आजाद हुए और उन्होंने अपनी ही एक जबान को मुल्क की जबान बनाया, दूसरे मुल्क की जबान को अपनी जबान नहीं बनाया, मगर साथ ही जो उनके अपने ही मुल्क की दूसरी जबानें थीं उनको बिलकुल बरबाद करने की या खत्म करने की कोशिश नहीं की, उनको भी हर तरीके से इन्करेज किया। मुझे खुशी है और मैं मंत्री जी को मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने उर्दू जबान को इनकरेज करने के लिए इस वर्ष बजट में १० लाख रुपये की इनायत की है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि इसके लिए अगर आपने एक कमेटी ही बना दी और उसी पर सब कुछ छोड़ दिया तो सारा पैसा मेम्बरों के T. A. D. A पर ही खर्च हो जायेगा। अगर अब भी वही शर्त रहती है कि यदि ४० लड़के उर्दू पढ़ने वाले होंगे तभी एक उर्दू का टीचर दिया जायगा, तो यह कोई ठीक कदम नहीं होगा। मैं यह गुजारिश करूंगा निहायत अदब के साथ कि जिस तरह से स्कूलों में पहले हिन्दी और उर्दू के टीचर्स होते थे उसी तरह अब भी होना चाहिये। आप हिन्दी को बी० ए० तक कम्पलसरी कर दीजिये, मुझे इसमें एतराज नहीं है, मगर जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं उनको भी आप सुविधा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई---

मैं एक दो बातें, प्वाइंट्स में पेश करूंगा---एक अर्ज यह करना है कि जो सरकारी एड दी जाती है वह २६ मार्च को यानी मार्च के आखिर में, जब कि साल खत्म होता है तब दी जाती है। इससे एडेड स्कूलों में मास्टरों को तनख्वाहें भी हर महीने नहीं मिल पाती हैं। मैं चाहता हूं कि यह एड इन्सटालमेंट्स में ऐडेड स्कूलों को दी जायें।

दूसरी चीज यह कि जो स्कूल रिलीज्यस एजूकेशन देते हैं उनको आप एड नहीं देते क्योंकि आप कहते हैं कि यह सेक्युलर स्टेट है। मैं समझता हूं हम मजहबी स्कूलों की कोई मदद नहीं कर सकते। सरकार मेरे ख्याल में सेकुलरिज्म के मानी समझ नहीं रही है। मैं तो यह समझता हूं कि कोई आदमी तब तक परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक उसको मजहबी तालीम नहीं दी गयी हो। रिलीज्यस एजूकेशन ऐसी चीज नहीं है जो सेकुलरिज्म के खिलाफ हो। अगर आज हिन्दू और मुसलमान उसी तरह के हिन्दू और मुसलमान हो जायें जो पहले थे और सब अपने-अपने मजहब को फालो करें तो हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क हो जाय कि जिसमें सब खुश रह सकें और हम एक दूसरे के साथ और ज्यादा मुहब्बत का बर्ताव कर सकें। मैं इससे इम्प्रेस नहीं होता कि दो आदमी एक साथ खा-पी लेते हैं, मैं ऐसे हिन्दुस्तान का ख्वाब देखता हूं कि जिसमें एक दूसरे के बिना लिहाज-मिल्लत के दिल मिले हों। मैं चाहता हूं कि मेरा आपका और हर मजहब के आदमी के दिल मिलें। वह दिल इसी तरह मिल सकते हैं जिस वक्त हमारे बच्चों को सही किस्म की तालीम शुरू से दी जाय और यह मंत्री जी का काम है। श्रीमान् जी, मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने इतना वक्त दिया। चूंकि और वक्त नहीं है मैं आपकी आज्ञा से बैठ जाता हूं।

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आपने प्रथम बार अवसर दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जीने जो अस्सी करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने शिक्षा जगत में बहुमुखी कार्यों की चर्चा की है, उन्होंने संस्कृत उत्थान की, उर्दू भाषा की, एन० सी० सी० की, प्राविधिक शिक्षा की और अन्य शिक्षा के तरीके हैं उन सबके

[श्री श्रीशचन्द्र]

संबंध में जो बजट में प्राविधान उन्होंने किया है उसके लिये उनको बधाई देता हूं। मेरी कुछ आशंकायें इस संबंध में हैं। मैं उनके संबंध में अवश्य कहूंगा। मैं एक बात नहीं समझ सका कि हम बात करते हैं कि छात्र हमारे राष्ट्र की निधि हैं। पर इस शिक्षा जगत की राष्ट्रीयकरण करने की बात क्यों नहीं सोची जाती? शिक्षा के कई स्तर हैं। जहां तक शिशु शिक्षा की बात है केवल २३ हजार बालक आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा पाते हैं लिहाजा मैं उसके ऊपर कोई विशेष चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वे इतनी कम संख्या में हैं कि इससे प्रदेश को लाभ नहीं होने को है।

मैं दूसरी बात प्राथमिक शिक्षा की करूंगा। मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि शिक्षा विभाग में पहले डाइरेक्टर श्री स्याल साहब ने जो कागजी आंकड़े पैदा किये हैं जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा शत प्रतिशत कही जाती है। पर वे आंकड़े इतने फर्जी हैं कि अगर उन पर जांच की जाय तो यह मालूम हो जायेगा कि हर जिला परिषद् में सौ-सौ, दो-दो सौ अध्यापक अधिक हैं जिनकी कोई आवश्यकता विद्यालयों में नहीं है जिन पर एक कमीशन बैठाया जाय। मैं यह कहूंगा कि इस पर बहुत भारी धन उत्तर प्रदेश सरकार का खर्च होता है। छात्रों के जो आंकड़े बताये जाते हैं वे गलत हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मैं जिला परिषद् का अध्यक्ष रहा हूं, और मुझे इस संबंध में जानकारी है। इसलिये मैं जोर के साथ कह सकता हूं कि इस संबंध में जांच होनी आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि इन प्राथमिक पाठशालाओं में कहा जाता है कि बुनियादी तालीम दी जाती है। बुनियादी तालीम का नाम ढकोसला मात्र है। इस सम्बन्ध में जांच करनी जरूरी है। जब हम कहते हैं कि बुनियादी तालीम है तो शिक्षा में बुनियादी तालीम को महत्व देना चाहिये।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी में उसका शब्द है वेस्टेज। अगर यह देखा जाय कि प्राथमिक शालाओं में एक से पांच तक की कक्षाओं में कितना वेस्टेज हुआ, पांचवीं कक्षा तक पहुंचने में कितने वर्ष लगे। अगर पहली कक्षा में साठ बालक भर्ती हुए तो पांचवीं कक्षा तक वे दस ही रह जाते हैं। यानी साठ में से केवल दस रह जाते हैं कक्षा पांच में। इस संबंध में भी मैं कहना चाहता हूं कि यह वेस्टेज बन्द हो जाय।

एक बात और मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि जिला परिषदों को भवन निर्माण के लिये पच्चीस सौ रुपये दिये जाते हैं। हमारे जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स हैं उन्होंने जिस समय ये स्टीमेट्स बनाये थे वह तो पुरानी बात है। इस एस्टीमेट के आधार पर तीन हजार में भवन बनने की बात थी। आज जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसने अपने स्टीमेट्स तब से पचास या साठ परसेन्ट आगे कर दिये हैं यानी जो भवन तीन हजार रुपये में बनता था वह अब चार, पांच हजार रुपये में बनना चाहिये। लेकिन शिक्षा विभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया और यह कहा जाता है कि भवन ढाई-तीन हजार रुपये में बनेगा। मैं तो कहता हूं कि एक भी भवन नहीं बन सकता।

स्कूल माताओं को मिश्रित स्कूलों में इसलिए रखा जाता है कि वे वहां पर बालिकाओं को लाकर भर्ती करा दें, परन्तु उनको केवल २० रु० प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। आप सोचें कि इस २० रुपये का क्या मूल्य रह गया है? यह इस समय ५ रुपये के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार एक स्कूल माता २० रुपये प्रति माह में अपना जीवन निर्वाह कर सकती है। यह एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। इस संबंध में प्रदेशीय सरकार को विचार करना जरूरी है।

आज प्रदेश में हमारी ९५ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा हेतु प्राइमरी पाठशालाएं हैं, इनके ही अनुपात में हमारे यहां पर जूनियर हाई स्कूल होने चाहिए। चूंकि वांछित मात्रा में ये विद्यालय नहीं हैं अतः हमारी सरकार को इस दिशा में भी प्रगति करनी चाहिए।

जैसा कि आख्या में दिया हुआ है हमारे प्रसार अध्यापकों के पास २०,००० एकड़ जमीन है और इसकी आय लगभग २० लाख रुपया है। अगर इसमें खेती के खर्चे को निकाल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह नगण्य हो जायगी। प्रसार अध्यापकों को इसलिए भी नियुक्त किया

गया था कि वे कृषि के मामले में हमारे किसानों को टेक्नीकल एडवाइस देंगे और खेती के जो आधुनिक तरीके हैं, उनसे उनको अवगत करायेंगे लेकिन वे स्कूलों की जमीन को ही बटाई पर खेती के लिये देते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वे जिला परिषदों के स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन उनका नियंत्रण डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल के अधीन होता है। मैं चाहूंगा कि वे जहां पढ़ायें उनके ही नियंत्रण में हों।

हाई स्कूल की शिक्षा का जहां तक संबंध है हमारे देश को आजाद हुए लगभग २२ वर्ष हो गये हैं लेकिन आज भी जितनी शिक्षा संस्थायें उपलब्ध होनी चाहिए, उतनी नहीं हैं। दूसरे यह भी देखा गया है कि एक जिले की शिक्षा और दूसरे जिले की शिक्षा में भी विभिन्नता है। मेरठ जिले में १८६ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं और हरदोई जनपद में २१ विद्यालय हैं। इतनी डिस्पैरिटी की बात बिल्कुल गलत है। अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो जो खराबियां हैं, वे समाप्त हो जायंगी और जन-संख्या के अनुसार विद्यालय खोल दिए जायेंगे।

कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी के स्तर पर, जो आटोनोमस बाडीज हैं, उनका स्तर बहुत ऊंचा है लेकिन मैं कहता हूं कि इनके अन्तर्गत कुछ कालिजों का स्तर बहुत खराब है। हरदोई में एक डिग्री कालेज है। उसमें जो अनियमिततायें हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि चुनाव में डिग्री कालेज में मैनेजर ने अपने अध्यापकों से पार्टी का चन्दा वसूल करवाया है। जिस अध्यापक से चन्दा वसूल करवाया गया है वह पार्टी है बी० के० डी०। लड़कों को चुनाव की चर्चा में भेजा गया। एक लड़के को २२६ रुपये १० पैसे दिए गए वाउचर नं० १४६ के जरिये, १९ जनवरी, १९६९ को, जिसका नाम श्यामसुन्दर था। इसी लड़के को पोलिंग एजेन्ट बनने के लिए रुपया दिया गया। वहां पर एक श्री एस० एन० त्रिपाठी नाम का एकाउन्टेन्ट और हेडक्लर्क हैं, उनको एलाउंस और तनख्वाह भी दी जाती है लेकिन इनके अलावा वे इसी विद्यालय में पढ़ाई भी करते हैं और इम्तिहान भी देते हैं। यहां के फंड में १०,००० रुपये, ११,५०० रुपये, ५,००० रुपये और ३ १/२ हजार रुपये उस जगह पर लगाये गये हैं जिस भूमि के मालिक कालिज वाले नहीं हैं। मैनेजर अपना टी० ए० और डी० ए० मेन्टिनेन्स एकाउन्ट्स से वसूल करते हैं। इसी मैनेजर ने एक ट्रांजिस्टर कम टेप रिकार्डिंग जो कि स्मगलिंग का था, अपने नाम से लेकर उसको कालेज में दाखिल करके दो हजार रुपये का चेक ड्रा कर लिया। मैनेजर महोदय ने गवर्नर साहब के यहां जो आक्शन हुआ वहां से ८, १० रुपये में मेजें खरीदीं और उन्हीं को विद्यालय में १६ रुपये पर बेच दीं। यह कालेज है केन सोसाइटी नेहरू डिग्री कालेज, हरदोई और मैनेजर हैं श्री मोहन लाल वर्मा। जब बालक राष्ट्र की सम्पत्ति हैं तो शिक्षा का स्तर बदलना चाहिये और उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा पर प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

(श्री अवेद्यनाथ का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गोविन्दसिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मैं निवेदन करूंगा कि डेढ़ दिन से इस शिक्षा के अनुदान पर बहस चल रही है, लेकिन मेरी पार्टी को कोई टाइम नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

एक स्वतंत्र तथा एक हिन्दू महासभा को छोड़ कर किसी भी अन्य पार्टी को समय नहीं मिला है कांग्रेस को छोड़ कर, क्योंकि आधा टाइम तो उसे ही मिल जाता है। अब इधर कुछ सदस्यों की संख्या हम बढ़ा देंगे। फिर इसका समय ढाई बजे तक है इसलिये अगर सदस्य ५,५ मिनट का ही समय लें तो ज्यादा सदस्य बोल सकेंगे।

*श्री अवेद्यनाथ (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र और समाज के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा के महत्व को देख कर ही देश के शिक्षा शास्त्रियों ने और बुद्धजीवियों ने आजादी के पहले और आजादी के बाद देशवासियों को इस बात का आश्वासन दिया था कि देश में प्रचलित शिक्षा पद्धति का भारतीयकरण किया जायगा लेकिन खेद की बात है कि २२ वर्ष के उपरान्त भी इस देश में लार्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति उसी तरह से चल रही है जिस प्रकार से पहले चली आ रही थी। आपको इस बात का ज्ञान होगा कि लार्ड मेकाले ने इस शिक्षा पद्धति को किस उद्देश्य से इस देश में प्रचलित किया था। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों के गुलाम पैदा करना और अपनी मशीनरी को चालू करने के लिये क्लर्क पैदा करना। आज भी देश के प्रमुख बुद्धजीवियों तथा कर्णधारों ने इस बात की बराबर आवश्यकता महसूस की है कि इस शिक्षा पद्धति के द्वारा हम भारतीय नागरिक पैदा नहीं कर सकते हैं लेकिन खेद का विषय है कि सब कहने के बाद भी ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया और इस शिक्षा पद्धति का ही परिणाम है कि आज भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अनुशासनहीनता का साम्राज्य फैला हुआ है। मैं यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब तक देश में यह शिक्षा पद्धति प्रचलित रहेगी आप चाहे भले ही उस पर करोड़ों रुपया व्यय करें लेकिन आप एक भी अच्छा भारतीय नागरिक पैदा नहीं कर सकते। आज आवश्यकता इस बात की है और आपने भी अनुभव किया होगा कि आज विद्यालयों में जितनी अनुशासनहीनता है यह केवल इसलिये है कि इस शिक्षा पद्धति का दोष है। आज राजनीतिक मंच से इस बात की आवाज सुनते होंगे कि तनख्वाह बढ़ना चाहिये। आज अधिकारों की लड़ाई इस देश में चल रही है। जितने अधिकार आप देते जा रहे हैं चाहे वह अध्यापक हो अथवा राज्य कर्मचारी, उतना ही वह कर्तव्यविमुख होता जा रहा है। मैं भी राजनीति में रहता हूं लेकिन हम जानते हैं कि इस देश का कल्याण अधिकारों के देने में नहीं है बल्कि इस देश का कल्याण तभी सम्भव है जब कर्तव्य का ज्ञान उनको कराया। लेकिन आज कौन राजनीतिज्ञ सही बात कहने के लिये तैयार है? कोई तैयार नहीं है। इसलिये कि वह जानता है कि हमको वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन यह देश के साथ महान् गद्दारी होगी यदि हम सही बात न कहें। शिक्षकों को इस बात की चेष्टा करनी होगी, माध्यमिक परिषद् को इस बात की चेष्टा करनी होगी कि किस प्रकार अध्यापकों में अनुशासन आये। यदि इसी प्रकार से अनुशासनहीनता बढ़ती रही तो ये शिक्षा संस्थायें समाप्त हो जायेंगी। जो शिक्षा पद्धति प्रचलित है उसमें जबतक अनुशासन के लिये स्थान नहीं होगा और प्राथमिक शिक्षा उसके अन्दर नहीं होगी तबतक उस शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिक आप पैदा नहीं कर सकेंगे।

मैं संस्कृत की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश में ९० प्रतिशत हिन्दू रहते हैं। उनकी संस्कृति, उनका धर्म संस्कृत भाषा में निहित है। लेकिन संस्कृत आज भी उसी प्रकार से उपेक्षित है जिस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने में थी। मुझे खुशी है कि ७० पाठशालायें विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत खोलने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है। लेकिन आपने यह नहीं बताया कि उन संस्कृत पाठशालाओं में पाठ्यक्रम किस प्रकार रखेंगे। आपने शास्त्री को बी०ए० के समकक्ष रखा है। मगर बी०ए० को तो नौकरी मिल जाती है लेकिन शास्त्री को कोई नहीं पूछता क्योंकि कहीं भी शास्त्री को सेलेक्शन बोर्ड में नहीं रखा गया है। जबतक किसी भाषा के पढ़ने से जीविका का साधन नहीं होगा वह भाषा आपकी जीवित नहीं रह सकती। आपको यह ध्यान रखना होगा कि ९० प्रतिशत हिन्दू जनता की संस्कृति और धर्म को अगर आप जीवित रखना चाहते हैं तो आपको संस्कृत भाषा को बढ़ाना होगा। आप बिहार को देखिये। वहां पर केवल ३०० पाठशालायें हैं लेकिन उनके लिये वहां एक अलग डायरेक्टोरेट बना दिया गया है। लेकिन इस राम और कृष्ण की भूमि में जहां ९०० पाठशालायें हैं वहां उनको आपने केवल एक इंस्पेक्टर के अन्डर रखा हुआ है। इससे नतीजा यह होता है कि माध्यमिक परिषद् और प्राइमरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा के खर्च से, विश्वविद्यालय के खर्च से जो जूठन बचती है वह संस्कृत पाठशालाओं को दान में मिलती है। इससे उनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह उनके लिये एक अलग डायरेक्टोरेट बनायें जिससे संस्कृत भाषा का विकास हो सके और वह जीवित रह सके और हिन्दुओं की संस्कृति जीवित रह सकेगी।

मैं प्राइमरी पाठशालाओं के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। आज इसके संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिये कि वह इनका केन्द्रीयकरण करना चाहती है या विकेन्द्रीयकरण करना चाहती है। आज आप शिक्षा बजट का ५० प्रतिशत प्राइमरी एजूकेशन में खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज सारे जिला परिषदों के अध्यक्षों के राजनीतिक संरक्षण के लिये उनको धन दिया जाता है। आज जिला परिषदों में राजनीति चल रही है। इसलिये सरकार जितना पैसा जनता के टैक्स का खर्च करती है उसको देखते हुये उसकी प्राइमरी पठशालाओं को अपने नियन्त्रण में ले लेना चाहिये, और यदि वह समझती है कि यह बोझा है तो उसे इन्हें गांव सभाओं को द देना चाहिये कि वह इनका प्रबन्ध करें। । मैं समझता हूं कि जिला परिषदों की राजनीति से दूर रह कर प्राइमरी पाठशालायें अच्छी तरह चल सकेंगी।

माध्यमिक परिषद् के संबंध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज हाउस के अन्दर मैनेजमेंट की बहुत आलोचना सुनी। लेकिन मैनेजमेंट का जो कंट्रीब्यूशन शिक्षा के प्रसार में है वह भुलाया नहीं जा सकता। जिन्होंने माध्यमिक स्कूल नहीं खोले वह भले ही आलोचना करें लेकिन जिन्होंने कहीं स्कूल खोले हैं वह जानते हैं कि उसमें कितना परिश्रम होता है। आज मैनेजमेंट को आपने पंगु बना दिया है। आप कहते हैं कि अध्यापक कभी भी नोटिस देकर जा सकता है। बीच सेशन में वह छोड़ कर न जाने पाये इसके लिये आपने मैनेजमेंट को कोई अधिकार नहीं दिया है। उनको पूरे सेशन तक रोकने के लिये कोई अधिकार तो मैनेजमेंट को देना ही चाहिये। इस प्रकार बीच में चले जाने से इंस्टीट्यूशन का अहित होता है।

आपने जो शिक्षा परिषद् बनायी है उसको आपने केवल इलाहाबाद में रखा है। उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को अगर कोई काम होता है तो उसको इलाहाबाद भाग कर जाना पड़ता है। मैं मांग करूंगा कि इसका डिसेन्ट्रेलाइजेशन किया जाय। इसको कई भागों में बांट दिया जाय। पिछले वर्ष ही ८ लाख विद्यार्थियों परीक्षा में बैठे थे। भला इतन विद्यार्थियों की किस प्रकार से व्यवस्था हो सकेगी। ३० हजार विद्यार्थी कापी करने में पकड़े गये हैं। जब इतनी संख्या होगी तो मास-कापीइंग नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इसको चार भागों में विकेन्द्रित कर दिया जाय। उत्तराखंड के लोग मेरठ बड़ी आसानी से आ सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। एक आप गोरखपुर में बना दीजिये।

गोरखपुर में आपने विश्वविद्यालय तो खोल दिया है लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपने केवल २० सीट ही रखी है। उसका नतीजा यह होता है कि एग्रीगेट में ५६ फीसदी और उस सब्जेक्ट में ७५ फीसदी पाने वाले को भी वहां सीट नहीं मिल पाती है। जब कि आगरा में जाकर ४३ एग्रीगेट और ५० प्रतिशत उस सब्जेक्ट में पाने वाले को भी सीट मिल जाती है। आपको यह सुविधा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी अधिक सीट बढ़ा कर देनी चाहिये। आपकी ओर से पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को खोलने की भी व्यवस्था की गयी थी। इसी वर्ष यह आदेश गये हैं कि एम० ए० और एम० एस-सी० की क्लासेज गोरखपुर के १० डिग्री कालेजेज में खोले जायं। इस वर्ष १३ हजार विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं। क्या इतने विद्यार्थियों का प्रवेश वहां सम्भव हो सकेगा? वाइस चांसलर ने यह लिख कर भेजा था कि डिग्री कालेजेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज न हों, इस प्रतिबन्ध को हटा दिया जो, बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए। लेकिन वे कागजात अभी तक सेक्रेटेरियट की लाल फीतासाही में घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या हुआ। और इसी जगह से हजारों लड़कों का भाग्य अधर में ही लटका हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब इसका समय प्रायः समाप्त हो चुका है। अभी मंत्री जी को जवाब भी देना है। अभी माननीय सदस्यगण खड़े हो रहे हैं, इसलिये उनके मन का भी अन्दाज मुझे लग रहा है। इसलिये अगर ३-३ मिनट आप लोग बोलना चाहें तो कुछ अपनी बातों को कहने का अवसर उनको मिल सकता है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)---

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसका संबंध विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष और शांति से है। श्रीमन्, उस संबंध में यह कहना अनुचित न होगा कि कितना भी रुपया विद्यार्थियों की शिक्षा पर क्यों न खर्च किया जाय, लेकिन जब तक आप मौलिक बातों पर खर्च नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा की बढ़ोत्तरी हमारे सूबे में नहीं हो सकती। मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्रीजी से कुछ दिन पूर्व मिला था और मैंने उनके सामने कुछ सुझाव देने का वायदा किया था। उस की पूर्ति में आज मैं उनके सामने एक मेमोरेंडम भी पेश करने जा रहा हूं। इन तमाम बातों के बावजूद जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी दल की ओर से रखा गया है उसके समर्थन में दो तीन बातें मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी अहम समस्या नतीजा देर से निकलने की है। लखनऊ विश्वविद्यालय का बी० ए०, और एल-एल० बी० का नतीजा अभी तक नहीं निकला है। परसों से गैर शिक्षक कर्मचारियों की हड़ताल होने जा रही है। उससे उत्पन्न परिस्थिति के कारण हजारों छात्रों को दाखिला नहीं मिल पायेगा और समस्या और भी बिगड़े हुए रूप में हमारे सामने बन कर आवेगी।

इसी प्रकार से कानपुर विश्वविद्यालय के बारे में भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वहां का एक बहुत बड़ा बंडल कापियों का उन्नाव स्टेशन पर पड़ा हुआ मिला, जिसको कोई लेने वाला ही नहीं था। क्या यही वजह है कि बी० एस० सी० (बाईलोजी) के ३०० विद्यार्थियों में से केवल १९-२० विद्यार्थी ही पास हो पाये हैं। क्या ऐसा तो नहीं था कि विश्वविद्यालय की कापी गायब हो गयी थीं जिसके कारण विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने किसी अनुपात से नंबर दे दिये हों।

इसी कारण से इतने लड़के फेल हुये हैं। इसी तरह से राजकीय विद्यालयों में जो लड़के प्रवेश के लिये जाते हैं उनसे थर्ड क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक के टी० सी० मांगे जाते हैं। जैसे कोई लड़का थर्ड, फ़ोर्थ में कानपुर में पढ़ा, फिर इलाहाबाद में फ़िफ्थ-सिक्स्थ में पढ़ा और इसके बाद कहीं और पढ़ा तो कई जगह से टी० सी० लाने पड़ते हैं तब कहीं जाकर उस लड़के का एडमीशन हो पाता है। विभिन्न जगहों से टी० सी० लाने में बड़ी दिक्कत होती है। इससे एक बड़ी समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि विद्यार्थियों के अशान्ति के मसले को हल करना है तो उसके लिये विद्यार्थियों से सम्पर्क स्थापित करना होगा। उनके नेतृत्व करने वालों को तथा विद्यार्थी नेताओं को मंत्री जी को अपने यहां बुलाकर जानकारी हासिल करनी होगी। आप जनाते हैं कि विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज तथा इंटर और हाई स्कूल्स सब जगह पार्टी पोलिटिक्स चलती है। हर जगह दो ग्रुप्स होते हैं जिससे एक गुट द्वारा दूसरा गुट विक्टेमाइज होता रहता है। इसी तरह से हमारे विश्वविद्यालय में ग्रुप्स हैं जिनकी जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी को भी है। यहां एक प्राक्टर साहब श्री एस० सी० अग्रवाल हैं जिन्होंने हमेशा असमाजिक तत्वों को ही बढ़ाया है और विश्वविद्यालय में अशान्ति पैदा करने की कोशिश की है। मुझे विश्वविद्यालय का १२/१३ साल का अनुभव है। इसलिये विश्वविद्यालय तथा कालेजों और स्कूलों में अशान्ति को दूर करने के लिये यूनियनों के प्रतिनिधियों को मंत्री जी को महीने-दो महीने में अपने पास बुलाकर, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिये और उनकी तकलीफ़ें दूर की जानी चाहिये।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)––

उपायध्क्ष महोदय, जहां तक शिक्षा के विकास का संबंध है माननीय मंत्री जी ने जो शिक्षा का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है वह हमें लगता है कि असामाजिक और अलोकतांत्रिक है और ऐसा बजट है जो प्रदेश में साक्षरता लाने में असमर्थ है। मैं निवेदन करूंगा और मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हर युग में शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य रहा है। पहले मंदिर तथा मस्जिदों में शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद अंग्रेजी जमाने में मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम रखा और अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की गई। लेकिन हमें बड़ा दुख है कि आज स्वतंत्रता के २२ वर्ष बाद भी हमारी सरकार ने अपने देश की जनता को उद्देश्यहीन और दिशाहीन शिक्षा का ही ज्ञान कराया है। मैं माननीय डाक्टर लोहिया जी की उस बात को दुहराना चाहता हूं जो उन्होंने आज से दस वर्ष पहले कही थी कि जब तक हिन्दुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति साक्षर नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। हमारी लगातार तीन पंचवर्षीय योजनायें फेल हो गई हैं जिसको कांग्रेस तथा विरोधी पक्ष के लोग भलीभांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि यहां की जनता साक्षर होती तो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हमारा कल्याण हो गया होता। जिस हिसाब से हमारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार बजट पर व्यय कर रही हैं उससे देश का विकास होना असम्भव है।

श्रीमन्, हमको बताया गया है कि इस प्रदेश में बजट का १८ प्रतिशत शिक्षा के लिये रखा गया है। इसके संबंध में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे प्रदेश का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा के विषय में हम लोगों को बताया गया है कि वह जिला परिषदों के द्वारा चल रहे हैं उनका राष्ट्रीय करण होना आवश्यक है। मैं मंत्री महोदय से बता देना चाहता हूं कि जब तक प्राइमरी शिक्षा सरकार की निगरानी में नहीं होगी तब तक कोई भी विद्यार्थी जो देहात में या अन्य स्थानों में रहता है उसका कल्याण नहीं हो सकता। गरीब विद्यार्थी जो रात का भोजन कर के जाता है और पांच बजे तक स्कूल में पढ़ता है वह कहांतक शिक्षा प्राप्त कर सकता है? तो मैं मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि उन पाठशालाओं को जिला परिषद् से लेकर सरकार चलाए। एक माननीय सदस्य ने इस बात की चर्चा की कि मैनेजमेंट बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है, शिक्षा में। मेरा दावा है कि मैनेजमेंट कोई बहुत कंट्री यूशन नहीं दे रहा है, वह केवल शोषण कर रहा है अध्यापकों का। अगर कहीं भी लिया जाय। अगर उन्होंने कभी कंट्रीब्यूशन किया है तो वह लोग नहीं रहे। जो लोग अब आये हैं शिक्षा को केवल व्यापार समझते हैं और अपना काम चलाते हैं।

मैं केवल दो-एक बातें आपसे कहना चाहता हूं। मातृ-भाषा हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय। विश्वविद्यालय तक की शिक्षा हिन्दी के माध्यम से होनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन करूंगा कि उनको इस बजट को तब तक मंजूर नहीं करना चाहिये था जब तक उनको मंत्रि-मंडल ५० फ़ीसदी बजट का खर्च करने को नहीं देता।

गाजियाबाद के स्कूलों में जो दिल्ली के लड़के पढ़ने आते हैं केन्द्रीय सरकार से उसका पैसा लेना चाहिये क्योंकि गाजियाबाद के विद्यार्थियों को भरती की सुविधा नहीं मिलती है। मैं इलाहाबाद जिले में सिराथू तहसील का निवासी हूं वहां दो-तीन लाख आदमियों की संख्या है और उसमें लड़कियों का केवल एक जूनियर हाई स्कूल है उसे अत्यधिक सहायता मिलनी चाहिये। राधाकृष्णन् कमीशन ने भी रिपोर्ट दी थी कि स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया जाय। जब तक स्त्रियों की शिक्षा नहीं होगी देश का कल्याण नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे समय मिलता तो मैं देश के दो समाजवादी राज्यों में एजूकेशन का क्या विस्तार है, वहां की क्या शिक्षा नीति है, यह बताता।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले माननीय गोविन्द सिंह जी ने कहा कि आपने कम्युनिस्ट दल को कोई टाइम नहीं दिया। तो क्या कम्युनिस्ट दल का मतलब माननीय गोविन्दसिंह हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ढाल का काम व्यवस्था शब्द नहीं कर सकेगा। व्यवस्था क्या चाहते हैं इसको सोच कर तब व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहिये। मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करता हूं।

*श्री गोविन्दसिंह—

मैं कह रहा था कि यदि मुझे समय मिलता तो मैं तुलना करता दो हुकूमतों से। उनकी जो नीतियां हैं वे सामने रखता। आपके दो राज्य वह भी हैं समाजवादी, उनकी शिक्षा नीति क्या है, आपकी नीति क्या है, यह मैं रखता। लेकिन बदकिस्मती यह है कि बहुत कम समय है। मैं माननीय मंत्री जी से एक मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज तक इतने शिक्षा मंत्री रहे, केन्द्र और प्रान्त में। हर मंत्री ने कहा कि शिक्षा की पद्धति खराब है हमारे देश के अन्दर जितनी शिक्षा दी जाती है उन्होंने इस शिक्षा पद्धति की आलोचना की। लेकिन अब तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अब मैं मुख्य प्रश्न पूछता हूं कि आपकी शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। जब अंग्रेज हिन्दुस्तान के अन्दर थे तो वे अपनी नौकरशाही बनाने के लिये उन्होंने देश के अन्दर उस तरीके से शिक्षा संगठित की। लेकिन आज देश आजाद हो गया। देश के सामने आर्थिक विकास की समस्याएं हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये, शिक्षा माध्यम होना चाहिये देश के विकास के सम्बन्ध में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के हल का।

कहा जाता है कि खाद्य का संकट है, खाद्य की पैदावार नहीं बढ़ रही है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपने इस हेतु कृषि शिक्षा के ऊपर कितना धन रखा है, केवल ९५ लाख रुपया। ४९ करोड़ रुपये में से केवल ९५ लाख रुपया कृषि के ऊपर खर्च किया जाएगा तो कैसे कृषि की पैदावार बढ़ सकती है ? नीति की बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपने बत्ती दिखा दी है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की बड़ी बात कही गई, क्या नैनीताल में वह विश्वविद्यालय बनाकर आप पर्वतीय जनता की सेवा कर सकेंगे ? आप कहते हैं कि बजट में लिखा हुआ है कि नैनीताल में बन सकता है, लेकिन वहां पर मंत्री जी जब गये थे तो कहा था कि श्रीनगर में बनेगा और यहां कहते हैं कि नैनीताल में बनेगा। मेरा जिला टिहरी-गढ़वाल, पिछले डेढ़ साल से राजाओं के शासनकाल में रहा है, सामन्तशाही व्यवस्था में रहा है, फिर भी आपने इस जिले के विकास की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में २०८ डिग्री कालेज हैं, हमको आपने कितने दिये ? आपको जानकर आश्चर्य होगा केवल—एक। हाई स्कूल की शिक्षा के पूरे उत्तर प्रदेश में २,८६१ स्कूल हैं जब कि टिहरी-गढ़वाल में लोगों की बदकिस्मती से उनको सरकार ने केवल ९ दिये और उनमें से तीन राजा के जमाने के हैं। जूनियर शिक्षा के सारे उत्तर प्रदेश में ७,२२२ स्कूल हैं, मेरे जिले में टिहरी-गढ़वाल में सिर्फ ७८ हैं। बेसिक शिक्षा के पूरे प्रदेश में ७,९७८ स्कूल हैं और मेरे जिले को कुल ६२६ मिले हैं।

एक सदस्य—

आबादी का हिसाब भी बताएं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्दसिंह––

यह जानना चाहते हैं तो यह भी सुन लीजिये, वहां पर साढ़े चार लाख की आबादी है। आप क्या चाहते हैं कि छोटे-छोटे मासूम बच्चे १०-१० मील जाकर प्राइमरी एजूकेशन लें? तो मेरा निवेदन है कि हमको आप धोखे में मत रखिये। कम से कम यह जो असन्तुलन है विकास का, उसको मिटाने का प्रयत्न किया जाए।

अनेक सदस्य––

हमको भी एक दो मिनट का समय अवश्य बोलने के लिये दें।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)––

उपाध्यक्ष महोदय, आज डेढ़ दिन से इस आदरणीय सदन में शिक्षा के अनुदान पर विवाद हो रहा है। श्रीमन्, हमारे जिम्मेदार माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। इस सिलसिले में हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि प्राइवेट मैनेजमेंट के कारण शिक्षा में भ्रष्टाचार और बेईमानी व्याप्त हो गई है। मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय सदन के अधिकांश सदस्य किसी न किसी संस्था में अध्यक्ष, मंत्री या सदस्य के रूप में हैं। यदि उनका यह कथन सत्य मान लिया जाए कि सारी संस्थाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई हैं शोषण का अड्डा हैं, तो मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन के आधे से अधिक सदस्य उसके जिम्मेदार और भागीदार हो सकते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के गैर–जिम्मेदाराना आरोप लगाना कोई उचित बात नहीं है, उन लोगों के साथ कोई न्याय नहीं है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य जीवन शिक्षा के प्रचार और प्रसार में लगा दिया है।

मैं यह जानना चाहूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी एक, दो बार गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि यह शोषण के अड्डे बने हुये हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार उनको अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती है? उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धकों के संघ की तरफ़ से यह निश्चय किया गया है कि अगर सरकार चाहे तो उन संस्थाओं को अपने हाथ में ले ले लेकिन यह दो तरह का प्रबन्ध नहीं चल सकता है और न चलना चाहिये।

हमारे प्राइवेट स्कूलों के वेतन की समानता की बात कही जाती है, लेकिन उनको जो खेती करने या चुनाव लड़ने की स्वतन्त्रता है, वह स्वतन्त्रता क्या राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को प्राप्त है? उनके लिये तो सर्विस कोड अलग से बना हुआ है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से और आपकी सरकार से सजेस्ट करूंगा कि वे इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों को रोकें। यदि आप चाहते हैं तो उनका सरकारीकरण कर दें। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने जिला परिषदों में भ्रष्टाचार की शिकायत की है और कोआपरटिव्स में भ्रष्टाचार की शिकायत है कि इनको भी आप समाप्त कर दीजिये या उनका सरकारीकरण करके नौकरशाही के हाथ में दे दीजिये और आप आराम करें।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है। मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। कल से इस पर चर्चा चल रही है और माननीय मंत्री जी ने भी देखा होगा कि सारे लोगों ने इस बात को अभिशाप बताया है कि इस प्रदेश में दो तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है। एक तो किन्डर गार्टन या कान्वेन्ट की व्यवस्था है और दूसरे गरीब लोगों के बच्चों के लिये शिक्षा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चेतराम गंगवार]

की जो व्यवस्था है---इसमें आप सुधार करें। मेरी यह समझ में नहीं आता---क्या यह कोई रोग है या आप में खून नहीं है या क्या हो गया है। जिन लोगों के वोटों पर आप चुन कर आये हैं, जिनके बल पर सारी गवर्नमेन्ट बनी बैठी है, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता था कि इस सारी पद्धति को, कान्वेन्ट स्कूलों को समाप्त करके एक प्रकार के स्कूल होने चाहिये। कान्सटीट्यूशन में आप ने प्रोवाइड किया फन्डामेन्टल राइट्स दिये हैं और इक्वैलिटी के लिहाज से भी इस तरह की बात होनी चाहिये।

दूसरी बात श्रीमन्, यह कि प्राइमरी पाठशालाओं में दर्जा ३ और ४ में किताब पढ़ाई जाती है। शिक्षा राजनैतिक, नैतिक और सब दृष्टियों से ऐतिहासिक, भौगोलिक और सब दृष्टियों से विकास होता है। आप उसमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि स्पार्टा का राजा कुमारी हेलेने को लेकर भाग गया तो इसका गलत असर नहीं होगा।

जूनियर हाई स्कूलों की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जूनियर हाई स्कूलों में आपने कृषि की शिक्षा की व्यवस्था की है। उस व्यवस्था के लिये कुछ आंकड़े श्रीमन्, आपको देना चाहता हूं। आप ने कहा कि १४ हजार एकड़ भूमि कृषि योग्य बनायी जा रही है। १९६७-६८ में इसमें जो उपज हुई उनकी कीमत कितनी थी १४ लाख रुपये। उसका कारण क्या है? एक एकड़ में १०० रुपये की आमदनी की। पचास और पच्चीस रुपये एक बीघे पर लागत आती है। इतने की काश्त कैसे हो गई? आप वहां पर बैलों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और दूसरी चीजें नहीं देते हैं। आप अपने नौकर को क्या देते हैं आप मुश्किल से बीस रुपया महीना देते हैं। बीस रुपये में आपको नौकर नहीं मिलेगा। घर में पढ़ाने वाले को २० रुपया आप देते हैं।

आखिर में यह बात कह कर समाप्त करूंगा। आपने यह उर्दू और फ़ारसी के लिये कुछ रुपया पिछले सालों में खर्च किया है तो मैं यह कहूंगा कि यह रुपया कांग्रेस पार्टी का रुपया तो नहीं है, इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया है उसको सोच समझ कर खर्च करना चाहिये। जब आप उर्दू और फ़ारसी वालों को सर्विसेज में एलाऊ नहीं करते तब यह २०, २५ लाख रुपया बरबाद करने से क्या फायदा है? इससे सियासत चलाई जा रही है, इससे साम्प्रदायिकता फैलती है। इसके साथ चूंकि समय नहीं है, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो तीन-चार सुझाव अभी दिये हैं उन पर मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें।

(इस समय २ बज कर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

*श्री रामधारी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, अपने कटौती के प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के भाषण सुनता रहा हूं। मुझे प्रसन्नता है कि खासतौर से कांग्रेस की ओर से जो लोग बोले हैं उन्होंने भी प्रकारान्तर से हमारी उन सभी बातों का समर्थन किया है जिनके कारण हमने कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया था। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने भाषणों में दो-तीन बातों का जिक्र किया है। एक तो प्राइमरी शिक्षा से लेकर ऊपर की शिक्षा तक विषमता है और उसे समाप्त करना चाहिये। जो हाई स्कूल और इंटरमीडियेट बोर्ड है उसका विकेन्द्रीकरण जल्दी हो जाना चाहिये जिससे परीक्षा के मामले में जो धांधलियां हैं वह दूर हों। मैनेजमेंट की ओर से जो दिक्कतें अध्यापकों के सामने आती रहती हैं उन सब का जिक्र किया गया है उसके लिये मैं सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। एक बात मुझे केवल और कहना है। एक बात कही गयी है और आगे चल कर शायद मंत्री जी कहेंगे भी और वह पूर्वी जिलों के बारे में है। पूर्वी जिलों में एक विश्वविद्यालय केवल गोरखपुर में है लेकिन उसे गतवर्ष की अपेक्षा २ लाख रुपया कम दिया गया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों पूर्वी जिलों पर यह कृपा दृष्टि है? कहा जाता है कि अध्यापकों पर बड़ी कृपा हो रही है। लेकिन अध्यापकों के बच्चों के लिये जो स्कालर-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिप का पिछले साल १ लाख ७० हजार रुपये का प्राविधान था वह इस साल घटाकर १ लाख २० हजार कर दिया गया है। बड़ी मेहरबानी अध्यापकों के बच्चों की ओर है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लड़कों को छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है लेकिन उसमें भी इस वर्ष ४ या ५ सौ रुपया कम कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि इसका क्या कारण है। शारीरिक शिक्षा की, अर्थात् मिलटिरी शिक्षा में जो पिछले साल २४ लाख रुपया था उसे घटाकर २२ लाख कर दिया गया है ऊपर से बड़ा ही खूबसूरत बजट है।

एक बात यह है कि जो मैनेजमेंट के सिलसिले में बात कही थी उसे फिर दोहरा दूंगा इसलिये कि आपका ध्यान उधर अवश्य जाना चाहिये। लखनऊ के बगल में प्रतापगढ़ का जिला है। यह सुनकर आश्चर्य नहीं होगा कि प्रतापगढ़ में एक ही मैनेजमेंट के द्वारा सारे जिले की ३२ या ३४ संस्थायें संचालित होती हैं और उसमें इतनी गड़बड़ी होती है कि जब एक अध्यापक का ट्रांसफ़र दूसरे विद्यालय को एक विद्यालय से हो जाता है तो उसकी सर्विस उस नये विद्यालय में नयी मान ली जाती है। इससे अध्यापकों का बड़ा उत्पीड़न होता है। इसकी ओर सरकार की दृष्टि जानी चाहिये। किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा अनुदान दिया जाना एक प्रकार से सत्ता का केन्द्रीकरण है और यह राजनीतिक कारणों से ही ऐसा हो सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान प्रतापगढ़ की स्थिति की ओर जाना चाहिये।

उन्नाव में कुछ शिक्षा की समस्यायें हैं। वहां पर इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने एक टैक्निकल असिस्टेंट की नियुक्ति की। उन्होंने यह किया कि जहां पर खेती नहीं थी वहां पर तो मुकर्रर कर दिया और जहां पर खेती थी वहां पर नहीं किया। इसके बाद इन्सपेक्टर साहब वहां से चले गये। यहां लखनऊ में भी कुछ संस्थायें डिग्री कालेजों की हैं। मैं खास तौर पर कान्यकुब्ज के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर अध्यापकों के डी० ए० को मैनेजमेंट ने खा लिया। वह डी० ए० अभी तक उन लोगों को नहीं दिया गया। इस प्रकार से अध्यापकों के साथ ज्यादती अब भी चली आ रही है। इन शब्दों के साथ मैं उधर के बैठने वालो को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है उसी तरह से वह इस को पास करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

मान्यवर, मैं बहुत मशकूर हूं उन सदस्यों का जिन्होंने कल से आज तक मेरे अनुदान पर अपने सुझाव दिये और अपने विचार व्यक्त किये। मुझे खेद है कि मैं उन सभी सुझावों का उत्तर समय की कमी के कारण नहीं दे सकूंगा। जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें प्रस्तावक महोदय ने कुछ प्वाइन्ट उठाये हैं। उन्होंने बुनियादी तालीम की बात कही। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करूंगा कि प्राइमरी स्टेज पर बुनियादी तालीम दी जा रही है। हमारे यहां बेसिक ट्रेनिंग कालेज बनारस तथा लखनऊ में भी हैं। इनमें वह बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जिससे हम दूसरे स्कूलों में इसको चालू कर सकें। दूसरा सवाल उन्होंने विद्यार्थियों के रिजल्ट विदहेल्ड का उठाया। उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि कुल संख्या उसकी ३०,१६८ थी जिनके परिणाम रोके गये थे। उनमें से १९,०८९ तो लड़के फेल हो गये थे जिनके रिजल्ट का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। अब ११,०७९ लड़के बाकी रहे। उसमें से २,७९८ के रिजल्ट घोषित कर दिये गये हैं। जो शेष रह गये उसमें से ११० और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिये गये हैं। अब जो शेष रह गये हैं वे कुल ८,१७१ विद्यार्थियों के हैं। इसलिये माननीय सदस्य ने जो अपनी बात कही थी वह सही नहीं थी।

मान्यता के सम्बन्ध में मेरी सूचना यह है कि पिछले वर्ष १,६५० मान्यता के लिये प्रार्थना-पत्र आये थे जिनमें से ३६७ को मान्यता प्रदान की गई। इस वर्ष १,८४५ आवेदन-पत्र इस विषय

[श्री रामजीलाल सहायक]

में प्राप्त हुये जिनमें से ६७० को मान्यता प्रदान की गई। यह संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा दुगुनी है। इसलिये माननीय सदस्य ने जो सदन में बताया मान्यता के सम्बन्ध में कि मान्यता नहीं मिलती है यह सही नहीं है।

बड़ा विवाद हुआ दो तरह के स्कूलों का—मान्टेसरी और कान्वेन्ट स्कूलों का। यह सब मानते हैं कि इन स्कूलों के विद्यार्थियों का बहुत अच्छा स्तर होता है। वहां अनुशासन अच्छा है। इनको रखा जाय या नहीं यह प्रश्न शासन के सामने नहीं है। हम एक ऐसी कमेटी बनाने का विचार कर रहे हैं जो इनसे सम्पर्क रखे और बीच में एक ऐसी व्यवस्था कर सके कि वह हमारे नियमों का पालन करें और उसी शिक्षा की पद्धति का अनुसरण करें जिस पर हमारी संस्थायें चलती हैं। दोनों के सिद्धान्त में समन्वय हो सके।

राष्ट्रीयकरण के बारे में जिक्र किया गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम यह देखें कि पब्लिक का इनिशियेटिव इसमें कैसे आयेगा। जिनका रुपया और धन इन संस्थाओं में लगा है वह क्या समझेगी। जैसे मनोहर लाल ट्रस्ट बहुत सी संस्थायें चला रहा है। इसी प्रकार से हमारे यहां काशी नागरी प्रचारिणी सभा बहुत सी संस्थायें चला रही है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन अनेक संस्थायें चला रहा है। उन्होंने इसमें बहुत कुछ काम किया है। ऐसी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करें तो यह सवाल अभी नहीं उठता। उसकी बहुत सी पेचीदगियां हैं। कहने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन यह भी देखें कि समाज में जो काम करने की प्रवृत्ति है, संस्थाओं के प्रति जागरूकता स्थापित करने की भावना है वह जाती रहेगी। यह एक नीति का सवाल है। आगे जब समय आयेगा तो राष्ट्रीयकरण किया जायगा।

अध्यापकों को सीधे वेतन देने के संबंध में कई बातें कही गयीं। हम इस पर विचार कर रहे हैं और हमने अन्य प्रदेशों से भी इस संबंध में सूचनायें मंगायी हैं। जैसा कि एक जगह यह विधान किया गया है कि ५०० मील के दायरे में यदि कोई बैंक की सुविधा होगी तो वह दी जायगी। अगर हमें इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है तो बहुत जल्दी एक निश्चय करेंगे और ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि अध्यापकों को समय से वेतन मिल सके। इसकी बहुत सी शिकायतें आती हैं और विभाग बराबर कोशिश कर रहा है, हम नियंत्रक स्थापित करते हैं और तनख्वाह भी कटवाते हैं। और बहुत सी गड़बड़ियां मैनेजमेंट की तरफ से हैं उनको शासन की सूचना है और इस प्रकार जो धांधली कहीं भी करेंगे तो हम ठोस कदम उठायेंगे।

इसके अतिरिक्त एजूकेशन सेस के बारे में दो-तीन माननीय सदस्यों ने कहा। मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी। हमारा विचार है अगर हमें शिक्षा बढ़ानी है और स्तर ऊंचा करना है और शिक्षा का प्रसार करना है तो हमें साधन जुटाने होंगे और उसमें एजूकेशन सेस भी लागू की जा सकती है। यदि माननीय सदस्य हमारी ऐसे ही हिम्मत अफजाई करते रहे तो हमें कुछ दिनों बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो इस पर भी निश्चय हम लेंगे।

परीक्षा पद्धति के बारे में भी कुछ लोगों ने कहा। ठीक है, हम भी समझते हैं कि इसको बदलें और यह चीज विचार में है। मान्यवर, बहुत से विचार रखे गये, लेकिन समय की कमी है। इसलिये मेरा निवेदन है माननीय सदस्यों से कि हमें सुझाव देते रहें और हमें प्रोत्साहन देते रहें कि शिक्षा में समर्थ हो सकें। मैं अपील करूंगा शास्त्री जी से कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

छात्रों के जो ऐडमीशंस नहीं हुए हैं उसके संबंध में कुछ नहीं कहा।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, १५ मिनट का समय और दे दिया जाय तो वह उत्तर दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

वोटिंग समय से करना है। प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—(१) संविधान में शिक्षा संबंधी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की उपेक्षा, (२) धनी और निर्धनों के लिये अलग शिक्षा देकर समाज में विषमता उत्पन्न करना, (३) सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा सामाजिक न्याय की अवहेलना, (४) अनुदान वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४९,३०,१६,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७—परिवहन तथा अनुदान संख्या ५१—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

*उद्योग मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३७—परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,९७,६४,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,२२,३२,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, यह जो परिवहन विभाग है वह तीन कामों को देखता है—एक तो सरकारी रोडवेज है जो बसें चलाती है जिनमें बहुत से हमारे साथी इधर उधर घूमा करते हैं। दूसरा मोटर वेहिकिल एक्ट है। इसमें देखते हैं कि गलत मोटरें न चलायें और परमिट देने का काम करते हैं। और तीसरा टूरिस्ट विभाग है। यह मैं मानता हूं कि पिछले दिनों से रोडवेज की जितनी हमारी बसें चल रही थीं वह काफी नहीं हैं। इसकी वजह यह भी है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें अधिक धन मिले जिससे अच्छी सेवायें चला सकें। हमारे पास पिछले साल ३ हजार ७६९ गाड़ियां थीं, जो चल रही थीं। बहुत सी गाड़ियां थी जो पुरानी और ठीक नहीं थी। इस वर्ष २२५ नई गाड़ी खरीदी हैं और आने वाले वर्ष में ७२५ गाड़ी खरीद रहे हैं। हमने यह भी प्रयास किया है कि हमारी जो बस की हालत है, जो डिजाइन है वह नय तरह का हो। वह कुछ सुधरे। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से दरखास्त करूंगा कि जब सदन समाप्त हो जाय तो दो-चार गाड़ी बाहर खड़ी हैं उनको जाकर देखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

रोजाना रखें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह भी रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे जो बस स्टेशन थे वह पूरे नहीं थे। यह प्रयास कर रहे हैं कि उनमें सुधार हो। लखनऊ का बस स्टेशन टाइम फिक्स करके जल्दी बनवाया है। हम आपको ले चलेंगे और आप देखेंगे कि उसमें बहुत तरक्की हुई है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

यह भी बतलावें कि मुनाफा कितना कमा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह भी बतलाऊंगा। आपकी जानकारी के लिये यह बतला दूं कि हमें करीब-करीब अभी तीन ही महीने हुए हैं। तीस लाख के करीब जो मुनाफा था उससे ज्यादा हुआ है।

एक सदस्य—

कर्मचारियों के बारे में भी कुछ कहें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उन्हें जो सुविधाएं दी हैं उनको सुनकर आपको खुशी होगी। मैं तो आपको बहुत कुछ बतलाता, लेकिन मुझे समय आधा दिन ही दिया है। जो तीन चार डिसीजन्स लिये हैं उन्हें आपको बतला दूं। काफी कर्मचारी हैं, उनकी संख्या आपको बतला दूंगा। जो परमानेन्ट नहीं थे उन्हें परमानेन्ट कर दिया है। उसके आदेश हो गये हैं और वे इम्प्लीमेंट भी हो गये हैं। दूसरा काम यह किया है कि जो स्कूटर थे और टेम्पोज थे टू सीटर और सिक्स सीटर जिनमें रेस्ट्रिक्शंस थीं और बीच के तबके को लाभ होता था और एक लाख से ऊपर वालों को इजाजत देते थे और नम्बर भी फिक्स कर दिया था तो हमने आदेश दे दिये हैं कि हर म्युनिसिपल बोर्ड में टू सीटर और सिक्स सीटर स्कूटर फ्री चला करेंगे और उन्हें परमिट लिबरली दिया करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रदेश के जो छोटे तबके के लोग हैं और जो कार नहीं एफोर्ड कर सकते वह उसका फायदा उठावेंगे।

एक बड़ी भारी मांग थी बहुत दिनों से जिसमें हमारे महीलाल भाई और मेरठ के लोग इंटरेस्टेड होंगे। ट्रैक्टर की जो खाली ट्राली थी उस पर जो बड़ा भारी टैक्स पड़ता था उसको घटा कर १५ रु० कर दिया गया है।

श्री महीलाल—

उसको फ्री कर दीजिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर फ्री कर दिया जायगा तो अच्छा न होगा। कोई रेकार्ड नहीं होगा। जो तीन हजार की ट्राली रखता है वह १५ रु० साल में दे देगा।

मैं इस बात को मानता हूं कि रोडवेज में एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, उनमें डिसाइज की और ज्यादा आवश्यकता है और और अच्छी सरविसेज चलाने की आवश्यकता है। चारो तरफ हमारा ध्यान है और हम आपकी इसमें सहायता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसको इम्प्रूव करने के लिये अपने सुझाव दें। हमने एक नया आदेश दिया है कि जो हमारे जनरल मैनेजर हैं और उनके नीचे का जो स्टाफ है वह कम से कम १५ दिन बस पर चले। अगर वह बस पर चलेंगे तो उनको मालूम होगा कि क्या दिक्कतें हैं। आप लोग जो नये अच्छे सुझाव देंगे जो सरविसेज को इम्प्रूव करने के होंगे उनको हम मान लेंगे।

*श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय तो बहुत बड़ा है और माननीय मंत्री महोदय ने जान बूझ कर अपनी कमियों को जाहिर नहीं किया है। हकीकत तो यह है कि एक रुपया भी इस अनुदान में इस सरकार को नहीं मिलना चाहिये। यह सरकार देश के आजाद होने के बाद सन् १९४७ से सिवाय १९६७-६८ के लगातार कार्य कर रही है। बसों का राष्ट्रीयकरण सन् १९४७ में शुरू हुआ और आज की तारीख में सरकार ने यह बतलाया कि लगभग ४ हजार बसें रोडवेज की चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को शायद यह ज्ञात नहीं है, जबकि १९६७-६८ में संविद की सरकार थी तो उस वक्त के माननीय मंत्री श्री मानसिंह ने कहा था कि इन ४ हजार गाड़ियों में से डेढ़ हजार गाड़ियां बीमार अस्पताल में, वर्कशाप में रहती हैं और इस तरह से ढाई हजार गाड़ियां रह गयीं। उन ढाई हजार गाड़ियों में भी छोटी मोटी कमियों की वजह से लगभग डेढ़ हजार और गाड़ियां बन्द रहती हैं। इस तरह से इस सरकार के पास सिर्फ़ एक हजार गाड़ियां हैं जो तमाम रूटों पर चलती हैं।

इस सिलसिले में मैं एक नक्शा भी आपकी सेवा में पेश करूंगा जिससे आपको यह जाहिर होगा कि इन गाड़ियों में वे गाड़ियां भी शामिल हैं जो मार्च ३१ सन् ४८ की भी हैं, ४९ की हैं, ५० की हैं, गरजे कि सन् १९६८ तक की है। पिछले कई सालों की जो सरकार की रिपोर्ट है उसके अनुसार इनकी गाड़ियां सन ४८ में ५११ थीं, ४९ में ये ९५६ हुई यानी ४४५ बढ़ गईं। इसी तरह से सन् ५० में १२९० हुई, यानी ३२४ ज्यादा बढ़ गयीं। इसी तरह से सन् ५१ में १,३६७ हो गयीं, यानी सिर्फ़ १७ बढ़ीं। फिर ५२ में १,३३५ हो गयीं यानी २८ बढ़ीं सन् ५३ में १,४३४ यानी ९९ बढ़ीं, ५४ में १,४१५ हो गयीं यानी १९ गाड़ियां घट गयीं। सन् ५५ में १,४६७ हुई, उसमें सिर्फ़ ५२ बढ़ीं, ५६ में १,६६८ हो गयीं यानी २०१ बढ़ीं, सन् ५७ में १ ८८८ हो गयीं यानी २२० बढ़ीं सन् ५८ में २००४ हो गयीं यानी ११६ बढ़ीं। सन् ५९ में २४३९ हो गयीं यानी ४३५ बढ़ीं। इस तरह से सन् ६४ में १४ और घट गयीं और सन् ६६ में ६ और घट गयीं, और किसी भी रिपोर्ट में आज तक जो कि सन् ४७ से अब तक की छपी है, सरकार ने कहीं यह विवरण या सूची नहीं दी है। यह तो दिया है कि इतनी गाड़ियां सही टाइम पर चलीं और पहुंची और इतना टैक्स मिला और उससे इतना मुनाफ़ा है। लेकिन यह कभी भी लिख कर नहीं दिया है कि पेट्रोल से चलने वाली कितनी गाड़ियां हैं और डीजल से चलने वाली कितनी हैं और किस-किस माडल की कितनी गाड़ियां हैं जो कि इन सड़कों पर चल रही हैं। हैरत यह है कि यह सरकार आयन्दा साल में एक हजार गाड़ियां और लेने जा रही है। इस रोडवेज और आपके इस महकमे के कर्मचारियों के लिये एक नयी बात सुनने की है। जहां अच्छे आपरेटर काम करते हैं और अच्छी सड़कें बनी हैं वहां से तो वे चले जायें और दूसरी जगह भेज दें लेकिन १० साल से उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार के बीच यह बात चल रही है कि दिल्ली की कितनी सड़क इंटर स्टेट रूट की हों और कितनी उत्तर प्रदेश की हो जिस पर एक दूसरे की बसें चलें। इसकी वजह यह है कि आज की तारीख में भी उत्तर प्रदेश की सरकार यह तय नहीं कर सकी है कि दोनों सरकारों की गाड़ियां किस रेशियो में चलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहम्मद इसरार अहमद]

इसके अलावा यहां तक हुआ कि दिल्ली की सरकार ने इस सरकार के मुंह पर एक तमाचा मारा। वह इस तरह से कि वहां की ३३ रूट्स हैं जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मिलती हैं उनमें उसने प्रायवेट आपरटर्स से दरख्वास्त मांगी है कि हम अपनी तरफ से परमिट इन सड़कों पर दने और इन सड़कों पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की बसे चलती है वह दिल्ली सरकार की हद तक नहीं चल सकगी। दिल्ली स १९-१२-६८ को जो नोटिस जारी हुआ है उसमें लिखा है :—

"Applications on prescribed forms are invited by 20th January, 1969 for grant of stage carriage permit on the following inter-State routes."

इसमें दिल्ली से अल्मोड़ा, एटा, वृन्दाबन, बिजनौर, देहरादून, फतेहगढ़, हल्द्वानी, खुर्जा कासगंज, मथुरा, गर्ज यह कि ३३ सड़कें ऐसी है जिन पर दिल्ली स्टेट हमारी उत्तर प्रदेश की सड़को पर प्रायवट आपरटस द्वारा गाड़ियां चलाना चाहती है १० साल से उत्तर प्रदेश सरकार इन सड़को को लेने में असमर्थ रही है। यह प्रयत्न जरूर है कि अगर लखनऊ को मिल जाय, यहां अपोजीशन की गड़ियां चल रही है तो इनको हटादे और अपनी गाड़िया चलावें और अपने भाई बन्दो को नौकर रखें। इन ३३ सडकों पर अगर ३०।३० गाड़ियां भी रखी जांय तो तो एक हजार से ज्यादा गाड़ियां चल सकी सकती है, लेकिन दिल्ली जो छोटी स्टेट है वह चला सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चला सकती। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि जी० एम० कानपुर ने, सन् ६५ से ५ गाड़ियों केपरमिट चित्रकूट से छत्तरपुर के लिये मांगे। आर० टी० ओ० ने रूट को मंजूर किया, लेकिन सन् ६९ तक उत्तर प्रदेश सरकार एक भी गाड़ी नहीं चला सकी और जब प्रायवेट अपरेटर्स ने रिट की तो खुद जी० एम० ने कोर्ट में सरेन्डर किया कि हम इस सड़क पर कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे जबकि यह सड़क उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की हद तक है। तो उनके पास गाड़ियां भी नहीं हैं और कर्मचारी भी नहीं है। पब्लिक की सुविधा तो चाहते हैं लेकिन उसके लिये ४ सल में कोई इन्तजाम नहीं किया और मंत्री जी हंस कर कहते हैं कि हम इन्तजाम करते हैं। यहां पर हमने रिपोर्ट पढ़ी कि बड़ी-बड़ी सुविधाएं देते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, से कहूंगा कि मेरे साथ चलें, मैंने मंत्री होने की हैसियत में भी देखा, कोई वर्कशाप नहीं है जहां सरकार की गाड़ी जाय और जल्दी ठीक हो जाय और इसी लखनऊ में अगर प्रायवेट आपरेटर की गाड़ी होगी तो एक घंटे में ठीक हो जायगी।

मंत्री महोदय ने कहा कि रोडवेज डिपार्टमेंट से ५ करोड़ हम देते हैं। मैं यह साबित करने को तैयार हूं कि लगभग ५ करोड़ साल का नुकसान हो रहा है। उसकी वजह यह है कि १०० रु० की जो चीज है उस पर १००० लिखा हुआ है। मैं जैलेन्ज करता हूं मंत्री महोदय को, म साबित करूंगा, एक ट्रिब्युनल, कमीशन या कमेटी हाई पावर बना दें और अगर मेरी बात गलत साबित हो तो जो जुर्माना वह करेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर वह सही साबित हुआ तो मंत्री महोदय या तो यह महकमा छोड़ें या सरकार को छोड़ें या जो बात कमेटी कहे उसको पूरा करने की कोशिश करें। मैं इस बात को भी जानता हूं कि यहां पर किस तरह से परमिट दिये जाते हैं। किस तरह से ट्रान्सफर्स किये जाते हैं। सुन कर हैरत होगी कि आर० टी० ओ० का, मैं नाम नहीं लूंगा, एक हफ्ते में ३ बार ट्रान्सफर हुआ। पहले नैनी ताल हुआ, फिर गोरखपुर हुआ और फिर कानपुर हुआ। गिने चुने ही जब कि आपने यहां ३-४ आर० टी० ओ० हैं। मंत्री महोदय के रीजन में एक आर० टी० ओ० का तबादला हुआ, उसने वहां जाकर चार्ज लिया, एक दिन रहा, उसके बाद फिर वह हटा दिया गया। यह सब क्या है? वहां का आर० टी० ओ० आज अपनी और कमिश्नर की कोठियां बनवा बनवा रहा है और शायद ३ दिन मुश्किल से वह देहरादून में रहता है। मैं चैलेन्ज करके इस बात को कहता हूं, माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवा ल और देखें कि यह बात सच है या गलत है।

मैं यह भी कहूंगा कि आपके पास सड़कें हैं, मगर गाड़ियां नहीं हैं। कितने रूट्स पर आपने बसें चलाने के लिये घोषणा तो कर दी है मगर आज तक बसें नहीं चलायी गयी हैं। जब गाड़ियां आपको फायदा है तो क्यों नहीं आप गाड़ियों का इन्तजाम करते ताकि उससे जनता को भी लाभ हो और आपको भी फायदा हो। मंत्री जी के ही रीजन में जितनी स्ट्रेन्थ है, उतनी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। लगभग १०० की स्ट्रेन्थ है और करीब ४८ गाड़ियां प्राइवेट आपरेट चला रहे हैं क्योंकि उनके मुकदमें चल रहे हैं। आज कितनी ही गाड़ियों ऐसी चल रही हैं जिनसे सरकार का मुकदमा चल रहा है। आप क्यों नहीं इन सड़कों पर अपनी गाड़ियां चलाते हैं। आप गाड़ियों को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आज आप इन मुकदमे बाजी में कि खर्च कर रहे हैं, उससे आपको कितना नुकसान नहो रहा है? क्या आपने, फरवरी में शासन में आने के बाद, किसी अपने कर्मचारी से मालूम किया कि हमारे यहां कितने नेशनलाइज्ड रूट्स हैं, कितने ऐसे हैं जिन पर अभी बसें नहीं चलायी जा सकीं हैं?

मान्यवर, एक सितम्बर, १९४७ के नोटिफिकेशन के अनुसार कानपुर—उन्नाव—लखनऊ रोड पर १८ बसें सरकारी चलनी थीं और ४ प्राइवेट वालों के लिये आदेश दिया गया था। इस संबंध में नोटिफिकेशन हुआ था जिसका नं० है ७६३—टी एक्स० एक्स एक्स०७०८—टी १९५० दिनांक १२ फरवरी, १९५१। यानी सरकार ने प्राइवेट सर्विसेज के लिये केवल ४ की मंजूरी दी जब कि इसके पहले इस रूट पर ५० बसे चला करती थीं। तो ५० के बजाय केवल ५ कर दी गयीं। उनमें भी ५ प्राइवेट लोगों को परमिट नहीं दिया। इसी सड़क पर एक एयर कंडिशन बस चलाने की योजना है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस के लिये है। यह बड़े बड़े कर्मचारियों के लिये चलाई जा रही है। जो और सर्विसेज हैं उनका किराया २.२० रुपया है और एयर कन्डिशन गाड़ी का ७.५० रुपया है। तो क्या यह जन सेवा है या पूंजीपति की सेवा है? जब आवश्यकता है तो गाड़ियों की संख्या ५ ही क्यों रखी गयी है और जब प्राइवेट लोग चलाना चाहते हैं तो आप क्यों उन्हें इजाजत नहीं देते हैं। हमारे प्रदेश की राजधानी है और कानपुर हमारे प्रदेश का एक औद्योगिक नगर है। रेल का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के अधीन होने के कारण हमें ज्यादा सुविधायें मिल नहीं सकती हैं लेकिन हमारी प्रदेशीय सरकार तो हमें राहत दे ही सकती है।

एस० वी० डी० सरकार गिरने के बाद अक्तूबर में एक फर्म ने ढाई लाख रुपये का एक कमीशन भेजा था कि यह रख लो। उसके पहले तो हमें मालूम भी नहीं था कि विभाग में ऐसा भी होता है।

आज जिन मार्गों पर बसों की आवश्यकता है उसको देखते हुए हमारी सरकार क्या कर रही है? क्या आपके महकमें में कोई भी एसेस मेंट किया गया है कि किस किस सड़क पर कितनी कितनी गाड़ियों के चलान की आवश्यकता है? मुझे याद है कि ८—९ वर्ष पहले आने वाली सवारियों की संख्या की गणना हुआ करती थी। उससे यह मालूम हो जाता था कि किस-किस सड़क पर कितनी गाड़ियों की आवश्यकता है, लेकिन इस सरकार के जमाने में और खास तौर से इन ७—८ महीनों में कुछ नहीं किया जा रहा है।

जो यह किताब हमको इस विभाग के सम्बन्ध में मिली है इसमें दिए हुए विवरणों के अनुसार १९६१ के मुकाबले में रजिस्ट्रेशन का काम दुगना हो गया है और उसी के अनुसार आर० टी० ओ० के दफ्तर में भी दुगना काम हो गया है, लेकिन वहां पर जितना स्टाफ उस समय था उतना ही चला आ रहा है। दूसरे वहां पर हम लोगों के बैठने तक की जगह नहीं है। कहावत है कि दूध देने वाली गाय की लात भी सही जाती है लकिन हमारी राहत के लिये उस दफ्तर में कोई भी इन्तजाम नहीं है। वहां जो सरकार कर्मचारी भी हैं, वे भी गर्मी में उबल जाते हैं और सर्दी में ठिठुर जाते हैं। उनकी दशा की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां पर जहां १० कर्मचारी होने चाहिये वहां पर केवल ५ कार्य कर रहे हैं। आज दारुलशफा बनाया जाता है, रायल होटल का एक्सपेंशन किया जाता है, लेकिन आर० टी० ओ०

[श्री मोहम्मद असरार अहमद]

के दफ्तर के लिये हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है। वे दफ्तर किराये के भवनों में हैं और अध्यक्ष महोदय, किराय के भवनों में इस सरकार को लाखों रुपया बरबाद करना पड़ता है लेकिन ये दफ्तर नहीं बना सकते हैं। जहां हम लोगों को राहत मिल सके है। लेकिन डी० एम० चाहेगा कि कितनी बड़ी गाड़ियां चालीस हजार पचास हजार की इस तरह से परमिटों के जरिये से दी जायं। श्रीमान् जी, जनता में, लोगों में, यह प्रोपेगेन्डा किया गया कि पहले आर० टी० ए० में एक सदस्य होता था आपोजिशन का, अब तीन सदस्य बनाये गये हैं। आज मुझे कहने में डर भी नहीं है कि उनको शामिल कर लेंगे और शायद उनमें शामिल भी हो गये थे और बजाय एक के तीन किये गये। यही नहीं सन् १९४७ से आज तक सरकार के पास कोई भी आंकड़ा नहीं है कि आर० टी० ओ० की मेम्बरशिप में किसी भी अपोजीशन से मेम्बर बनाया है। नतीजा क्या हुआ कि हमारे सभी कांग्रेसी भाई परमिट होल्डर बन गये और परमिट लेकर साल दो साल क अन्दर उनको उन्होंन बेंच दिया। बीस हजार और पच्चीस हजार के पांच-पांच और छः छः हजार में किराये पर दे दिये। जो खुब काम जानते थे उनको जानबूझ कर इसलिय नहीं दिया गया कि वह रुपया पैदा करके कांग्रेस सरकार का प्रचार करे और जो प्रचार करने को राजी न हो उनको परमिट नहीं मिल सकता। मैं मंत्री महोदय से कहुंगा कि उनको कितने परमिट ऐसे मिले हैं जो कि दोबारा ट्रान्सफर हुए हैं। और एसे लोगों को ट्रान्सफर हुए हैं जो उन्हीं के हिस्सेदार हैं और उन्हीं के भाई-बन्द हैं। मैं यह कहूंगा कि २५-२५ और ३०-३० हजारे के ये परमिट बिके हैं। इसका लाभ किसको हुआ। यह कांग्रेस सरकार का प्रबन्ध था। मैं अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ आपसे यह भी कहूंगा कि इसी दरम्यान में सरकार ने रोडवेज का जो किराया है वह प्राईवेट किरायों के मुकाबिले में दुगुना कर दिया। मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि हम भी किराया देते हैं और मेरे जिले में जहां प्राइवेट किराया १ रु० चालीस पैसे हैं वहां रोडवेज का २ रु० ५० पैसे है।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इन शब्दों के साथ में सरकार से दो बातें और निवेदन करूंगा कि रोडवेज की जांच के लिये सरकार को चाहिये कि एक हाई पावर कमेटी बनाकर जाच कराये और जो गलत काम हुआ है उनको दूर करने की कोशिश करे। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम कानून के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं और चालन करते हैं। १७(ए) का कानून बनाया था कि रोडवेज बगैर परमिट के चला सकते हैं, लेकिन बाद में नियम बनाया गया कि रोडवेज को भी परमिट देना पड़ेगा। लेकिन आज तक तो कोई परमिट नहीं दिया गया। और यही कारण है कि रोडवेज को दिल्ली और जिस तरफ चाहा चला दिया गया और जिस तरफ चाहा सौ चला दी गयी और जिस तरफ चाहा दो चला दी गई। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन रूटों पर काम नहीं चल रहा है उनको वैसी ही हिदायत करें।

*श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं परिवहन विभाग के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, परिवहन मंत्री जी ने जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा परिवहन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जो धांधलियां और जो चोरियां रोडवेज विभाग में हो रही हैं उस पर परिवहन मंत्री तुरन्त ध्यान दें। वहां यह आलम है कि जो पार्टस् वहां के हैं वे यहां और कानपुर में बराबर बिकते हैं, उन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गाड़ियों की हालत यह है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि नये पार्ट्स दिये जाते हैं और गाड़ियां जाती हैं वर्कशाप्स में तो पुराने पार्ट्स धो कर लगा दिये जाते हैं और नये कानपुर में बिक जाते हैं। लखनऊ में वे पार्ट्स जिस रेट पर बिकते हैं उससे २५ परसेंट कम पर कानपुर में आप ले लें। तो कहां से वे आते हैं जब कि कम्पनी की प्राइस लिस्ट में उनके रेट दर्ज हैं ?

यहां स्टोर के अन्दर कैसरबाग डिपो में एक मिस्टर यादव हैं जो इंचार्ज हैं। १५०-२०० रुपये माहवार तनख्वाह पाते होंगे, लेकिन उनके गांव में देखिये २५ हजार रुपये की इमारत खड़ी है और दो-दो मर्सडीज ट्रक्स हैं जो कि ६०-७० हजार रुपये के होते हैं और उनको अपने भाइयों के नाम परमिट ले कर चला रहे हैं।

हम लोग बसों में चलते हैं। गाड़ियों की हालत यह है कि रास्ते में फेल हो जाती हैं। मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे। कैसरबाग में रोडवेज स्टेशन की हालत यह है कि यात्रियों के बैठने के लिये कोई स्थान नहीं है जब कि कहा यह जाता है कि यात्रियों के लिये बड़ा इन्तजाम किया गया है। यात्रियों के बैठने की जो जगह वहां है वह दूकानदारों को एलाट कर दी गयी और चारों ओर दूकानें लगी हुई हैं। मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। इधर भी उनको ध्यान देने की आवश्यकता है।

बसों की हालत इतनी बदतर हो गयी है कि बारिश के जमाने में देखिये साइड शीशे ही नहीं हैं। कंडक्टर व ड्राइवर से पूछिये तो जवाब मिलता है कि हमने शिकायत कर दी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मंत्री महोदय से निवेदन है कि अच्छी-अच्छी बसें बाहर खड़ी करके दिखलाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

[इस समय ३ बज कर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट पीठासीन हुए।]

वे इस ओर ध्यान दें और देखें कि जनता की क्या दिक्कतें हैं। महीने में दो-चार दिन उनके अधिकारी देखें कि जनता को क्या दिक्कतें हैं ? जनता की दिक्कतों को दूर करने का जो वचन आपने दिया था उसे पूरा करें।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आर० टी० ओज० चाहे लखनऊ के हों अथवा कानपुर के या कहीं के हों उनकी धांधली इतनी बढ़ गयी है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं सीतापुर लम्बोर रोड का हवाला दूं। पिछली मीटिंग में दो गाड़ियों के चार-चार महीने के टेम्पोरेरी परमिट दे दिये गये। पता नहीं कैसे यह भूल हुई ? मैंने सुना है कि कंटेम्प्ट आफ कोर्ट चलने जा रहा है। आप खुद अन्दाज लगायें मंत्री महोदय, इतनी बड़ी यह गलती हुई है कि हाई कोर्ट का स्टे होते हुए ४-४ महीने के परमिट इश्यू कर दिये गये जब कि १३ गाड़ियां पहले से ही चलती हैं और ८ सर्विसेज हैं और फिर भी दो टेम्पोरेरी परमिट्स दे दिये गये। इसमें क्या राज है ? इन धांधलियों की ओर मंत्री महोदय ध्यान दें।

दूसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो माल ढोने वाले ट्रक्स हैं उनका यह आलम है कि आर० टी० ओ० वहां जाते हैं उनका जो कांटा है वह ईश्वर के यहां से आया है, गाड़ियां तौली जाती हैं, चाहे जितना कम लिख दें चाहे जितना ज्यादा लिख दें कोई देखने वाला नहीं है। कोर्ट में केस भेजते हैं। वहां गवाह कौन ? आर० टी० ओ० का ड्राइवर, सिपाही। जो ट्रक पर ५० हजार रुपये का माल लाद कर चलता है उसकी बात नहीं मानी जाती है। मानी किसकी जाती है कोर्ट के अन्दर ? जो उन्हीं के डिपार्टमेंट से संबंधित है। एक एक बस ८५-९० हजार रुपये में तैयार होती है और ट्रक ६०-७० हजार रुपये में तैयार होती है। उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

फिर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आर० टी० ओ० के आफिस में मालिकों की कुछ दिक्कतों की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां यह आम है कि दलालों की चलती है। मालिक की

[श्री श्याम सुन्दरलाल गुप्त]

बात वहां सुनी नहीं जाती है। दलाल पहुंचा और पहुंचने के बाद वह अन्दर गया और आर० टी० ओ० से काम हो गया। जो आदमी ८०-९० हजार रुपये लगाता है किसी काम में उसकी वहां जरा भी इज्जत नहीं। उससे क्लर्क बात करना पसन्द नहीं करते। वे बात किस से करेंगे? जो उन्हीं के दलाल हैं उनसे। इस तरह की धांधली चल रही है। इस ओर मंत्री जी ध्यान दें।

अन्त में मैं अपने सुझावों के साथ परिवहन मंत्रीजी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं उनका समर्थन करता हूं।

*श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे साथी ने आज इस अनुदान में जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। वैसे यह विभाग जिन मंत्रीजी के हाथ में दिया गया है वह बहुत अनुभवी हैं और मेरा बीच-बीच में उनका साथ हटता रहा लेकिन १९५७ से साथ हैं। मैं उनका ध्यान विभाग की कुछ कमियों की ओर आकर्षित करूंगा। वैसे तो मंत्रीजी ने जो सुविधायें दी हैं, नगरपालिकाओं में तीन पहिये वाले स्कूटर चलाने का जो विचार किया है वह मैं समझता हूं कि जनहित में है। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में कुछ ऐसे स्थान हैं, जैसे मेरठ और सहारनपुर जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं और इतने बड़े नगर हैं लेकिन वहां बस चलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जिस समय रोडवेज चलायी गयी थी उस समय यह भावना थी कि इससे जनता का फायदा होगा।

हम सहायता देंगे और जो प्राइवेट आपरेटर्स हैं वे लोगों को परेशान करते हैं, किराया ज्यादा लेते हैं, व्यवहार गलत करते हैं। लेकिन आपने जिन सड़कों का नेशनेलाइजेशन कर दिया है, जहां रोडवेज की संचलन व्यवस्था शुरू कर दी है, वहां पहले तो जनता बड़ी खुश हुई थी, लेकिन अब यह विभाग पुराने जमींदारी विभाग की तरह से हो गया है। लोगों को सुविधा की जगह असुविधा होने लगी है। जैसा कि हमारे माननीय मित्र ने कहा कि १-२ रुपया के पुर्जा के लिए गाड़ियां डिपों में खड़ी रहती हैं। जनता परेशान होती है, फोरमैन कहता है कि मैं गाड़ियों को कैसे निकालूं।

ओवर लोड के लिए आप प्राइवेट लोगों का चलान करते थे, लेकिन आज जो ओवर-लोडिंग हो रही है उसकी कुछ हद ही नहीं है। ४०-४० आदमियों की जगह ७०-७५ सवारी तक चल रही हैं और यात्रियों को इससे बड़ी असुविधा हो रही है। मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

सहालगों के टाइम में संचार साधनों की और ज्यादा आवश्यकता होती है, कम से कम दो गुनी तीन गुनी बसेज होनी चाहिये लेकिन उस समय बसों की कमी पड़ जाती है। जी०टी० रोड पर तो ज्यादा यातायात चलता है कि सहालगों के दिनों में बसें न मिलने के कारण दूल्हों की शादी २-२,३-३ दिन बाद तक हुई है। यह सब बसों के नेशनलाइजेशन के कारण से हुआ है। दूसरी कोई बस मिलती नहीं है और आपकी बस जा नहीं सकती। इस बसेज से केवल एक लाभ दिखायी पड़ता है कि दूर के स्थानों को जाने वाली बसेज समय से पहुंच जाती हैं। लेकिन छोटी-छोटी यात्राओं में यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोग कचहरी में समय पर नहीं पहुंच पाते, जिससे उन को जुरमाना भरना पड़ता है। अगर वास्तव में आपको इन अधिकारियों को आगे के लिए ट्रेड करना है तो अ नी और प्राइवेट दोनों तरह की बसों को खुल कर चलने दीजिये और देखिये कि कौन सी बसेज अधिक चलती हैं। कानपुर लखनऊ में आपने थोड़ी सी टैक्सी चलने की आज्ञा दी है। टैक्सियों में मुसाफिरों को सुविधा मिलती है, उनकी ही यह हालत है कि यात्री बसों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को छोड़ कर टैक्सियों में बैठना पसंद करते हैं और हम लोगों ने भी टैक्सियों से आना शुरू कर दिया है। लेकिन कलेक्टर ने यह आदेश दे दिये हैं कि टैक्सियां वहां खड़ी न हुआ करें, ऐसी जगह खड़ी हुआ करें जहां मुसाफिर पहुंच भी न पाये। बस का अपर क्लास का किराया ३.४० रुपया है जब कि टैक्सी ५ रुपया लेती है और लोग उसमें बैठना पसंद करते हैं क्योंकि वह सवा घंटे में ही पहुंचा देती है थोड़ी सी टैक्सियों ने कर्मचारियों का ऐसा दिमाग बौखला दिया है तो प्राइवेट बसों का कंपीटीशन भला आप किस प्रकार से कर पायेंगे ? मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप नई और पुरानी बसों को रूट्स पर लाइये और सुविधाओं को बढ़ाइये जिससे यात्रियों को आराम मिले। संविद सरकार ने यह तय किया था कि जिससे परमिट वगैरा का झंझट न हो, लेकिन मंत्री जी को जैसा कि मालूम है कि वह सरकार खत्म हुई जो रूट्स नेशनेलाइज नहीं हैं हवां पर इसको खत्म कर दिया जाय और यह कह दिया जाय कि प्राइवेट बसें चलें। जो टैक्स दे वह चलायें। इससे परमिट वगैरह का जो भ्रष्टाचार था जो ब्लैक होता था वह खत्म हो जाता। इसमें न यह रहता कि कांग्रेस का आदमी नामीनेट हो, बी०के० डी० का हो या जनसंघ का हो। परमिट वाला मामला खत्म हो जाता तो किसी तरह का झंझट ही नहीं रहता। इस तरह से यह चीज अपने आप खत्म हो जायेगी। संविद सरकार ने कितना अच्छा निर्णय लिया था। उसकी तरफ आप ध्यान देने की कृपा करें। अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो केंद्रीय सरकार से भी बात कर लें। आप एक हाई पावर कमेटी इसके लिये बिठायें जो जनता की सुविधा को ध्यान रखकर काम करें। जैसे प्रयोग किये जा रहे हैं। आप भी प्रयोग करें। आपने तो प्रयोग करने का जमाना बनाया है। पहले प्रयोग करें यदि ठीक हो तो काम करें। इसलिये आप कदम उठाइये।

मैं मंत्री जी का इधर ध्यान दिलाऊंगा कि बस स्टेशनों पर अक्सर स्वीपर्स नहीं मिलते हैं और पेशाबघर इतने गन्दे होते हैं कि अगर कोई वहां जाय तो उसको कै हो जाय। मैनपुरी और एटा में पेशाबघरों की बड़ी खराब व्यवस्था है। इसी तरह से वाटर मैन ए० जी० एम० के यहां काम करते रहते हैं और बस स्टेशनों पर पानी पिलाने का कोई प्रबन्ध नहीं रहता है। इन छोटी-छोटी कमियों पर मंत्री जी ध्यान दें। इससे जनता को बड़ी सुविधा और आराम मिलेगा। जब बसेज चली थीं तो लोग आशा करते थे कि इनसे सुविधायें मिलेंगी और टाइम पर पहुंच जायेंगे।

आपके यहां साल में एक बार कर्ट सी वीक मनाया जाता है। इसमें कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाय। लेकिन कंडक्टर, ड्राइवर वगैरह जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। आपका विभाग कमर्शियल विभाग है। सुविधा और आमदनी दोनों के लिहाज से इसको एफीशियेंटली चलाइये। इससे आपकी रेवन्यू बढ़ेगी और जनता भी प्रसन्न होगी। मुझे आशा है कि मंत्री जी इधर ध्यान देंगे।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं परिवहन मंत्री द्वारा सदन में जो अनुदान रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमान् जी, उसके साथ-साथ मैं कुछ अपने दृष्टिगोचर वाकयात हैं, उनको रखना चाहता हूं। जैसे जब बस आती है तो बड़ी विचित्र बात होती है अगर डिपार्टमेंट का कोई आदमी जाने वाला होता है तो उस गाड़ी का या तो ड्राइवर गायब रहता है या कंडक्टर गायब रहता है या दोनों गायब रहते हैं। दूसरी चीज, गाड़ियां अक्सर लेट आती हैं। एक एक घंटा गाड़ी लेट आती हैं। पता नहीं क्यों ? गाड़ी का समय हो जाता है, कंडक्टर या ड्राइवर बैठ चाय पीते रहते हैं। पब्लिक की परेशानी की उनको कोई परवाह

[श्री गुप्तार सिंह--]
नहीं होती। दूसरी बात यह है कि हमारे जिले में बसें अधिकतर धक्का परेड में चलायी जाती हैं। अगर यात्री धक्का दे कर न ढकेलें तो गाड़ी चलती ही नहीं। क्या कारण है, मैं नहीं जानता। गाड़ियों का प्रबन्ध ठीक नहीं होता, फोरमैन गलत काम करता है, या पुर्जे ठीक नहीं लगाये जाते, पता नहीं क्या बात है? यात्री ढकेलें तब चलें, बड़ी विचित्र बात है। सम्भव है कि कुछ यात्री अकड़ू हों। वे उतर कर धक्का न लगायें तो गाड़ी ही न चलें, खड़ी ही रहे।

इसके अलावा अब अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। १९६६ में आलमपुर में कई बीघे जमीन बस डिपार्टमेंट को प्रदान की गयी थी, बस स्टेशन के बनवाने के लिए क्योंकि लालगंज में कई एक एक्सीडेंट हो गये, एक आदमी की जान चली गयी और इतनी संकरी जगह है, उस पर इतना ज्यादा एनक्रोचमेंट है। वह भी नहीं हटाया जाता। इतनी परेशानी रहती है। ड्राइवर की सतर्कता ही कही जा सकती है। मुजफ्फर साहब का बस स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए तय हुआ था लेकिन किसी ने कस्बे से एक दरख्वास्त दे दी। कस्बे के आदमियों की जमीनें हैं। वह चाहते हैं कि हमारी जमीन निकल जाय, हमारी जमीन में बस स्टेशन बन जाय, तो हमारी जमीनों की कीमत बढ़ जाय। हमारी समझ में नहीं आता कि डिपार्टमेंट के आदमी ऐसे आदमियों के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। बस स्टेशन को जब जगह मिल गयी, और मुफ्त में ग्राम समाज ने दिया है तो कीमत दे कर जगह लेने का कहां सवाल उठता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं मंत्री जी से और अधिकारियों से और कर्मचारियों से कि उस बस स्टेशन का शीघ्र से शीघ्र निर्माण होना चाहिये। इसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे टिकट का ठीक प्रबन्ध नहीं है। बस बुक होने के पहले ही अगर ४० की जगह है तो ७५ आदमी बस में बैठ जाते हैं। और टिकट वाले टापा करते हैं और जो बैठे हैं वह उठते भी नहीं, उससे मजबूर होकर कंडक्टर लोग उन्हें वहीं बस में टिकट काटते हैं। तो इस प्रकार से ५०-५५ की सीट वाली बसों में ८०-८५ आदमी तक हो जाते हैं। क्या हालत होती है कैसे लोग जाते हैं यह भगवान जानता है। मैंने तो देखा कि अपर में जो बैठे हैं वह बैठे हैं और नहीं तो ५-७ आदमी अवश्य ही खड़े रहते हैं। अपर और लोअर का डिवीजन वहां नहीं रहता है।

एक बात और है, पहले बस में दो दरवाजे थे, पता नहीं किस सांइटिफिक निगाह से अब एक दरवाजा कर दिया गया है। पहले तो मैं यह समझता था कि यह इसलिये किया गया है कि इससे बिना टिकट वाला कोई व्यक्ति उसमें न चढ़ सके और एक दरवाजे पर कंडक्टर मुस्तैदी से बैठा रहे। लेकिन इसका यह लाभ कुछ नहीं हुआ। होता यह है कि बस में आदमी खड़े रहते हैं, दरवाजे पर भी खड़े रहते हैं, जिससे आदमियों और खास कर औरतों को उस भीड़ से निकलने में बड़ी परेशानी होती है। भीड़ का निकलना बैठना एक ही दरवाजे से होता है। दो दरवाजे हों तो आसानी हो जाये। घंटों तक इस परेशानी में बीत जाते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि पहले की ही तरह दो दरवाजे बसों में हों। अब तो अपर लोअर भी खत्म होने जा रहा है, इसलिये इसे अवश्य फिर से किया जाए। एक स्टेशन रालपुर है, वहां बस स्टेशन होना चाहिये। सरैनी बस जो कच्चे में जाती है जो हमारे क्षेत्र से होती जाती है और वह एक बस बाड़ेपुर के पुरवा जाती है इसी प्रकार एक रेलिपुर से रौतापुर हाई स्कूल तक चली जाये तो और अच्छा हो। मैं इतना ही चाहता हूं कि टिकट आफिस का इंतजाम हो, बिना किराये के जो आदमी चढ़ जाते हैं उनको चढ़ने से सख्ती से रोका जाये। कुछ लोग कंडक्टर से भी अन्दर टिकट नहीं लेते हैं और देखा तो यह जाता है कि लोग जब एक-एक स्टेशन चले जाते हैं और जब कंडक्टर चेकिंग करता है तो वह कबूल करते हैं और टिकट लेते हैं आखिर में मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि लालगंज बस स्टेशन का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र जुलाई में शुरू कर दिया जाये, जिसके लिए वहां के लोग, कस्बे के लोग आपके आभारी रहेंगे।

श्री शिवप्रसाद पांडेय (जिला रायबरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, आपके सामने जो कटौती का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप जानते हैं कि आज अभी थोड़े दिनों में नारे लगाये जायेंगे "जै कन्हैयालाल की, हाथी घोड़ा पालकी" इस प्रकार से यह हाथी, घोड़ा और पालकी की जो कथा है, पुरानी सामन्तशाही की कथा है और वह यह है कि हाथियों पर हमारे राजा चलते रहें, हमारे कुमार जी जो हैं वह घोड़ों पर चढ़ते रहें और हमारी शाहजादियां पालकियों पर चलती रहें। इस प्रकार से आज "जै जवाहरलाल की, मोटर बंगला जहाज की" का नारा चरितार्थ होता है। जो हमारे बड़े-बड़े प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री हैं वह तो हवाई जहाज पर चढ़ते रहें और जो हमारे मिनिस्टरान-मंत्री लोग हैं वह मोटरों पर मौज करें और जो हमारे साहबान हैं—अधिकारीगण हैं—वह बंगले में सैर करते रहें यह जो बजट है वह कोई गरीबों का बजट नहीं है और न यह बजट कांग्रेस सरकार का है। यह तो गुप्ता सरकार का बजट है, गुप्ता के मित्रों का बजट है और यह तो गुप्ता के कुनबा बिरादरी का बजट है। इसलिये मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव में पैसा तो क्या आपको एक कौड़ी भी नहीं पास करनी चाहिये। आप जानते हैं कि इस प्रस्ताव में किस को मौज मिलेगी। यह जो हमारे बसों के कंट्रोलर साहब हैं, बड़े बड़े एजेन्ट महोदय हैं और बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी हैं इनको इसमें मौज मिलेगी। इसमें गरीबों को कोई मौज नहीं है। ईमानदारी की बात आप देखें।

मैं आपसे सच कहना चाहता हूं और आप शायद नहीं जानते होंगे। अभी आपके सामने एक कांग्रेसी विधायक ने एक बात कही। रायबरेली में बहुत कुछ चर्चा की जाती है कि इंदिरा गांधी का क्षेत्र है और वहां बहुत कुछ तरक्की हुई है। मैं भी इंदिरा गांधी के क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुन कर आया हूं। आपके सामने कांग्रेसी विधायक श्री गुप्तार सिंह ने बताया कि हमारे जिले और इंदिरा गांधी के क्षेत्र में जितनी बसें हैं वे बगैर ठेले नहीं चल सकती हैं। वह कोई मशीनरी काम नहीं करती है। अगर परिवहन मंत्री जी रायबरेली के बस स्टेशन के संडास में चले जायें तो मैं समझता हूं कि उनको कै और दस्त हुए बिना नहीं रह सकते। सवारियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं एक बार बछरावां आ रहा था। इसमें सबसे पहले बात यह होनी चाहिये। रेलवे में तो ठीक है स्टेशन मास्टर या उनके मित्र और साथी बिला टिकिट चलें लेकिन जो बस है उसमें पचास पचपन सवारियां होती हैं उसके ऊपर इंसपेक्टर और दूसरे उनके मित्र लोग रोडवेज की बसों में बैठ जाते हैं जो कि रिलीविंग में होते हैं और मुसाफ़िर बेचारे इधर-उधर जाया करते हैं मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह बेइंसाफ़ी कहां तक ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देखें कुछ और बातें हैं जिनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बस स्टेशन पर न तो कोई किराये की सूची लगी हुई है और न कोई टाइम टेबिल है और न वहां कोई पट्ट टंगा हुआ है कौन बस कब आती है और कौन बस कब जाती है और उसका क्या किराया है कुछ पता नहीं चल पाता है।

दूसरी बात यह है कि जो बसें हैं वह समय से नहीं छूटती हैं। अगर कोई बस छूटती है तो कभी ड्राइवर साहब कैन्टीन में चले गये हैं और अगर वह लौट आये तो कंडक्टर गायब है। नतीजा यह होता है कि मुसाफ़िर पड़ा सड़ा करता है। कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इत्तिफ़ाक से बस चल भी गई तो मालूम हुआ कि दरोगा जी जाने वाले हैं। एक चपरासी आकर कंडक्टर से कहेगा कि दरोगा जी जाने वाले हैं। जब बस कोतवाली के सामने खड़ी हुई है तो दरोगा जी टट्टी गये हैं, अब दरोगा जी कपड़ा पहन रहे हैं, अब दरोगा जी वर्दी पहन रहे हैं और अब दरोगा जी पाजामा पहन रहे हैं। यह हालत है।

[श्री शिवप्रसाद पांडेय]

मैं एक बात और परिवहन मंत्री जी को बताऊं । इत्तिफ़ाक से मैं लखीमपुर-खीरी गया था वहां बस स्टेशन के पास ही टैक्सी ड्राइवरों का एक अड्डा है । ६ बजे के करीब मेरी गाड़ी छूट गयी तो मैंने सोचा चलो बस से चलूं । वहां लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ वाली बस आयी तब ड्राइवर ने कह दिया कि गाड़ी बिगड़ी हुई है । नतीजा यह हुआ कि तीन-तीन और चार-चार रुपये ज्यादा देकर टैक्सी पर सब सवारियों को जाना पड़ा । मैं देर तक देखता रहा कि यह क्या तमाशा है । अन्त में पता चला कि बस के इंचार्ज से ये लोग मिले हुए हैं । मैंने उनसे कहा कि यह सब क्या हरकतें कर रहे हो . उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं । तो मैंने कहा कि मैं एक मामूली इंसान हूं लेकिन सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूं । बस को चलाओ और अगर बिगड़ी है तो कारखाने भेजो तब जाकर बस चलाई गयी । यह हालत है, चारों तरफ़ भ्रष्टाचार है और आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा इंतजाम है । क्या यही आपका इंतजाम है ।

मेरा सुझाव एक यह भी है कि कम से कम ५ मील की दूरी पर अगर बस स्टेशन न हो तो हाल्टिंग स्टेशन तो जरूर हो । हमारी इंदिरा रानी जी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रही हैं हमारे मंत्री जी अगर प्राइवेट बसेज का ही राष्ट्रीयकरण कर देते तो कम से कम हम लोग आपके साथ ताली बजाते । इन प्राइवेट बसों में होता क्या है ? इनको परमिट दिये जाते हैं । मैं पार्टी सम्मेलन में हापुड़ गया था । वहां ऐसे लोग हैं जिनके पास दमड़ी भी नहीं रहती है लेकिन बस का परमिट मिला कि फिर वह हजारों, लाखों रुपया कमाते हैं । बिलकुल निरंकुशता है, भ्रष्टाचार है । इसे खत्म होना चाहिये

बहुत से ड्राइवर लोग नशा बहुत पीते हैं । उन पर प्रतिबन्ध होना चाहिये कि वे नशा पीकर गाड़ी न चलावें इससे ऐक्सीडेंट्स बहुत होते हैं । हमारी सोशलिस्ट पार्टी का हमेशा से यह नारा रहा है कि एक ही क्लास होना चाहिये, फ़र्स्ट और सेकंड क्लास नहीं होना चाहिये और रेल के किराये से बसों का किराया कम होना चाहिये ताकि हर गरीब मुसाफ़िर उसमें चल सके जैसा अभी कहा गया है कम से कम दो दरवाजे उनमें हों जिनमें से एक से महिलायें और बच्चे चढ़ सकें ।

दूसरी बात, परिवहन विभाग को श्रम विभाग के समानान्तर कर दिया जाय और ऐसा कानून बना दिया जाय कि जो कर्मचारी हैं उनको बोनस दिया जाय, उनके लिए मकान हों, उनके लिए विश्रामालय होने चाहिये । कोई आदमी मान लीजिये बद्रिकाश्रम जाता है बस लेकर के और वहां उसके लिए ठहरने का कोई स्थान नहीं है । इसकी ओर सरकार का ध्यान जरूर जाना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री हरीदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—

अधिष्ठाता महोदय, आज परिवहन मंत्री ने जो यह अनुदान सदन के समक्ष उपस्थित किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । जिस अनुदान की इस समय चर्चा है, आप जानते हैं उसके दो भाग हैं । एक तो रोडवेज विभाग है जिससे ये बसें चलती हैं और दूसरा प्रशासन वाला हिस्सा है जिसमें आर० टी० ओ० काम करते हैं, जो सड़क और गाड़ियों वगैरा का अनुशासन है उसका प्रशासन करते हैं । यहां पर अभी जो चर्चा होती रही है उसमें रोडवेज की शिकायतों की अधिक चर्चा थी । यह बात तो प्रत्यक्ष है कि जो हमने राष्ट्रीयकरण की दृष्टि से यह रोडवेज चलाया था उसका परिणाम अच्छा निकला है । इसका जनता में स्वागत हुआ है । लोगों को इससे आराम मिला और प्राइवेट बसेज में जो तरह तरह की ज्यादतियां होती थीं वह कम हुयीं इस राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र में उतरने से जनता को लाभ हुआ है । अभी उस तरफ़ से यह शिकायत की गई और इस तरफ़ से भी कि गाड़ियां खराब

हैं, उनकी तादाद कम है, इतनी हजार गाड़ियां थीं वे सब वर्कशाप में पड़ी थीं और गड़बड़ हैं। अधिष्ठाता महोदय, यह मशीन का काम है तो जरूर खराब होगा और वर्कशाप में भी वह जायगी। अब वास्तव में बात यह देखनी है कि मोटर चलने का काम करेंगी तो लाजिमी है कि उसका रख-रखाव और उसकी मशीनरी के लिये वर्कशाप हमारी ठीक तरह से काम करें। आपको याद होगा कि सन् १९६६ में जब भयंकर हड़ताल हुई थी जिसमें रोडवेज के कर्मचारियों ने भी मुख्य रूप से साथ दिया था, बड़ी तादाद में लोग उस हड़ताल में थे। उसके बाद जब अनुशासनहीनता फ़ैली तो उसका असर वर्कशाप पर भी आया जिसके कारण गाड़ियों की बहुत हालत खराब रही और इधर में देख रहा हूं कि हालत ठीक हो रही है। वर्कशाप भी अपनी नार्मल हालत में आ रही हैं। उसका नतीजा यह है कि जिन गाड़ियों के खराब होने की शिकायत थी समय से न छूटने की वह अब कम होंगी।

एक मौलिक बात मैं यह उठाना चाहता हूं जिसकी शिकायत असरार अहमद साहब ने भी की और बड़े जोश के साथ उन्होंने चैलेंज दिया था कि इसमें ५ करोड़ का घाटा है। तो मैं मंत्री जी से इतना चाहता हूं कि रोडवेज जिस प्रकार से कमर्शियल ढंग पर चलाई जा रही हैं, वह कमर्शियल काम है भी लेकिन उसके चलाने में रोडवेज के कर्मचारियों को भी दिक्कत होती होगी, उनसे आप दरियाफ्त कीजिये। जब वह सरकारी डिपार्टमेंट की तरह से काम करते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं रुपये पैसे का मामला होगा तो फाइनेंशियल हैंडबुक से गाइड होंगे। अगर इस तरह से फाइनेंशियल हैंडबुक पर आधारित रहें और यह देखें कि प्रोसीजर पूरा हो तो काम बिगड़ जाता है। यह मशीनरी का मामला है इसको भी नजर में रखना पड़ेगा। यह जो भ्रम लोगों में है और मुझको भी संदेह है कि रोडवेज मुनाफे से चल रही है या नहीं, तो यह बात सही है कि यदि कोई आपरेटर चलाता होता तो वह ज्यादा मुनाफा लेता, उतना हम ले भी नहीं सकते क्योंकि उसको हम पब्लिक वेलफेयर के लिए चलाते हैं, मुनाफा कमाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन इतना तो होना चाहिए कि वह सेल्फ सफिसियेंट हो, इसमें मुझको भी संदेह है। यह बात बेशक है कि वह ऐसी हालत में नहीं है कि घाटे में चलती हो, लेकिन ऐसी नौबत आ सकती है थोड़े दिनों में। इसके लिये एक हल हो सकता है कि आप इस रोडवेज को एक आटोनोमस कारपोरेशन के सुपुर्द कर दें। उसमें यह गुंजायश रहने दें कि गवर्नमेंट के शेयर्स मैजारिटी के हों और उस कारपोरेशन में प्राइवेट आपरेटर्स भी योगदान दे सकते हैं। इस तरह से नेशनलाइजेशन और प्राइवेट आपरेटर्स का जो झगड़ा है वह भी समाप्त हो जायगा। फिलहाल इसको आप विचारार्थ रख सकते हैं और इसके प्रौज़ ऐंड कोन्स को विचारने के बाद ही तय करें।

दूसरी बात परमिट्स के लाइसेंस की बड़ी चर्चा थी। मैं इत्तिफाक करता हूं कि परमिट्स जहां पर आप देते हैं वह उदारतापूर्वक दिये जाने चाहिए, इसमें कोई रुकावट, कोई बंदिश का होना करप्शन की जड़ है। हमारे कुमाऊं के रीजन में ट्रक्स के परमिट देते हैं, मगर ४ महीने के बाद फिर रिन्यु कराना होता है। यह कायदा है कि ८ महीने अगर गाड़ी चले तो उसका लाइसेंस आटोमेटिकली परमानेंट हो जायगा, लेकिन होता नहीं है और हर चार महीने उसे दौड़ना पड़ता है। ५० हजार की लागत से कोई गाड़ी खरीदे तो चार महीने बाद उसे छप कभी नहीं कर करेगा। तो इस तरह से रिन्युअल में उसे मुनासिब, नामुनासिब सब काम करने पड़ते हैं। यह सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र में हैं, प्लेन्स में तो ट्रक्स के परमिट्स बिलकुल उदारतापूर्वक दिये जाते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वहां पर भी उदारतापूर्वक दिये जांय।

मैंने असरार साहब का हवाला दिया था। मेरी अर्ज है कि रोडवेज के पास जितनी गाड़ियां हैं और रूट्स हैं थोड़े दिनों के लिए उनको आगे बढ़ाने से रोक दीजिये, नयी गाड़ियां और सड़कों को न लीजिये और आपका तजुर्बा क्या है अब तक का उसका इवैलुएशन करा लीजिये कि क्या स्थिति है। उसमें असरार साहब की भी मंशा पूरी हो जायगी और वह जो कहते हैं

[श्री हरीदत्त कांडपाल]

५ करोड़ का घाटा है, मुनाफा फरजी है, वह बात भी तय हो जायगी और यह बात तय हो जायगी कि रोडवेज का विस्तार हो या न हो। इसलिये इवैलुएशन हो जाना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आपका डिपार्टमेंट टेकनिकल डिपार्टमेंट है और हमारे सदन में यह आवाज उठी है कि इस प्रकार के जो टेकनिकल डिपार्टमेंट्स हैं उनका हैड टेकनिकल आदमी होना चाहिए। अगर इस विभाग का भी टेकनिकल डिपार्टमेंट होने के नाते टेकनिकल आदमी ही हैड आफ दि डिपार्टमेंट हो तो ज्यादा अच्छा काम हो सकता है बजाय पी० सी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर के।

अन्तिम प्रार्थना यह है कि अगर आप रोडवेज पर चलने के लिए भी सदस्यों को फ्री पास पास दे दें तो जो बहुत-सी शिकायतें सदन के सम्मुख माननीय सदस्यों द्वारा रखी जाती हैं कम हो जायंगी। जब वे बसों पर जायेंगे तो ड्राइवर और क्लीनर पर एक तरह का चेक हो जायगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया में संसद् सदस्यों को यह सुविधा है। बस सफर के संबंध में यहां भी आप कर दें।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ समय लेना चाहता हूं। आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें कि जब यह विभाग शुरू में खोला गया था तो इसका उद्देश्य, जहां तक मैं समझा हूं, जनता की और जो कर्मचारी काम करेंगे उनकी सुविधा तथा राष्ट्रीय धन अर्जन करना था। ५१ प्रतिशत सरकारी और ४९ प्रतिशत प्राइवेट शेयर रखे गये थे। प्राइवेट आपरेटर्स ने अपना हिस्सा न लेकर सरकार का विरोध किया और हुआ यह कि धीरे-धीरे रूटों पर सरकारी बसें चलने लगी। अभी भी कुछ रूट्स सरकार ने छोड़ रखे हैं जहां प्रभावशाली व्यक्ति अपनी बसें चला रहे हैं और सरकार को प्रभावित करके उन रूट्स का नेशनलाइजेशन नहीं होने देते। श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और देखें कि आज तक हमने क्या राष्ट्रीय निधि कमायी और दूसरी तरफ जितने कर्मचारी इस में काम कर रहे हैं उनको क्या सुविधायें पहुंचायी। अगर आप प्राइवेट आपरेटर्स के कर्मचारियों के दिल का और रोडवेज के कर्मचारियों के दिल का हाल मालूम करें तो इसमें काम करने वाले कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसके अतिरिक्त आप जनता की सुविधाओं की बात को देखें। जनता को क्या सुविधायें आपने दी हैं? इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने अपने ही पक्ष के वक्ताओं की भी बातें सुनी हैं जिन्होंने इससे संबंधित शिकायतें प्रस्तुत की हैं। कोई भी रूट आप ले लें। आप देखें कि पहले उस रूट पर क्या संख्या थी और आज क्या है जब कि हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आज दशा यह है कि अगर किसी रूट पर दस बसें हैं तो दस में चार बेकार हैं और जो छः चल रही हैं वे भी, जैसा कि यहां और सदस्यों ने भी कहा है, धक्के से चलती हैं। तो श्रीमन्, स्थिति यह है कि न तो बसों की संख्या ही बढ़ी है और न जनता को सुख सुविधायें ही। जहां पहले किराया ३५ पैसे लगता था वहां अब ६५ पैसे लगता है और सुविधा पहले से भी कम होती जा जा रही है। बस छूटने के समय पर नहीं छूटती है और पहुंचने के समय पर स्थान पर पहुंचती नहीं है। बस स्टेशनों पर लोगों के लिए ठहरने, पानी और शौचालय की सुविधा भली प्रकार जो होनी चाहियें, नहीं है। वर्कशाप में आप जाइये तो देखेंगे कि एक साल में कितनी सामग्री दी गई पुर्जे आदि के रूप में, मैं नहीं कहता कि आप मेरे आंकड़े मानें, आप अपने आंकड़े से देखें उसका पता नहीं है। वह बसों में नहीं लगे। ड्राइवर हर चीज की रिपोर्ट देता है उन्हीं से सभी आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं। पहले कहा जाता था कि बसों में ओवर लोडिंग नहीं करेंगे। प्राइवेट वाले ओवर लोडिंग करते थे लेकिन अब होता यह है कि ४५ सवारी की बस में ७० आदमी के टिकट काटे जाते हैं। क्यों नहीं उच्च अधिकारी देखते कि यह कैसे होता है कि ४५ की जगह जिस बस में है उसके लिए ७० टिकट काटे गये। आप इसे देखें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य "आप" शब्द का प्रयोग करते हैं जिसके माने मुझसे हैं ।

श्री चन्द्रपाल आजाद—

मेरा मतलब मंत्री जी से था ।

श्री अधिष्ठाता—

आप चेयर को ऐड्रेस करें ।

श्री चन्द्रपाल आजाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान में इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि बस के टिकट में जहां ३६ पैसा देना होता है वहां ३५ पैसा देना पड़ता है और जहां ३२ पैसे का टिकट है वहां भी ३५ पैसा देना पड़ता है । और जहां ३६ पैसे का टिकट है वहां ४० पैसा देना पड़ता है । बसों के जो स्टेशन हैं वहीं पर टिकट लेने में एक पैसे के लौटाने का कोई स्थान नहीं है । तो यह टिकट ३०, ३५, ४० इस तरह से रखे जायें और छोटे पैसे में रखे जायं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके जरिए से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गोवर्धन बस स्टैन्ड की आलीशान बिल्डिंग की ओर दिलाना चाहूंगा । वहां जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है । अभी हाल में जो मेला हुआ उसमें बसें चलीं बहुत कम लेकिन साथ ही प्राइवेट बसें और लारीज टैक्सी के रूप में बहुत अधिक चलीं । अगर राष्ट्र की आमदनी को बढ़ाना है तो हर हालत में आपको अपने बसों की संख्या बढ़ानी होगी, बसों में सुविधा देनी होगी । बसों में जो एक खिड़की दी गयी है उससे वाकई में जनता का बहुत बड़ा नुकसान है, चढ़ने उतरने में बड़ी तकलीफ होती है, इसकी ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसानों के लिये ट्रॉली पर टैक्स न लगाने की जो बात कही गयी, वह बड़ी अच्छी बात है । इसके लिये कुछ अंकुश हो सकता है लेकिन उसे भी आप समाप्त कर दें तो किसानों के हित में अच्छा होगा । समझ लें कि चाहे आप एक रुपया भी उसके ऊपर टैक्स रखें लेकिन किसान जब आर० टी० ओ० आफिस में जायगा, तो ५० रुपये उसके ऐसे ही लग जायेंगे । इसलिये किसानों के हित में उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये । हर शहर में स्कूटर वगैरह चलाने की जहां तक बात है, मेरी प्रार्थना है कि किसी को भी इस तरह से परमिट न दे दिया जाय कि एक ही आदमी १०-१५ गाड़ियां खरीद ले । इसलिये एक आदमी को एक ही परमिट देने की व्यवस्था की जाय ।

*श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि यातायात विभाग में जो तमाम गड़बड़ियां हैं, उनमें सुधार करने का एक अच्छा अवसर उनको मिला है । हमें भूलना नहीं है इस स्थान पर कि हमारे इस समय के जो विरोधी दल के नेता हैं चौधरी चरण सिंह, उनके हाथ में भी यह विभाग रहा है और प्रशासन में उनका अच्छा स्थान है । मजबूरी है कि कुछ कारणों से वे इस समय हमारे साथ नहीं हैं । परन्तु हमें यह भूलना नहीं है कि वह तेजी और तरक्की जो चौधरी साहब इस विभाग को लेकर दिखलाये थे, संविद के जमाने में उनके पास नहीं रही । हमें याद आता है राठौर साहब का जमाना, डाक्टर साहब का जमाना और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि परिवहन मंत्री माननीय शर्मा जी को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी । हमारे इधर और उधर के तमाम साथियों ने गाड़ियों को धकेल कर चलाने वगैरह की तो बहुत बातें कहीं, देहात और सब जगहों को देखते हुए परिवहन विभाग यातायात के लिये सही इन्तजाम करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ज्वालाप्रसाद कुरील]

में अभी भी समर्थ नहीं हो सका है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी बिगड़ी हुई मशीनरी को समझें और उसे सुधारने की कोशिश करें। जिले में जो रीजन हैं उन रिजन्स के जो मैनेजर हैं, ए० डी० एम० या डी० एम० हैं उनके लिये इतना मैं जरूर कहूंगा कि उनमें कोई अच्छा करने काम का तजुर्बा नहीं है या फिर वे लूट खसोट में लगे हुए हैं।

मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि परिवहन विभाग में २८ हजार से अधिक कर्मचारी लगे हुए हैं परन्तु इस विभाग में हमारी परिगणित जाति के लोगों को ५ प्रतिशत से अधिक जगह कहीं नहीं मिली है। यह बड़े दुःख की बात है कि आजतक हमारी सरकार इस विषय पर अपना ज्यादा ध्यान नहीं लगा सकी है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर ध्यान से देखें कि अगर अधिकारी हममें से ज्यादा नहीं बन सकते तो दूसरी बात है लेकिन जो छोटे-छोटे कर्मचारियों के स्थान हैं, वहां पर हाई स्कूल पास वालों के लिये जाने की बात करें जिससे कि वह प्रतिशत तो पूरा हो। मुझे यह कहने में सन्देह नहीं है कि आपके आदेश के बावजूद मुकामी अधिकारी जो हैं, उसका पालन करने में पीछे रहेंगे। मैं एक जिले की बात बतलाऊं कि अभी १२-१३ महीने में कंडक्टरों पर बिना टिकट यात्रियों के ले जाने के जो मामले चलाये गये, उनमें बड़ा पक्षपात बरता गया है। उन कंडक्टर्स को जिनकी सदारत में ५२, ४०, ३५ २५, २२ और १९ इतने-इतने बिना टिकट मुसाफिर पकड़े गए उनके ऊपर अधिकारियों द्वारा मेहरबानी की गई, वह बहाल रखे गए। परन्तु ऐसे कंडक्टर्स जो उनके कृपापात्र नहीं थे, उनकी सेवा नहीं करते थे, उनको केवल ३ बिना टिकट यात्रियों पर ही कुछ टिकट बना चुके थे और कुछ बना रहे थे ए० टी० आई० ने पकड़ लिया। यदि उनकी नियत खराब होती तो वह टिकट न बनाए होते, लेकिन उनको सर्विस से निकाल दिया गया। उनकी अपील भी खारिज हो गई। बड़ी मुशिकल से यहां ऊपर आकर उनकी अपील बहाल हुई, यह पक्षपात यहां तक ही नहीं है बल्कि इतना तक हुआ है कि ज्यादातर मुकदमें उन्हीं पर चलाए गए जो हरिजन और परिगणित जाति के हैं और जानबूझ कर उनको रगड़ा गया है।

श्रीमन्, २४ तारीख को मैंने एक सवाल किया था जिसमें पूछा था कि १५ महीने में कितने कंडक्टर और क्लर्क बनाए गए। तो जवाब मिलता है कि २२ कंडक्टर और १९ क्लर्क बनाए गए। और जब मैंने यह पूछा कि हरिजनों की कितनी दरख्वास्तें थीं तो जवाब मिला कि कोई नहीं थी। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह का जवाब दिया जाता है। मेरे पास एकनालेजमेन्ट्स हैं.....

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्वाइंट आफ आर्डर। हमारे एक साथी को थोड़ी-सी सूचना मैं दे दूं। वह एक दूसरे सवाल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अगर वह उस वक्त मुझसे पूछ लेते तो पता चल जाता। जो लोग रखे हैं वह सब वही लोग हैं या तो जिनकी अपील मंजूर हो गई या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हटा दिया गया था। तो कुछ भ्रान्ति है, माननीय सदस्य मेरे पास आ जायेंगे तो मैं समझा दूंगा, सब पुराने लोग ही थे, एक-दो जो पुराने हरिजन थे वे उसमें आ गए।

श्री ज्वालाप्रसाद कुरील—

मैं बहुत आभारी हूं मंत्री जी का.....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री ज्वालाप्रसाद कुरील—

जैसा कि मंत्री जी ने कहा, बहुत मुमकिन है कि सही हो परन्तु इतना जरूर करूंगा कि पक्षपात इतना बरता गया है कि हद हो गई। ३० कंडक्टर ऐसे बहाल किये गये हैं जो ज्यादा

बिना टिकट यात्रियों को ले जाते हुए पकड़े गए और उनकी सेवाएं नहीं समाप्त की गयीं जबकि तीन-चार यात्री बिना टिकट पकड़े जाने वालों की सेवाएं समाप्त की गईं ।

श्रीमन्, एक बात और मैं कहना चाहता हूं रोडवेज विभाग को बनिये का विभाग न बनाया जाय। मुसाफिरों के और वर्कर्स के आराम का भी ध्यान रखा जाय। वर्कर्स के लिए न वर्दी का इन्तजाम है, न छुट्टी का है, रात-दिन काम करते हैं न उनके आराम का कोई इन्तजाम है ।

कलेक्टरगंज, कानपुर में सुनते आ रहे हैं कि स्टेशन बनने वाला है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शहर बड़ा भारी है, जल्दी उसकी तरफ ध्यान दें। एक बात और कहना चाहता हूं वर्कशाप की हालत बहुत खराब है। जो बसें किसी ड्रायवर के नाम लिखी हैं उन बसों की मरम्मत तो किसी न किसी तरह से वह ड्रायवर करा लेते हैं लेकिन जिसमें नाम नहीं लिखा होता है वह भगवान के भरोसे रहती है। यहां तक सुना जाता है कि एक ड्राइवर अपनी बस खड़ी करके रात को चला गया, इस बीच किसी ने उस बस का इंजन ही गायब कर दिया। एक्सीडेंट की यह हालत है कि रूर गांव में बस का अड्डा था। वहां पर एक्सीडेंट में एक लड़की मर गयी। उससे लोगों को बड़ा गुस्सा आया। नतीजा यह हुआ कि वहां का बस का अड्डा ही आपके कर्मचारियों ने खत्म कर दिया। २-३ वर्ष से अब वहां बस खड़ी नहीं होती। मैं चाहूंगा कि उस बस अड्डे को फिर कायम किया जाय ।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पुखरायां की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां पर आपके कर्मचारी रात को इसलिये कोई बस नहीं रहने देते कि अगर रात को वहां पर बस रुकेगी तो सबेरे से ही टिकट बांटना पड़ेंगे। इस वजह से, सबेरे से टिकट बांटना न पड़े वे बस ही नहीं रखते। तो इस तरह की जो ढिलाई इन कर्मचारियों में आ गयी है इस तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान दें। कानपुर रीजन में वर्कर्स में बड़ा असंतोष है। जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उन्हें तरक्की मिल जाती है और छोटे लोगों को परेशान किया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री चन्द्रभान (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि उनके विभाग की आज बहुत दुर्दशा है। सन् १९५९ में जिस वक्त माननीय मुजफ्फर हसन इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने रोडवेज विभाग के कर्मचारियों के बारे में यह घोषणा की थी कि कम से कम ७५ फीसदी सर्विसेज को परमानेंट कर दिया जायेगा, परन्तु आज तक २० परसेंट लोगों को भी परमानेंट नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी आज जाकर देखें कि उनके विभाग में वर्कर्स और लेबरर्स की क्या हालत है, वह कितनी खतरनाक है। आज जो इनके लेबरर्स या कर्मचारी हैं वे अपने मुकदमों को लेकर लेबर कोर्ट्स में नहीं जा सकते। जो छोटे ग्रेड के आफिसर्स होते हैं वही उनके मुकदमों को सुनते हैं। अगर आप उनको लेबर कोर्ट में जाने की सुविधा नहीं दे सकते तो कम से कम उनके लिये एक लेबर कमिश्नर या किसी हाई पावर कमीशन की नियुक्ति करें जिसके सामने वे अपने मुकदमों को ले जा सकें। १३-१३ वर्ष से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वे भी आज अस्थायी हैं। जी० पी० एफ० की जो सुविधायें आपने अपने दूसरे कर्मचारियों को दे रखी हैं वे भी इनको नहीं प्राप्त हैं। आपको उनकी सर्विसेज को रेगुलर करना चाहिये उनको और सुविधाओं की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिये। इन कर्मचारियों को अर्न्ड लीव, कंजुअल लीव, मेडिकल लीव आदि की भी वे सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो आप अपने अन्य कर्मचारियों को देते हैं। दूसरे कर्मचारियों को आप १४ दिन की कंजुअल लीव देते हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रभानु]

जब कि इन रोडवेज के कर्मचारियों को केवल ६ दिन की कैजुअल लीव आप देते हैं। क्या वे आदमी नहीं हैं ? इस प्रकार आप उनसे कैसे यह आशा कर सकते हैं कि वे तन-मन-धन से आपके विभाग की, इस जनता की सेवा करेंगे।

मान्यवर, १९६६ में आपके विभाग ने रोडवेज संबंधित कुछ स्टैंडिंग आर्डर्स बनाये थे। वे आर्डर्स आज तक वेरीफाइंग अथारिटीज, कानपुर के पास पेंडिंग पड़े हुये हैं। उन्हें आज तक लागू नहीं किया। क्यों डिटेन किया जा रहा है और उनको लागू क्यों नहीं किया जाता। मैं आप से यह कहने वाला हूं कि आपकी जो वर्कशाप की हालत है उसका अन्दाजा आप इस बात से लगाइये कि नये पुरजों के लिये बजट मंजूर हुआ है लेकिन पुराने पुरजे इस्तेमाल हुए हैं।....

श्री अधिष्ठाता---

आप 'आप' शब्द का बहुत प्रयोग कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु---

मुझे माफ कीजिये, मैं नया आदमी हूं। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम द्वारा अपने मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि उनकी वर्कशापों के अन्दर यह पोजीशन है कि सत्तर हजार रुपयों का गबन मेरठ में पकड़ा गया। उस केस को बजाय इसके कि पुलिस को सुपुर्द किया जाता या मुकदमा चलता, उस व्यक्ति को बचा लिया गया और उसका ट्रांसफर ऋषिकेष कर दिया गया। अगर इसी तरह से कुनबापरस्ती चलती रही तो किस तरह से आप अपने डिपार्टमेंट को चला सकेंगे। यह बात आपके सोचने की है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम द्वारा मिनिस्टर साहब से एक बात और बताना चाहता हूं और प्रार्थना करूंगा कि वे उसको नोट कर लें कि तेरह साल और बाईस साल की सर्विसेज होने के बाद आज भी वर्कशाप मजदूर वर्कचार्ज पर काम करते हैं। आज तेरह साल बीत गये वह बुढ़ापे में चला गया लेकिन आज भी उसका डेली वर्क के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। उसको किसी बात की सुविधा नहीं है। यह कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। इसको मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं। इन हालतों में आप इतना बड़ा बजट मांग रहे हैं, कितनी ग्रान्टें मांग रहे हैं। इसी तरह राउन्ड फिगर में किराया मुकर्रर नहीं किया गया। पांच पैसे और दस पैसे न होकर १ पैसा या तीन पैसे होने के कारण हर एक मुसाफिर को टिकट कन्डक्टर कहता है कि पैसे ले आओ। लिहाजा हर मुसाफिर तीन पैसे-चार पैसे छोड़ता है और इस तरह से उनको सौ, सौ रुपये और पचास-पचास रुपये की नाजायज आमदनी होती है जिसको स्टेशन इन्चार्ज, सुपरवाईजर आदि सब बांटते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम द्वारा बताना चाहता हूं कि आप इस किराये को राउन्ड फिगर में करने की कोशिश करें। आज कल डब्लू० टी० चलाने की आदत ज्यादा हो गई है। जितने कन्डक्टर हैं वे तमाम के तमाम पैसे ले लेते हैं पर टिकट नहीं देते हैं। रेलवेज की तरह से रोडवेज में भी एक ऐसा तरीका अख्तियार किया जाय कि बगैर टिकट चलने वालों को पिनाल्टी देनी होगी ताकि इस में फैला हुआ भ्रष्टाचार दूर हो। इस भ्रष्टाचार में वहां के स्टेशन इन्चार्ज और दूसरे लोग हैं ऐसे आदमियों को लगाते हैं जो इस तरह के भ्रष्टाचार के जरिये उनको भी पैसा दे सकते हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम द्वारा अपने मिनिस्टर साहब की तवज्जह हरियाणा और पंजाब की रोडवेज की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उनको मालूम होना चाहिये कि हरियाणा और पंजाब की रोडवेज ने बेलकम किया है वहां के लोगों का। दूसरी तरफ रोडवेजों के अन्दर हमारा क्या हाल हो रहा है। इसका अन्दाज लगायें कि ड्राईवर्स का मिजाज खराब और कन्डक्टर किसी की अटैची को हाथ नहीं लगा सकता। अगर औरत भी सामान ऊपर रखना चाहे तो भी उसको हाथ वे नहीं लगाते। मेरा निवेदन है कि आप वहां अपने एक्सपर्टस भेज कर उनके तरीके सीखने के बाद यहां भी संशोधन कीजिये।

एक इम्पार्टेन्ट बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिस वक्त एक्सीडेन्टस हो जाते हैं तो ड्राईवर्स को खुद ही मुकदमा लड़ना पड़ता है। जब कि रोडवेज की मालिक यू० पी० गवर्नमेंट

हैं तो रोडवेज के अधिकारी मुकदमा लड़ें और उसका खर्चा सरकार करे। इसके बजाय ड्राईवर को मुकदमा लड़ना होता है। जितनी आमदनी आप इस महकमे में देखते हैं इसमें ज्यादा पोर्शन उस आमदनी का है जो ड्राइवरों से काटी जाती है। जिन ड्राईवरों को ऐसे कामों में लगाया जाता है और उनसे मिलने के बाद जो बच जाता है फिर जितने डेली लेबर होते हैं उनसे काट लिया जाता है। इन वाकयात के साथ में कहना चाहता हूं कि मैं आपके प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपसे मांग करता हूं कि आईन्दा आप इन बातों में सुधार करें। अगर सुधार नहीं किया गया तो यह आपका डिपार्टमेंट बदनाम हो जायेगा। आप हमारे जिले सहारनपुर और मुजफ्फरनगर को भी देख लीजिये। पश्चिमी जिलों को नजर अन्दाज कर दिया गया है। वहां एक भी स्कीम नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने पश्चिमी जिलों को यातायात के साधनों में भी, जैसा कि सरकार ने ट्यूबवेलों के सम्बन्ध में, सड़कों के सम्बन्ध में नजर अन्दाज किया है तो वे सोचने लगेंगे और वहां के निवासियों में तेलंगाना वाली प्रवृत्ति कायम हो जायगी।

*श्रीमती सिया दुलारी (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा एक ओर तो यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार को छोड़ कर सारे देश में पिछड़ा हुआ प्रदेश है और दूसरी ओर प्रस्ताव करते हैं कि मांग की राशि को घटा कर एक रुपया कर दी जाय। तो मैं नहीं समझती कि किस प्रकार से इस प्रदेश का विकास हो सकेगा और किस प्रकार से प्रदेश की ग्रामीण जनता को यातायात के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। इसलिये मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करने के लिये खड़ी हुयी हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान को एक मत से स्वीकार किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूं।

जिस प्रकार से मानव शरीर में रक्त के सही संचार के लिये नस और नाड़ियां काम करती हैं ठीक उसी प्रकार से देश और प्रदेश के विकास के लिए यातायात के साधनों का महत्व है। जनता की सुविधा के लिये कच्ची और पक्की सड़कों पर यातायात के साधन उपलब्ध कराये जायं। यदि ऐसा न किया गया तो देश का विकास रुक जायगा।

आज राष्ट्रीयकरण की बड़ी चर्चा है। जहां तक बैंकों का प्रश्न है वह तो केन्द्रीय सरकार से संबंधित है और उन्होंने समय के अनुसार उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया है लेकिन जहां तक यातायात के साधनों का सम्बन्ध है हमारे प्रदेश की सरकार इसके योग्य नहीं है कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। पिछली बार जब रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तो जनता में त्राहि त्राहि मच गयी थी। प्रशासन में गड़बड़ियां जरूर है और उन्हें दूर करने के लिये यह उचित ही है कि वे माननीय मंत्री और विभाग के अधिकारियों के नोटिस में लाई जायं और उनका ध्यान इनकी ओर आकृष्ट किया जाय। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त हमारे अधिकारियों का काम केवल शासन करना ही नहीं है और वे मालिक ही नहीं अपितु सेवक भी हैं। ऐसी हालत में जो इस विभाग में त्रुटियां हैं, उनको दूर किया जाय। आज रोडवेज के टिकट लेने के लिये क्यू में खड़ा होना पड़ता है और ग्रामीण जनता यह नहीं जानती कि किस बस से उन्हें यात्रा करनी होती है। ऐसी स्थिति में मैं प्रार्थना करूंगी कि जिस प्रकार से किराये के सम्बन्ध में, टाइम के संबंध में बड़े बड़े बोर्ड बनाये गये हैं, उसी प्रकार से उनको गाइड करने के लिये किसी कर्मचारी की नियुक्ति की जाय जो उन्हें गाइड कर सके कि किस गाड़ी में उन्हें बैठना है।

आज कुछ सरकारी रवइया ऐसा हो गया है जिसमें रोडवेज में लाभ के स्थान पर नुकसान हो रहा है। हमारे जो प्राइवेट बस चलाने वाले हैं, वे जनता के सुख और सुविधा का अधिक ध्यान रखते हैं। जिन रूटों पर हमारी रोडवेज की बसें चलती हैं, उन पर प्राइवेट बसों को भी परमिट दिये जायं और यह देखा जाय कि जनता को किस प्रकार से सुख और सुविधा दी जा सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सिया दुलारी]

बुन्देलखंड पहाड़ी इलाका है जहां अधिकतर सड़कें नहीं हैं जिसके कारण उसकी तरक्की हमेशा से रुकी है। आजादी की प्रथम लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने आजादी का नारा लगाया और उसके कारण अंग्रेजों ने इस इलाके की ओर उपेक्षा दिखायी लेकिन जब अपनी सरकार आयी बुन्देलखंड का दुर्भाग्य रहा कि इस इलाके की कोई सुनवायी नहीं हुयी और सड़कें ही नहीं बनी, लेकिन अधिकांश मार्ग कच्चा है।

(इस समय ४ बजकर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में यह निर्धारित किया गया था कि बजट पर साढ़े ४ बजे तक वाद विवाद होगा और उसके बाद कामरोको प्रस्ताव आदि लिये जायेंगे। तो समय हो गया है। अब इसको रोक कर कामरोको प्रस्ताव आदि लिये जायं।

श्री अध्यक्ष--

५ बजे कहा गया था।

श्रीमती सियादुलारी--

मैं यह निवेदन कर रही चाहती थी कि रोडवेज के अधिकारियों को जो पास दिये जाते हैं उनकी संख्या सीमित होनी चाहिये वर्ना बसों पर यात्री कम चलते हैं और रोडवेज के कर्मचारी ज्यादा।

मैं यह भी निवेदन करूंगी कि निरीक्षण कार्य सुचारु रूप से किया जाय। निरीक्षण कार्य में गड़बड़ी की वजह से ही रोडवेज में घाटा हो रहा है और सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। जो बसें चलाई जांय उनमें जनता की सुविधा का विशेष तौर से ध्यान रखा जाय। देखा यह जाता है कि बसों की स्थिति खरा होती जा रही है। खिड़कियां और शीशे टूटे होते हैं। मैं मंत्री महोदय के जरिये अधिकारियों से कहूंगी कि वे जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा के लिये उनकी नियुक्ति की गयी है। उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखना उनका प्रथम कर्त्तव्य है।

मैं बुन्देलखंड का जिक्र कर रही थी। मेरा जिला बांदा बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर कुछ ही सड़क पर बसें चलती हैं। मनकापुर मऊ क्षेत्र में तो १४, १४ मील तक कोई आवागमन के लिये रास्ता नहीं है। अगर कोई मरीज बीमार पड़ जाय तो उसको अस्पताल ले जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। जो इस क्षेत्र की कच्ची सड़कें हैं उनको पक्का किया जाय और उन पर सरकारी अथवा प्राइवेट बसेज चला कर वहां की ग्रामीण जनता को उसके दुखदर्द से मुक्त किया जाय जो वह युगों से भोग रही है।

एक निवेदन यह है कि बांदा इलाहाबाद व फतेहपुर की सीमा पर है। चिल्लाघाट व राजापुर पर पुल बनाया जाय। बरसात में बांदा जाना है तो इलाहाबाद का चक्कर काट कर जाना होगा सीधे नहीं जा सकते। ग्रामीण जनता तथा पिछड़ी हुई जनता की सुख सुविधा के लिये यमुना नदी पर राजापुर पर पुल बनाने की कृपा की जाय। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करती हूं कि इस अनुदान को सर्वसम्मति से पास किया जाय।

*श्री मोहम्मद असरार अहमद--

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान सन ६२-६३ के डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स की ओर दिलाना चाहता हूं जब कि टनकपुर रोड पर ३५० गाड़ियां रोडवेज की चलना शुरू हुई थीं और एक साल के अन्दर १५० गाड़ियां स्मेश हुई और आज रोडवेज की केवल ५० गाड़ियां चल रही हैं। मैं मंत्री जी से मालूम करना चाहूंगा कि इतना बड़ा स्कैंडल होने पर भी जिसमें लाखों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपये का घाटा सरकार को हुआ हो, सरकार की ओर से मुनाफा कैसे दिखाया जाता है? मुझे यह देख कर हैरत होती है। आज भी यह तय नहीं हो पाया है कि वहां आप रोडवेज चलाना चाहते हैं अथवा के० एम० यू० को फिर लाना चाहते हैं? सरकार को देखना होगा कि उसके कर्मचारी किस प्रकार उसे धोखा देते हैं?

जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले। सिया दुलारी जी ने तमाम मेरी ही बातों का समर्थन किया और कहा कि यह अनुदान सर्वसम्मति से पास हो। मेरे कटमोशन का मंशा यही था आलोचना करना तथा सुझाव देना। अगर वह मेरे कटौती के प्रस्ताव को पढ़ लेती तो शायद ऐसा न कहतीं। यहां पर जितनी भी बातें कहीं गयी चाहें कांग्रेस बैंचेज की ओर से अथवा अपोजीशन की तरफ से, सभी में मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। ऐसी हालत में मैं तो कांग्रेसी भाइयों से भी यही कहूंगा कि जब दिल से उन्होंने सब बातें कहीं हैं तो उन्हें मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये करना चाहिये ताकि सरकार को मालूम हो जाय कि इस विभाग में क्या क्या कमियां हैं।

करप्शन के सिलसिले में एक बात और कहूंगा कि क्या इसी सदन से बार बार यह मांग नहीं की गयी है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी हों चाहें दूसरे हों प्राइवेट इंटरप्राइज को एंटरटेन किया जाय ताकि इनका मानोपाली सिस्टम खत्म हो और जो ज्यादती पब्लिक के साथ हो रही है वह दूर हो। अभी मंत्री जी की रिपोर्ट के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि जो बसें पहले ४४ सीटर थीं वे अब ५३ सीटर कर दी गयी हैं। सुविधा तो पहले थी क्योंकि कम सवारियां बैठती थीं। अब उन्हीं बसों में ४४ की जगह ५३ सवारियां बैठेंगी तो यह कहां की सुविधा है। आप किसी भी टरमिनस पर चले जाइये वहां कोई भी रूम ऐसा नहीं है जिसमें सरदी में सरदी से बच सकें और बरसात में पानी से बच सकें या गाड़ियां भी किसी शेड में खड़ी हो सकें। फिर भी यह कहा जाता है कि विभाग ने बड़ी तरक्की की है। माननीया सिया दुलारी जी ने जो बात कही क्या मंत्री जी उन्हीं की बात मानेंगे कि सरकारी बसों के साथ प्राइवेट आपरेटर्स का कम्पिटीशन करायें? प्राइवेट आपरेटर्स जितने में चलाते हैं रोडवेज के ड्राइवर्स उससे दूने में चलाते हैं। प्राइवेट आपरेटर्स से टैक्स पड़ता है। हर ६ महीने के बाद उनकी बसों का फिटनेस मुआयना होता है। लेकिन मैं मंत्री जी से कहता हूं कि किसी बड़े से बड़े टेक्नीशियन के साथ रोजवेज की जो बसें चालू हालत में कही जाती हैं उनका मुआयना करने मेरे साथ चलें तो ७५ परसेंट गाड़ियां अनफिट हो जायंगी। यहीं नहीं, प्राइवेट आपरेटर से ऐक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कम्पनी से मिलेगा लेकिन रोडवेज के बारे में ऐसा कोई इन्तजाम नहीं है बल्कि कह दिया गया है कि किसी ऐक्ट के मातहत डिस्ट्रिक्ट जज करते रहेंगे। मैं कहता हूं कि उन्हीं के जमाने में किसी तीन साल के आंकड़े ले लें। क्या यह सही नहीं है कि सबसे ज्यादा ऐक्सीडेंट रोडवेज के हैं और सबसे ज्यादा आदमी मरे हैं। लेकिन किसी आदमी को उन्होंने इंश्योरेंस कम्पनी के बराबर या उसका तिहाई, चौथाई भी कम्पेन्सेसन दिया है। यही नहीं, मंत्री जी को एक खत भी गया है कि तीन कर्मचारी हैं जो कि एक ही कैटेगरी के हैं और सबसे ज्यादा पुराने हैं और बहुत दिनों से विलिजेन्स के झगड़े में फंसे हुये हैं। एक जानकी प्रसाद आर० टी० ओ० हैं उनका केस सबसे पुराना है। और सब के तय हो गये लेकिन चूंकि वह शेड्यूल्ड कास्ट के धोबी जाति के हैं इसलिये उनका नम्बर नहीं आया।

इसके अलावा एटा, फर्रुखाबाद रूट पर रोडवेज ने दरखास्त दी कि हमें परमिट दी जाय। आर० टी० ए० कानपुर ने यह लिखित आदेश दिया कि यह रोडवेज इस काबिल नहीं है कि इसको परमिट दिया जाय और उसने परमिट रेफ्यूज किया। यह उस रोडवेज की हालत है जिसकी आप तारीफ करते हैं। आप कहते हैं कि कटौती का प्रस्ताव फेल भी हो जाय और उसकी बुराई भी आप करते रहें।

जहां तक पेसेन्जर्स की एमीनिटीज का सवाल है किसी जगह पर भी कोई शेड नहीं है, कहीं खड़े होने को जगह नहीं है, ठीक से बुकिंग आफिस नहीं है, जबकि हम उन सुविधाओं को देते थे

[श्री मोहम्मद असरार अहमद]

लोग धूप में खड़े रहते हैं और जाड़े और बरसात में खड़े रहते हैं, फिर भी जगह नहीं मिलती। सन ४७ में जहां ५० गाड़ियां थीं, वहां अब भी उतनी ही हैं जब की १० गुनी हो जानी चाहियें थीं, जबकि जनता तमाम बढ़ती जा रही है। लेकिन गाड़ियों की तादाद आपकी हो गयी ४ हजार से एक हजार, जब कि उसको चार से ६ हजार हो जाना चाहिये था। फिर भी आप कहते हैं कि रोडवेज से हम पब्लिक की भलाई करते हैं। हमने तो यह देखा कि हमसे ज्यादा आपकी आलोचना कांग्रेसियों ने की है।

इन तमाम बातों पर विचार करने के लिये मैं सुझाव देता हूं कि मंत्री जी एक हाई पावर कमीशन की नियुक्ति करें जो डिपार्टमेंट को रिआर्गेनाइज करने के लिये और उसको एक कारपोरेशन में बदलने के लिये सुझाव दे। गवर्नर के राज में कुछ अच्छा हुआ था प्राइवेट लोगों को इजाजत दी गयी थी। बहुत सी ऐसी भी सड़कें हैं जिनको मंत्री जी बतलायेंगे कि वे अनएकोनामिक हैं। यह तो उस हालत में हैं जब कि आपने उन मार्गों को नेशनेलाइज कर लिया है जबकि उन्हीं मार्गों पर प्राइवेट आपरेटर्स फायदा उठाते थे। मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि हाई पावर कमीशन बैठाया जाय और एक दूसरे विभाग में ट्रान्सफर किया जाय करें और जब तक गाड़ियां पास न हो जायं तब तक किसी रोड को डिनेशनेलाइज न किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और माननीय सदस्य भी, जिनके सिर पर चढ़ कर मेरा कटौती का प्रस्ताव बोला।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत से ऐसे सुझाव दिये हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है और मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो सुझाव दिये हैं, चाहे वह आपकी निजी जानकारी में हों अथवा दूसरों से सुनकर दिये हों, मैं उन पर बहुत सीरियसली सोचूंगा। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे विभाग में बहुत सी गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों को दूर किया जाना चाहिये। मैं उनको दूर करने का विश्वास दिलाता हूं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो आपको खबरें मिलती हैं वे सही नहीं होतीं। यह मैं इसलिये हीं कह रहा हूं कि वह आपकी बात गलत है, लेकिन कभी-कभी गलत बात भी सुनने में आ जाती है।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसके बाद तो आप बजट को पास करा देंगे। आपके द्वारा मंत्री जी से मैं यह कह देना चाहता हूं कि चुनाव के दरमियान प्रभास शास्त्री नाम का टी० एस०, जो १० साल तक इलाहाबाद रहा था वह शिकायतों के बिना पर इलाहाबाद से तबादला कर दिया गया। उसका तबादला लखनऊ को हुआ, फिर यहां से फतेहपुर हुआ और फतेहपुर से मिर्जापुर हुआ। अब उसको फिर से इलाहबाद लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा भ्रष्टाचार जिस विभाग में हो उसके बजट को भला कैसे पास किया जाय।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, सवा दो घंटे मेरे साथियों ने अपनी बात कही। उन सब का जवाब देने में १५ मिनट में मुझे कुछ तकलीफ़ तो जरूरत होगी। फिर भी मैं आपको २ ४ चीजें बता देना चाहता हूं। हमारी रोडवेज के पास १८ करोड़ के करीब टोटल पूंजी है और जो रुपया हमारा लगा हुआ है उसका हम सूद भी देते हैं। बावजूद इसके कि २३.११ करोड़ रुपया हमको इससे मिल गया है। जो रुपया हमें दिया गया उसका बराबर हम सूद देते रहे। इस साल यानी १९६८–६९ में हमको २.२६ करोड़ का इससे मुनाफ़ा हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये यह बात सही नहीं है कि रोडवेज से नुकसान होता है। यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने रोडवेज को मुनाफे के लिये नहीं चलाया था। इसलिये चलाया था कि यहां जो रहने वाले हैं या यात्री हैं उनको सुविधा मिले और वह हम देना चाहते हैं यह मैं मानता हूं कि इसमें कुछ कमियां हुई होंगी, जानबूझ कर भी हुई होंगी और कुछ ऐसी हुई होंगी जिनके साधन हमारे पास नहीं थे। जैसे कभी-कभी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो पाती है। मैंने इसका इंतजाम किया था कि हर सातवें रोज तमाम रीजन्स से मेरे पास यह रिपोर्ट आ जाया करे कि कितनी गाड़ियां चल रही हैं और कितनी नहीं चल रही हैं। आप यकीन मानिये कि २/३ महीने के अन्दर ही मुझे पता चला कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसका कारण यह था कि पुर्जे नहीं मिलते थे। जैसे अशोक ले लैंड है, उसके पुर्जे नहीं मिलते हैं।

आप तो वर्षों से आपरेटर रहे हैं। आपकी मालूमात से और तजुर्बे से मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूं और उठाऊंगा क्योंकि आप बहुत दिनों से गाड़ियां चला रहे हैं मैंने प्रयास किया है कि हमारी सर्विसेज अच्छी हों। हमारे वर्कशाप्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे उसका भी मैंने इंतजाम किया है। हम यह कर रहे हैं कि अफ़सर निरन्तर वर्कशाप जाया करें और वहां की चीजों को देखें। किराये की दिक्कत के बारे में भी देखना है। कुछ लोगों का कहना है कि बसेज में दो क्लासेज क्यों है? इसके लिये भी हमने आदेश दे दिये हैं पुरानी बसों में दो क्लासेज बनी हुई हैं लेकिन भविष्य में दो क्लासेज बसेज में नहीं रहेंगी एयर कंडीशन बस के बारे में हमारे साथियों ने कहा कि यह क्यों चलाई गई है? मेरा ख्याल यह है कि एक समय ऐसा आयेगा जब तमाम बसेज एयर कंडीशन होंगी और अमीर गरीब सभी उनमें चला करेंगे। एक तो अभी चलाई है और चलायेंगे। घाटे में चलाने वाले हम नहीं हैं हमने यह एक नया तजुर्बा किया है। इतनी बसेज में अगर एक एयर कंडीशन बस चला दी तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है वक्तव्य से संबंधित। जो अच्छे ड्राइवर हैं उनको पारितोषिक देने का सिस्टम सरकार की तरफ़ से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो सूचना की बात है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह सिस्टम हमारे यहां है और आपकी शिकायत जो है वह ठीक है। मैं मानता हूं कि कभी-कभी पारितोषिक ठीक समय पर नहीं मिलता है, वह मिलना चाहिये, वह हमारे विभाग की गलती है उसको देखना चाहिये। जिम्मेदारी हमारी है। जहां-जहां गलतियां हैं उनकी जिम्मेदारी लपेट कर मैं कहता हूं कि उनको पूरा करवाऊंगा। (व्यवधान) मैं इस बात को मानता हूं कि बसेज हमारी बहुत दिनों से नहीं ली गयीं। करीब-करीब ११ सौ बसेज हम अभी खरीद रहे हैं। बसेज ले भी लें तो अभी तक ऐसा नियम था कि बाडी कानपुर की वर्कशाप में बनती थीं और उनकी बनाने की क्षमता दो से ज्यादा नहीं थी। हमने बाहर के प्रदेशों से कहा है कि हमारी बसेज बना सकें। वह भी देखें।

हमारे एक भाई ने कहा है कि बसें में बैठने की सुविधा अच्छी हो। हम यह देख लें कि दूसरे प्रान्तों में कैसी बसेज हैं वह भी दिखवा रहे हैं। हम अपने यहां एक सेल बना रहे हैं जो डिजाइन किया करेगी। इन्हीं बसेज में दो चार हजार रुपया खर्च करके बैठने की अच्छी सुविधा हो, सीटें अच्छी हों। मेरा यकीन है कि थोड़े दिनों के बाद आप को ऐसा पता चलेगा कि कुछ न कुछ इस विभाग में तब्दीली हुई है। मैं मानता हूं कि हमारे जो बाहर

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

के स्टेशंस हैं वह इतने अच्छे नहीं हैं जितनी आप आशा करते हैं लेकिन हमने प्रयास किया है जितना रुपया है उसमें। अगर आप ज्यादा रुपया दे दें, सदन बहुत बड़ा है, अगर कटौती न करके थोड़ा रुपया बढ़ा दें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत से स्टेशन हम बनवा देंगे। जो काम मैंने आज किया है, लखनऊ का जो स्टेशन है चारबाग का, मैंने कहा कि एक महीने के अन्दर इसको सुधारो। मैं चाहता हूं कि आपको समय हो तो हमारी बसें हैं आप आ जांय चल कर देखें दूसरा बस स्टेशन जो बलरामपुर अस्पताल के पास है वह भी चार पांच महीने में सुधर जाय, ऐसी कोशिश है। कानपुर की तरफ़ भी हमारा ध्यान है।

हमारे यहां जो टोटल पोस्ट्स सैंकशंड हैं जो ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर नहीं करता १७ हजार १८३ हैं। उनमें से जो परमानेन्ट कर दी गयी हैं वह १३, २३९ हैं इनमें से अभी आदेश दे कर १२ हजार ७९१ पोस्ट्स पर कनफ़रमेशन कर दिया है कनफ़र्म करने के लिये ४४८ पोस्ट्स और रह गयी हैं।

जहां तक आपने सुविधाओं की बात कही, इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य क्षमा करेंगे उसमें हमारे यहां कुछ गड़बड़ियां हुई। उसमें हमारे यहां कुछ पोलिटिक्स आ गयी। पिछला जो स्ट्राइक हुआ था उसके कारण रोडवेज को कितना नुकसान हुआ या कितनी तकलीफ़ हुई, उसका वर्णन मैं नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। रोडवेज के कर्मचारी ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स ऐक्ट से गाइड होते हैं। जहां वर्कर की बात होती है वहां वह कहते हैं कि हमको ओवर टाइम मिलना चाहिये। जहां छुट्टियों की बात होती है तो कहते हैं कि सरकारी हिसाब से छुट्टियां मिलनी चाहिये। आदरणीय बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने जो बहुत बड़े मजदूरों के नेता थे, अगर आप देखें उनके समय के ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स ऐक्ट में जो सुविधाएं मजदूरों को हैं, उन सुविधाओं से ज्यादा उनको सुविधाएं दी गयी हैं और फिर भी मैं मानता हूं कि यदि कोई कमियां हैं तो उन पर हम सीरियसली ध्यान देंगे। इधर के और उधर के माननीय सदस्यों की भावना का मैं आदर करता हूं और थोड़े समय में रोडवेज की हालत सुधरी है और थोड़ा समय और आप देंगे तो आप देखेंगे कि रोडवेज की दशा और भी सुधर जायगी।

आखीर में एक बात और कहना चाहता हूं इस बारे में जो कहा गया कि प्राइवेट आपरेटर्स का काम बढ़िया है मैं चाहूंगा कि वह मेरे साथ चल कर देखें, संडीला आदि में चलकर वहां चलने वाली बसों को देखें तो उनसे हमारी बसें खराब हालत में भी सौ गुना अच्छी हैं (श्री असरार अहमद के कुछ बोलने पर) मैं जानता हूं कि आप बसों को चलवाते हैं, इसलिये मैं आप से कहता हूं कि आप चल कर हमारे साथ उनकी हालत देख लें। मैं फिर इन शब्दों के साथ कहता हूं कि आप इसे पास कर दें और मेरे साथ चल कर देखें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--परिवहन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३७--परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,९७,६४,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,२२,३२,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री ऋषिपालसिंह द्वारा पुनः जनसंघ में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं कि श्री ऋषिपाल सिंह ने एक मेरे पास यह लिखित सूचना दी है कि मैं भारतीय जनसंघ की ओर से चुनाव जीत कर आया था और मैंने ३० जुलाई, ६९ को एक पत्र आपको लिखा है, वह वापस लेता हूं और घोषणा करता हूं कि भारतीय जनसंघ का सदस्य हूं और विधान सभा में भी जनसंघ दल में रहूंगा। (मेजें थपथपाने की आवाज) इसकी घोषणा सदन में कर दी जाए ।

श्री मनेजर सिंह (जिला बलिया)--

यह मेरे मित्र का आखिरी पत्र है या फिर कोई और आएगा ?

श्री अध्यक्ष--

यहां आखिरी कोई बात नहीं होती है, यह तो चलती रहती है ।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वह तोड़-फोड़ की प्रवृत्ति को बन्द करें। वह यह देख रहे हैं कि वह लोगों को फंसाते हैं लेकिन लोग फिर छूट कर इधर आ जाते हैं। यह जनतन्त्र में अपराध है ।

एक सदस्य--

इस विषय पर एक दिन बहस हो जाये ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

कल नियम ५६ के अन्तर्गत कामरोको प्रस्ताव की जो सूचनायें दी गई थीं उनमें से मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन है इसका प्रश्न उठाया जा सकता है और यह एक दो रोज में आने वाला है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

नियम ५१ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत श्री मनोहर लाल, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री चन्द्र पाल आजाद और श्री मोती लाल आदि को कुछ चीनी लोगों द्वारा उपद्रव करने के सम्बन्ध में ३-४ प्रश्न हैं इनको पढ़ रहा हूं ।

१--श्री मनोहर लाल व श्री सूबेदार प्रसाद--६ अगस्त, १९६९ को झांसी के निकट ताल बेहट की पहाड़ी पर पैराशूट के अन्दर एक बक्स तथा मशीन का मिलना ।

२--श्री चन्द्रपाल आजाद--मथुरा जिले में हवाई जहाज से कुछ यंत्र एवम् चीनी साहित्य का गिराया जाना ।

तीसरे श्री मोती लाल देहलवी ने आज सुबह कानपुर की बिस्कुट फैक्टरी का जिक्र चलाया था।

यह सब नियम ५१ के अन्तर्गत हैं । इनके ऊपर वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री जी १२ अगस्त को देदें तो अच्छा है । एक और चीज है । श्री शिवराज सिंह और श्री डी० पी० बोरा ने उ० प्र० विश्वविद्यालय गैर-शिक्षक संघ द्वारा ९ अगस्त, १९६९ से हड़ताल की घोषणा की सूचना दी है । इसके ऊपर माननीय शिक्षा मंत्री जी कल वक्तव्य देदें । नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने इसको स्वीकार कर लिया है । चूंकि परसों से हड़ताल है इसलिये मंत्री जी वक्तव्य आज शाम को या कल सुबह प्रश्नों के बाद दे सकते हैं क्योंकि ९ अगस्त से हड़ताल की धमकी दी है । इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आज स्वीकृत नहीं हुये हैं मैं उनको पढ़ कर सुनाये देता हूं ।

१--श्री कृष्ण स्वरूप--क्राइस्ट चर्च कालेज के छात्र को कक्षा में घुस कर छुरा मारा जाना ।

२--श्री सूरज लाल--गोंडा जिले की करनल गंज नगरपालिका में भ्रष्टाचार के विरोध में सर्वश्री नन्द लाल कुशवाहा तथा लल्लन प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा भूख हड़ताल ।

३--श्री त्रिवेणी सहाय, गोंडा--गोंडा जिले के तुलसीपुर नामक स्थान पर श्री मातेश्वरी-प्रसाद द्वारा छात्रों पर गोली चलाया जाना ।

४--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--कुफरा फार्म, जिला लखीमपुर खीरी पर ३० शस्त्रधारी व्यक्तियों द्वारा हमला ।

५--श्री हरि नाथ तिवारी--तुलसी कन्या विद्यालय, फैजाबाद के महिला डिग्री कालेज को बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप व्याप्त असन्तोष । इस पर अल्प सूचित तारांकित प्रश्न भी है ।

६--श्री शम्भूनाथ चौधरी--गुप्त काशी के पास एक बस का खड्ड में गिरना तथा इसके फलस्वरूप ३२ व्यक्तियों की मृत्यु व ५ व्यक्तियों का घायल होना ।

७--श्री नगीना सिंह--काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में गजेन्द्रगड़कर कमीशन की रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों की जांच का निर्देश । इस विषय में यदि शिक्षा मंत्री चाहें तो सोमवार को सिर्फ वक्तव्य दे सकते हैं ।

८--श्री हरबंस सहाय--देवरिया में छोटी गंडक का पानी नदावर घाट पर पुल के ऊपर से बहना ।

९--श्री दीपनारायण मणि--गोरखपुर विश्वविद्यालय के बी० ए० के द्वितीय वर्ष के परीक्षाफल में गड़बड़ी ।

१०—श्री कुंवरसिंह—कोडो ग्राम जिला देहरादून के निवासियों के घरों में घुस कर अत्याचारी अधिकारियों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार तथा पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखी जाना ।

श्री इन्द्रलाल का हलद्वानी नैनीताल में नलकूप से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पीने के पानी की पाइप लाइन का भेजा जाने के ढंग पर असंतोष, और सर्व श्री ओम्प्रकाशसिंह और अन्य का बाह आगरा में बीज गोदाम में खाद के स्थान पर नमक के भरे हुये बोरों का पकड़ा जाना । इसके बाद नियम ५१ के अन्तर्गत इलाहाबाद के दो प्रश्न थे जिन्हें मैंने स्वीकार किया है । वह आज तो नहीं हो सकेगा दोनों को एकट्ठा मिला करके सवा सवा घंटे सोमवार के रोज सब काम समाप्त होने के बाद उसके लिये इजाजत दूंगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, २५ जिलों में यही भयंकर स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष—

तो मेरे पास लिखित भेज दीजिये । (व्यवधान)

हलवाइयों की हड़ताल के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी, सदस्य विधान सभा, देहरादून द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत निम्न ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया गया है: "प्रदेश में हजारों हलवाइयों ने दिनांक ३१ जुलाई, से समस्त रेस्टोरेन्ट, होटलों, फेरी वालों सभी की एक समिति गठित करके इस दिन की आम हड़ताल की थी । उनकी मांग है कि अन्य प्रदेशों में उन पर बिक्री-कर में जो छूट है वह उ० प्र० में नहीं है, सारे प्रदेश में बेचैनी है इस कारण मंहगाई पर भी असर पड़ रहा है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप कृपया मंत्री महोदय से वक्तव्य दिलायें व चर्चा का अवसर दें ।"

वस्तु स्थिति इस प्रकार है । हलवाइयों का सम्बन्ध "पके हुए भोजन" "तथा मिष्ठान्नों" से रहता है । जब से बिक्री कर कानून अमल में आया तब से किसी न किसी रूप में इन वस्तुओं पर कर लगता आया है । १-७-६९ के पहले "पके हुए भोजन तथा मिष्ठानों" पर २ प्रतिशत का बहुसूत्रीय कर लगा था । १-७-६९ से केवल मिष्ठान्नों पर कर की दर बढ़ाकर ३ प्रतिशत लगाई गयी है ।

यह सत्य है कि बिहार में पके भोजन व मिठाइयां कर मुक्त है । परन्तु साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब व हरियाना में कर की दर ६ प्रतिशत है । दिल्ली में केवल मिठाई, पूरी, कचौरी की बिक्री पर कर की दर २ प्रतिशत है परन्तु यदि उसके साथ अन्य वस्तुएं जैसे चाट, भोजन, चाय, कोका कोला इत्यादि बेचे जाते हैं तो सम्पूर्ण बिक्री पर ५ प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है । इस पृष्ठभूमि में इस प्रदेश में लागू कर की दर अधिक नहीं कहलाई जा सकती । यह भी विचारणीय है कि जब जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर भी कर लगाया जा रहा है तो मिठाइयों पर ३ प्रतिशत का कर लगाना अनुचित नहीं मालूम होता है ।

यह कहना सही नहीं है कि इस कर के आपात से गरीब व छोटे हलवाइयों पर कुप्रभाव पड़ता है । वास्तविकता यह है कि गरीब व छोटे हलवाइयों को राहत देने के लिये ही कर मुक्ति की सीमा १२,००० रु० से बढ़ाकर २५,००० रु० कर दी गयी है ।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

शासन हलवाइयों के प्रति सहानुभूति रखता है और उनकी कठिनाइयों के बारे में विचार करने के लिये तैयार रहता है। हाल ही में कर निर्धारण प्रणाली के सिलसिले में हलवाई संघ का एक शिष्ट मंडल शासन से मिलने आया था और विचार विमर्श के बाद शासकीय आदेश द्वारा उनकी कठिनाइयां तुरन्त दूर की गयीं।

"पके हुए भोजन", "कन्फैक्शनरी" तथा "मिठाईयों" से लगभग २८,००,००० रुपये की वार्षिक आय है। मिठाई के ऊपर कर के द्वारा अलग से कितनी आय होती है यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु उपरोक्त आयमें अधिकांश भाग मिठाइयों से उपलब्ध आय का है। इतनी बड़ी आय इस समय छोड़ देना उचित नहीं प्रतीत होता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जैसे बिहार के अन्दर छूट है तो राजस्थान और जम्मू काश्मीर में भी छूट है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, कदाचित् हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से प्रारम्भ से ही इस पर कर है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कर को बढ़ाने से महंगाई नहीं बढ़ेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं ऐसा नहीं समझता हूं बल्कि इसके विपरीत यह कर उसी नीति के अन्तर्गत बढ़ाया गया है, जिसमें छोटे आदमियों पर कर का भार न पड़े। मिठाई ऊंचे तबके के आदमी ही खाते हैं, छोटे तबके के आदमी उसको नहीं खाते हैं।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब बाजार में ५ रुपया प्रति किलो चीनी थी तो ८ रुपया सेर मिठाई बिकती थी और अब जब कि २ रुपया किलो चीनी है तो अब भी ८ रुपया है, तो क्या हलवाई नाजायज फायदा नहीं उठा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

बात तो सही है और हम लोगों को और सारे सदन को यह शिकायत है कि जब ६ रुपये किलो चीनी थी तब भी मिठाई का भाव वही था और जब २।। रुपये चीनी है अब भी वही भाव है और चाय जो २५ पैसे प्याले पहले बिकती थी अब भी वही भाव है २५ पैसे का।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या वित्त मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभ्य और अच्छी सरकारें जनोपयोगी वस्तुओं, जैसे साधारण खाना, कपड़ा का दाम हमेशा घटाकर रखने की कोशिश करती हैं, वक्त पड़ने पर सबसिडी भी देती हैं, तो क्या सरकार मिठाई को कर से मुक्त करने का विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, इसपर तो हमने बहुत विचार किया और सही तौर पर हमारा ऐसा विश्वास है कि मिठाई पर कर-मुक्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मिठाई उस तबके द्वारा प्रयोग में लायी जाती है जो गरीब तबके से ऊपर है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी मथुरा की खुरचन को तो कर से मुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, नहीं करूंगा।

एक सदस्य—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आगरे के पेठे पर टैक्स का रेट क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मिठाई पर जो कर का रेट है वही उस पर भी है।

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

मिष्ठान्न विक्रेताओं पर २५ हजार से ऊपर की आमदनी पर सेल्स टैक्स है। तो क्या मंत्री जी ऐसा वर्गीकरण कर सकते हैं कि २५ हजार से ५० हजार तक एक रेट हो और ५० हजार से १ लाख की आमदनी पर एक हो और एक लाख से ऊपर जो परसेंटेज हो उसको निश्चित कर दिया जाय और सब वर्गों के लिए जितनी निश्चित धनराशि हो वह उनसे ली जाय, इसमें चोरी भी नहीं हो पायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

एक प्रकार से मेरे मित्र ने समस्त बिक्री कर सिद्धांत पर ही बात कह दी। सही बात यह है कि यहां पर २५,००० के टर्नओवर की लिमिट की गयी जिससे छोटे हलवाइयों को राहत मिले। मैं यह भी सूचित करूंगा कि इस शासन के विचाराधीन यह प्रश्न है कि कुछ टर्नओवर तक हम कम्पोजीशन स्कीम लागू करें, जिसके अन्दर लोगों को यह राहत मिलती है कि उनको हिसाब किताब न रखना पड़े, वह बुनियादी कर हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आपने एक लाख की बात कह दी। एक लाख के ऊपर जो टर्नओवर है उससे हमें बिक्री कर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। एक लाख की सीमा बहुत बड़ी सीमा है, और यहां पर उस सब को भी हम कम्पोजीशन में लें तो बड़ी कठिनाइयां बढ़ जायंगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो एग्जेम्पशन बेस लिमिट १२ हजार से २५ हजार की है, वह कौन से साल का असेसमेंट उन्होंने मान कर किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

प्रश्न तो बहुत साफ नहीं है, लेकिन मेरे मित्र का कहीं इस बात से तो आशय नहीं है कि पिछले, सालों में यह होगा, तो ऐसी बात नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिठाई बनाने में जो जो चीजें काम में आती हैं, मैदा, सूजी, चीनी, मसाले, क्या सब पर पहले से टैक्स है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

आम तौर पर है। कुछ मदों पर नहीं है तो गेहूं पर है। इसी प्रकार कुछ परचेज टैक्स है। कुछ घी पर है, कुछ और चीजों पर है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी को इस स्थिति का ज्ञान है कि उसका जिक्र उन्होंने किया है कि बड़े लोगों को और उनके बच्चों को दूध मलाई, फल-मेवा उपलब्ध हो जाती है, लेकिन गरीब के बच्चे, शहर से लेकर गांव तक रोते हैं तो उसे गुड़ या गुलाब जामुन से बहलाया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

गुड़ का तो मुझे मालूम है। गुलाबजामुन का मेरे मित्र को मालूम होगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि जब चीनी का मूल्य अधिक था तब मिठाइयों के दाम भी तेज हुए और गरीब लोग नहीं खाते। तो अब जब कि चीनी के दाम घट गये हैं तो उसी अनुपात में मिठाई के दाम भी कम कर दिये जायं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह सिद्धांत और पालिसी की बात है कि क्या हम प्रत्येक सामग्री का मूल्य स्थिर करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरे खयाल से प्राइस कंट्रोल की नीति अच्छी नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि एक शिष्ट मंडल उनसे मिला था और उन्होंने बतलाया था कि कर निर्धारण प्रणाली के बारे में कठिनाइयां दूर कर दी हैं, तो कौन सी कठिनाइयां दूर कर दी हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

शिष्ट मंडल मुझसे मिला था और मुझे बताया था कि स्थानों पर कर निर्धारण इस हिसाब से हुआ कि एक किलो चीनी में ढाई किलो मिठाई बनती है। उसके अनुरूप कर की मात्रा ज्यादा हो गयी। मैंने विचार किया और उचित आदेश दिया कि अलग-अलग मिठाइयों का अलग-अलग है। कुछ मिठाई एक किलो में दो किलो बन सकती है, लेकिन हर मिठाई एक किलो से दो किलो बन सके यह नहीं है और इससे उन लोगों को राहत मिली।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो १२००० से २५००० लिमिट कर दी है इसका पता कैसे चलेगा कि इतनी आमदनी वाला हलवाई है क्योंकि वह एकाउन्ट तो रखेगा नहीं ? जैसा कि हलवाई प्रतिनिधि मंडल जो मुख्य मंत्री से मिला था सुझाव दिया था 'ए' क्लास, 'बी' क्लास और 'सी' क्लास बनाने के लिए तो क्या उसे बनवायेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरा खयाल है कि २५००० से ऊपर के टर्नओवर वाले हलवाइयों की संख्या कम है और नीचे वालों की संख्या अधिक है। यह बड़ी दुकान वाले होंगे। कर निर्धारण का जो नियम है उस नियम से उसे किया गया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सैक्रीन की बनी मिठाई पर भी कर रहेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, अगर कोई चीनी की जगह पर सैक्रीन की मिठाई बनाता है तो इसका पता लगाना कठिन है। खाने वाला तो मिठाई पर कर देगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कुटीर उद्योग पर कोई टैक्स नहीं है। हलवाइयों के काम को कुटीर उद्योग में गिना जाता या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं नहीं जानता कि कौन-कौन से उद्योग कुटीर उद्योग में आते हैं।

श्री जगदीश गांधी—[× × × × ×]

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने शराब वालों से दोस्ती की बात कही इसका मुझे बड़ा कष्ट है। इस प्रकार की बातें करना बड़ा अशोभनीय है। शराब विषय प्रश्न से संबंधित नहीं था फिर इसको यहां क्यों लाया गया ?

[व्यवधान]

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, एक सूचना दे दूं। १० प्रतिशत के ऊपर कोई कर होता ही नहीं है और शराब पर १० प्रतिशत कर है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

पंजाब राज्य की आमदनी प्रति व्यक्ति २२१ रु० है और बिहार की ९९ रु० है जो उत्तर प्रदेश के बराबर है। तो जब हमारे बराबर के प्रदेश में मिठाई पर टैक्स नहीं है तो क्या इस चीज को देखते हुए क्या मंत्री जी मिठाई पर से बिक्री कर उठाने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

न पंजाब की पर कैपिटा आमदनी २२१ है और न बिहार की ९९ है बल्कि सारे देश की पर कैपिटा इनकम ३५४ है। पंजाब की बात और है लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाना, इनकी पर कैपिटा इनकम में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

बदायूं नगरपालिका को सुपरसीड करने के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, बदायूं म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में यह प्रश्न मैंने उस दिन सदन में दिया था जिसकी सफ़ाई माननीय मंत्री जी की तरफ़ से नहीं हो पायी इसलिये आज मैंने यह प्रश्न दिया है। बदायूं म्युनिसिपल बोर्ड में सन् १९६४–६५ से जो गोलमाल और गड़बड़ियां थीं उसकी शिकायतें बराबर सरकार को भेजी जाती रहीं और चौधरी साहब जब मिनिस्टर आफ़ लोकल सेल्फ़ थे, उन्होंने उसकी इनक्वायरी करायी और उस वक्त के चेयरमैन श्री शबीर हसन के खिलाफ़ कार्यवाही की जिसको उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे कराया। उसी दौरान श्री शबीर हसन के खिलाफ़ नो कांफ़िडेंस का प्रस्ताव पास किया गया और वहां श्री कमर अहमद नकवी ने ऐक्टिंग प्रेसिडेंट का काम शुरू किया। जब उन्होंने ऐक्टिंग प्रेसिडेंट का काम शुरू किया तो सारी वह फ़ाइलें जिनके अन्दर लाखों रुपये के गड़बड़घोटाले के चार्जेज थे, उसकी जांच करके एक कांफ़िडेंशियल रिपोर्ट नकवी साहब ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिनांक ११–२–६८ को भेजी और उसकी एक कापी कमिश्नर रुहेलखंड को भेजी। उसकी इनक्वायरी जिलाधीश बदायूं ने की और उसके दौरान कुछ दिनों के बाद एक दूसरी रिपोर्ट श्री कमर अहमद नकवी ने, उस वक्त जब कि वे चेयरमैन चुने जा चुके थे, उन्होंने ३०–३–६८ को भेजी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बदायूं के नाम और उसकी कापी कमिश्नर रुहेलखंड के पास भेजी। ५६ हजार रुपये के ठेके की फ़ाइल के जला देने का चार्ज था कि श्री शबीर हसन के जमाने में ५६ हजार के ठेके वाली फ़ाइल जला कर बरबाद कर दी गयी। उसके पहले ११–२–६८ को जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी थी उसमें मुख्य-मुख्य चारजेज ४–५ थे जिनको मैं आपके सामने रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार हटा दिया गया।

[श्री रियासत हुसैन]

एक चार्ज था कि पी० एल० एकाउंट का रुपया जो १३, ६४२ था उसको रिअलाइज करके उन्होंने किसी बैंक वगैरह में जमा नहीं किया बल्कि उन्होंने बाद में ५ हजार रुपया कुल २ महीने के बाद सेविंग पोस्ट आफ़िस में जमा कराया । फ़िर १४–१२–६६ को यानी ८ महीने के बाद ८६४२ रुपया सेविंग पोस्ट आफ़िस में जमा कराया जिसके माने यह हुए कि १३६४२ रुपये का इन ८ महीनों तक उन्होंने दुरुपयोग किया । उसी दौरान बदायूं में एक म्यूजिक कांफ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने इस रुपये का मिसयूज किया ।

दूसरा चार्ज था कि शब्बीर हसन साहब जब चेयरमैन थे तो ७८ गढ्ढे उनके नाम से नीलाम किये गये जो गैर कानूनी था लेकिन उनका रुपया भी १४८८ रुपया कहीं जमा नहीं किया गया बल्कि सन् ६७ में सिर्फ़ ९५ रुपया म्युनिसिपल बोर्ड का ही एक इम्पलाई रफ़ीक नाम का था उसी के नाम से जमा करा दिया गया । इस तरह से आप देखेंगे कि अपनी चेयरमैनी के जमाने में नाजायज तौर से उन्होंने पैसे कमाये । इसी तरह से नेहरू मेमोरियल गर्ल्स कालेज के इम्पलाईज के जरिये उन्होंने १५१२ रुपये ५० पैसे की रसीद कटवाई और उस पैसे को कहीं जमा नहीं किया गया । उनके खिलाफ़ ये सब चार्जेज थे । जो रिपोर्ट ११–२–६८ को प्रस्तुत की और ३०–३–६८ को फ़िर प्रस्तुत की उन रिपोर्ट्स के ऊपर डी० एम० ने० जांच की और रिकमेंड किया कि बोर्ड सुपरसीड कर दिया जाय । मार्च, १९६८ में डी०एम० ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी । मालूम हुआ कि सरकार ने उस रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड को सुपरसीड करने के आदेश जारी किये, लेकिन इसी दौरान में चूंकि शब्बीर हसन साहब नो-कांफ़ीडेंस के जरिये से हटाये जा चुके थे और कुंवर अहमद नकवी साहब चेयरमैन हो चुके थे तो यह उम्मीद की गई कि बोर्ड की हालत सुधर जायेगी और एक वार्निंग देकर अगस्त, ६८ तक के लिए सुपरसेशन के आर्डर्स रोक दिये गये । इस दौरान के अन्दर, चूंकि जिले की पालिटिक्स में उथल-पुथल होती रहती है, शब्बीर हसन साहब ने फ़िर जोर मारा और नकवी साहब के खिलाफ़ नो-कांफ़ीडेंस पास करवा दिया । अब चूंकि म्यूनिसिपल बोर्ड के शब्बीर हसन साहब सीनियर मेम्बर हैं, फ़िर उन्हीं के हाथ में बोर्ड का शासन पहुंच गया ।

श्रीमन्, एक एम्बैस्डर कार अफ़ीम की स्मगलिंग के संबंध में आसाम के बार्डर पर पकड़ी गई । उस ड्राइवर से पूछा गया तो उसने बताया कि शब्बीर हसन खां, चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, बदायूं की कार है । उस इंक्वायरी के सिलसिले में वह अरेस्ट हुए और वह मुकदमा आज भी आसाम की अदालत में चल रहा है । बदकिस्मती बदायूं के बोर्ड की यह है कि आज वह उसी शख्स के हाथ में है जिसको करेप्ट प्रैक्टिस की बिनाह पर रिमूवल नोटिस दिया गया और सुपरसैशन के आर्डर्स स्टेट गवर्नमेंट ने भेजे । अब सवाल यह है कि सितम्बर, अक्टूबर तक इलैक्शन होने वाले हैं । मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अगस्त, ६८ तक के लिए आर्डर्स पैंडिंग थे चूंकि नकवी साहब के हाथ में इन्तजाम आ गया था और हालत सुधारने की उम्मीद थी, लेकिन अब फ़िर शब्बीर हसन साहब के हाथ में पहुंच गया, तो मेरी मांग है कि उन पैंडिंग आर्डर्स को खत्म करके बोर्ड को सुपरसीड किया जाय ताकि आने वाले चुनाव फ्री और फ़ेयर हो सकें अगर ऐसा न किया गया तो शब्बीर हसन साहब के बोर्ड में रहने की जगह से वहां की जनता के साथ न्याय न हो सकेगा और फ्री ऐंड फ़ेयर इलेक्शन न हो सकेंगे ।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

मान्यवर, ३ जून, ६७ को असरार अहमद साहब जो डिप्टी मिनिस्टर थे, उन्होंने सेक्रेटरी लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को यह इत्तला दी कि म्युनिसिपल बोर्ड, बदायूं की हालत बदतर है और उसके सिलसिले में जांच होनी चाहिये उस वक्त यह शब्बीर हसन साहब, जिनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिक्र अभी आया, चेयरमैन थे। ८ जून, ६७ को उनके रिमूवल के आर्डर्स हो गये, पहले से कोई मामला चल रहा था। यह संविद के जमाने की बात है। फ़िर १४ तारीख को उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे आर्डर हासिल कर लिया और उसके बाद २३-७-६८ को वह मुकदमा जीत गये लेकिन इस बीच में इनके खिलाफ़ नो-कान्डफ़ीडेन्स मोशन आया, मुकदमे के चलने के दौरान में ही, और २२ दिसम्बर को वह नो-कान्फ़ीडेन्स मोशन पास हो गया। जब पास हो गया तो नकवी साहब, जिनका जिक्र अभी हुआ, वह एक्टिंग प्रेसीडेन्ट उस जमाने में हुए नकवी साहब के ही जमाने में, चूंकि असरार अहमद साहब की शिकायत थी, कुछ और लोगों की भी शिकायत थी, २० जून, ६७ को रिपोर्ट मंगाने के लिये लिखा गया। १४ दिसम्बर, १९६७ को वह रिपोर्ट आयी। एस० डी० एम० ने जांच की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सबमिट की। कलेक्टर ने उसी रिपोर्ट को समराइज करके उसी को इन्डोर्स करके कमिश्नर को भेज दी। उन्होंने यही कहा कि सेक्शन ७ की फ़लां-फ़लां धारा और उपधारा के अनुसार कार्यवाही हो सकती है उन्होंने यह नहीं कहा कि बोर्ड को सुपरसीड किया जाय। कमिश्नर साहब ने यह रिकमेन्ड किया कि इसको सुपरसीड किया जाय। कमिश्नर साहब की रिकमेंन्डेशन जब यहां पर आयी तो यहां सेक्रेटरियेट में उसको जांचा गया उसके बाद उस पर चार्जशीट कायम की गयी।

श्री अध्यक्ष—

यह किस तारीख को कायम की गयी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

१९ नवम्बर, १९६८ को यह चार्जशीट फ्रेम की गयी। इसमें पहली तो शिकायत यह थी कि सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, गहरे-गहरे गड्ढे हैं आदि। दूसरी शिकायत यह थी कि सफ़ाई का इन्तजाम बहुत खराब है। नालियों की हालत ठीक नहीं है, वह बहुत टूटी फ़ूटी हालत में हैं। सैनिटेशन का इन्तजाम खराब है। तीसरी शिकायत यह थी कि स्कूलों को जो ग्रान्ट दी गयी थी कि उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं किया गया था, यूटिलाइजेशन न होने के कारण वह पड़ी हुई थी। करीब ८० फ़ीसदी रुपया यूटिलाइज नहीं हो पाया था। इसके अलावा वाटर सप्लाई आदि की स्कीम में भी गड़बड़ी थी। करीब ४ लाख रुपये की किस्तें बाकी थीं, कुछ उसमें दिया नहीं गया था। फ़ाइनेन्सेज के संबंध में भी शिकायतें थीं। बहुत से एरियर्स भी पड़े हुये थे। नजूल की प्रापर्टी का रजिस्टर वगैरह भी सही तरीके से मन्टेन नहीं किया गया था। इसी तरह की और भी छोटी-छोटी गलतियां थीं। यह सब चार्जेज नहीं एग्जामिन हुये और बोर्ड से जवाब तलब किया गया कि क्यों न बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय। अब इस जमाने में वे शब्बीर हसन साहब चले गये। नकवी साहब चेयरमैनी कर रहे हैं। नकवी साहब ने जो जवाब भेजा उसमें उन्होंने लिखा कि उसी जमाने में इनको ग्रान्ट मिली, संविद का जमाना था। असरार साहब ने दिलवाई होगी। अस्सी हजार कुछ पैसे और दो लाख रुपये और ग्रान्ट मिली सड़कों के लिये। नकवी साहब ने यह कहा कि दस साल से हमको कोई ग्रान्ट नहीं मिली थी और अब पहली दफ़ा यह ग्रान्ट मिली है और जिस जमाने से ग्रान्ट मिली है और उससे पहले भी हमको सड़कों को हमवार कराने और ठीक कराने का काम शुरु कर दिया है उनके पेचेज लगा रहे हैं और सड़कें वगैरह बना रहे हैं। चार सड़कें हमने टेक अप कर ली हैं। सड़कों के सिलसिले में उन्होंने यह जवाब दिया। सफ़ाई के सिलसिले में उन्होंने यह जवाब दिया कि यह बिलकुल निराधार है। जहां तक नालियों का सवाल है, निकासी का सवाल है वह ठीक है, सैनीटेशन का इन्तजाम भी ठीक है। उसमें कोई खराबी नहीं है। स्कूलों की ग्रान्ट्स का जहां तक सवाल था उसके सिलसिले में उन्होंने पुराने चेयरमैन साहब को दोषी ठहराया और कहा कि इतनी ग्रान्ट्स पड़ी हुई हैं। अब हम यूटीलाईज करने का इन्तजाम कर रहे हैं उन्होंने इन्सपेक्टर्स से बिल्डिंग बनाने के लिये खतोकिताबत की और वाटर सप्लाई स्कीम के लोन के बारे में उन्होंने कहा कि अब आपके जमाने में २.९९ लाख रुपया हमने दे दिया है जो सिर्फ़

[श्री अतीकुर्रहमान]

इन्टेरेस्ट का था। एरीयर्स का सवाल था। जो पहले चेयरमैन साहब थे उन पर रक्खा कि वह गड़बड़ी करते थे चूंकि हमने कन्डीशन्स इम्प्रूव कर ली हैं लिहाजा इस हालत में हमको सुपरसीड नहीं करना चाहिये। ये तमाम चार्जेज थे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आप इसके बाद कुछ सवाल पूछने की भी इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में कर दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो चार्जेज बताये थे उन पर सफ़ाई नहीं हो रही है।

श्री अतीकुर्रहमान—

अध्यक्ष महोदय मैं रेलिवेन्ट प्वाईन्टस पर ही बोल रहा हूं। जो चेयरमैन साहब ने अध्यक्ष महोदय, कहा वह मैटीरियल आया डिपार्टमेंट ने एग्जामिन किया, ला-डिपार्टमेंट ने भी एक्जामिन किया और उससे पहले कमिश्नर साहब ने भी एग्जामिन किया और कलेक्टर साहब ने भी यह राय दी . व्यवधान . . . चूंकि आपको जल्दी है और वक्त भी नहीं है . व्यवधान . . मैं मुख्तसिर में कहता हूं कि ऐसी स्थिति में सुपरसीड नहीं करना चाहिये कमिश्नर साहब ने यह रैकमेन्ड किया। यहां जब उसकी जांच-पड़ताल हुई और उसके बाद ला डिपार्टमेंट से भी मशविरा किया या तो यह तय किया कि इनको वार्निंग दे दी जायं छः महीने की और गौर किया जाय कि ये इम्प्रूव कर रहे हैं उनकी बातें एक्सेप्ट कर लीं छः महीने के बाद कमिश्नर साहब से फिर रिपोर्ट मांगी जाय और फ़ैसला किया जाय कि आगे क्या करना है। नये सवाल का कोई जिक्र नहीं था जिस सवाल के बारे में रियासत हुसैन साहब ने जिक्र किया। एक पत्र श्री नकवी साहब ने लिखा है जिसकी तिथि इन्होंने दी है ११ फ़रवरी, १९६८। वह पत्र उन्होंने डी० एम० को लिखा है उस पत्र में उन्होंने वे तमाम चार्जेज लगाये जिसका जिक्र रियासत हुसैन साहब ने किया। अब केवल दस मिनट हैं इसलिये मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। जो रियासत हुसैन साहब ने कहा है वह काफ़ी है। तो उस सिलसिले में जो दूसरा पत्र श्री रियासत हुसैन साहब कहते हैं वह नहीं आया। इन्होंने सवाल उठाया तो हमने डी० एम० साहब से खतोकिताबत की तब उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि एक पत्र और भी आया है जो कमिश्नर साहब को भेजा है, लेकिन वह यहां नहीं आया है। यह पहला पत्र हमारे यहां आया और हमने लोकल फ़ंड एकाउन्टस इलाहाबाद को ये सब शिकायतें, कानून के अनुसार भेजीं जब वे चेयरमैन नहीं रहे थे।

श्री अध्यक्ष—

नकवी साहब हट गये थे और शायद शब्बीर साहब हो गये थे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

वे चेयरमैन शिप से हट गये थे लेकिन वे मेम्बर तो थे। जब नो कौन्फ़िडेन्स का मोशन आया तो वे हट चुके थे। चूंकि वे चेयरमैन नहीं थे, ये सरचार्ज प्रोसीडिंग्स जो हैं, उनके लिये, अन्डर रूल्स, हम को भेजनी पड़ती हैं। जो रियासत हुसैन साहब ने कहा और जो फ़ाइल में है, हमने एक्जामिनर लोकल फ़ंड एकाउन्टस को भेजा है। उनको २ रिमाइन्डर भी दिये जा चुके हैं एक २७ फ़रवरी और दूसरा ८ मार्च, १९६९ को कि वे इस मामले की जांच करके भेज दें। तो यह उनके यहां इस वक्त जांच में है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

संविद सरकार के जमाने में ३४ हजार रुपया इसलिये मंजूर किया गया था कि इस म्युनिसिपल बोर्ड के ३ साल का स्पेशल आडिट हो परन्तु इस कांग्रेस सरकार ने आज तक इसका स्पेशल आडिट क्यों नहीं कराया ?

श्री अतीकुर्रहमान—

हमारे यहां से पूरे मामले पर इलाहाबाद लोकल फ़ंड एकाउन्टस को लिखा गया था उस पर खतोकिताबत हो रही है। अब केवल २ मामलों के लिये वाटर वर्क्स और नजूल लैण्ड के बारे में स्पेशल आडिट हो रहा है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

३६,००० रुपये का अनुदान स्पेशल आडिट के खर्चे के सिलसिले में मंजूर हुआ था कि कम से कम सीजन सीजन ३ साल का स्पेशल आडिट हो जाय। चेयरमैन ने अपने बजट में प्राविजन किया था और बजट की प्रतिलिपि यहां पर आयी लेकिन आज तक स्पेशल आडिट नहीं हुआ ? मैंने कई बार लिखा। पहले तो मैं सदस्य भी नहीं था अब तो मैं सदस्य भी हो गया हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्पेशल आडिट के आर्डर्स हो गये थे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

पिछले आदेशों के बारे में जो कह रहे हैं, आपके जमाने के, उनके बारे में मेरे पास सूचना नहीं है कि कब आदेश हुए ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जब स्पेशल आडिट के आदेश डेढ़ वर्ष पूर्व हो चुके थे तो स्पेशल आडिट न होने का क्या कारण है और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

बाकया यह है कि डेढ़ साल पहले आर्डर हुआ था और जैसा कि असरार अहमद साहब कहते हैं कि यकीनन आर्डर कैरी आउट नहीं हुआ तो जवाब तलब किया जायगा और कि आर्डरी कैरी आउट क्यों नहीं हुआ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो बातें यहां की गयी हैं उनसे स्पष्ट है कि सचिवालय के लोग भी गवर्नमेंट लेविल पर इस बात से संतुष्ट थे कि उनके खिलाफ़ चार्ज शीट होनी चाहिये और सरकार सेटिसफ़ाई थी कि उनको मेम्बरी से हटा दिया जाय तो क्या अब माननीय मंत्री जी उनको रिमूव करने के लिये जांच कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मैंने कहा कि एग्जामिनर के यहां यह मामला है और अगर यह बात साबित हो जाती है कि उनके खिलाफ मामला है तो उनके खिलाफ़ कार्यवाही अवश्य की जायगी।

श्री रियासत हुसैन—

जब एक दफ़ा श्री शब्बीर हसन के मामले में कमिश्नर साहब ने रिकमेंड कर दिया कि बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय और उनके रिमूवल के आर्डर दे दिये तो फ़िर दुबारा इंक्वायरी कराने की और उस पर रिपोर्ट मंगाने की क्या आवश्यकता है ? पहले आर्डर के आधार पर ही सुपरसेशन क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सुपरसेशन का जहां तक सम्बन्ध है इसमें बिलकुल मामला क्लीयर है कि रिपोर्ट मंगाई जायगी । ६ महीने के अन्दर रिपोर्ट आ जायगी और रिपोर्ट अगर कमिश्नर की यह होगी कि सुपरसेशन होना चाहिये तो जरूर उस पर विचार किया जायगा ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या यह सही है कि संविद सरकार के जमाने में एक मंत्री महोदय ने इस नगरपालिका के मामले में नाजायज तौर से हस्तक्षेप करना चाहा था ?

(मंत्री महोदय को उत्तर को लिये नहीं बुलाया गया ।)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

नगरपालिका की कम्पोस्ट का ठेका लेने की शिकायत क्या शब्बीर हसन साहब के खिलाफ़ है कि उन्होंने इसे अपने नाम से लिया था और ऐसा करना उस सदस्य को नगरपालिका की सदस्यता के अयोग्य साबित करता है म्युनिसिपल बाईलाज के मुताबिक, तो क्या सरकार इस पर पुनः विचार करके उनको सदस्यता के लिये अयोग्य साबित करने की घोषणा करेगी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जहां तक कम्पोस्ट का प्रश्न है यह बात सिद्ध होनी चाहिये कि वह जो ठेका है उन्होंने अपने लिये लिया था और एक दूसरे शख्स के नाम से लिया था । अगर यह बात सिद्ध हो जायगी तो यकीनन उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री रियासत हुसैन—

कम्पोस्ट की खाद का जहां तक प्रश्न है उसकी जांच परगनाधीश और कमिश्नर कर चुके हैं और यह वह बेनामी ट्रान्जेक्शन नहीं है । फ़ाइल में स्लिप मौजूद है कि इतनी खाद भेज दी जाय और खाद वहां गयी और उसका पेमेंट रफ़ीक लोदी जो वहां पर क्लर्क था उसके नाम से हुआ है ? दूसरे जो यह वार्निंग दी गयी कि बोर्ड सुपरसीड न किया जाय क्योंकि शब्बीर हसन साहब चेयरमैन नहीं रहे और कमर अहमद नकवी साहब हो गये थे तो अब तो फ़िर शब्बीर हसन साहब चेयरमैन हो गये और फ़िर वही बातें रिन्यु हो गयीं तो क्या माननीय मंत्री खाद के मामले में जांच करेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

खाद वाला मसला जैसा आप कहते हैं कि जांच हो चुकी है और खत्म हो चुकी हमारी जानकारी में ऐसी बात नहीं है । जहां तक दूसरे मसले का ताल्लुक है आप तो एक पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं कि चूंकि शब्बीर हसन साहब नहीं रहे नकवी साहब हो गये लिहाजा आर्डर्स चेन्ज हो गये, तो कम से कम गवर्नमेंट ने तो पर्सनालिटी की बात कंसीडर नहीं की । वह तो नकवी साहब ने लिखा कि हमने सड़कें बनवायीं और दूसरे काम किये इसलिये गवर्नमेंट ने सोचा कि चूंकि इम्प्रूवमेंट हुआ लिहाजा बजाय सुपरसीड करने के पब्लिक के नुमायन्दों के हाथ में यह बोर्ड रहे तो ज्यादा अच्छा है ।

अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फ़िर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के १०–१ २ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
अगस्त, १९६९

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

प्रदेश की चीनी मिलों के बन्द होने की तिथि

क्र० सं०	नाम चीनी मिल	बन्द होने की तिथि
१	सिम्भौली	२७-५-६९
२	मोदी नगर	३-५-६९
३	मोहिउद्दीनपुर	२४-५-६९
४	मलियाना	२४-५-६९
५	दौराला	१४-५-६९
६	मवाना	८-५-६९
७	सखौतीटांडा	१२-५-६९
८	बागपत	२४-४-६९
९	बुलन्दशहर	१४-४-६९
१०	खतौली	२३-५-६९
११	रोहाना	२५-५-६९
१२	शामली	७-५-६९
१३	मनसूरपुर	१६-५-६९
१४	डोईवाला	२९-५-६९
१५	सहारनपुर	५-५-६९
१६	देवबन्द	२९-५-६९
१७	इकवालपुर	१२-५-६९
१८	सरसावा	९-५-६९
१९	लक्सर	९-५-६९
२०	हरगांव	२९-७-६९
२१	महोली	२९-७-६९
२२	बिसवां	२३-५-६९
२३	गोला	१२-७-६९
२४	ऐरा	२६-५-६९
२५	हरदोई	१-५-६९
२६	बरेली	२६-४-६९
२७	बहेड़ी	२६-५-६९
२८	बिजनौर	१३-५-६९
२९	धामपुर	२४-४-६९
३०	सिवहारा	२१-४-६९
३१	रामपुर	१-५-६९
३२	रोजा	१७-५-६९
३३	पीलीभीत	२१-५-६९
३४	मकोला	२९-४-६९
३५	अमरोहा	२९-४-६९
३६	बिलारी	२०-४-६९
३७	न्योली	१४-४-६९

क्रम सं०	ना। चीनी मिल	बन्द होने की तिथि
३८—काशीपुर	.. ..	२२–५–६९
३९—बाजपुर	.. ..	२५–५–६९
४०—मसौधा	.. ..	२०–४–६९
४१—बलरामपुर	.. ..	१८–५–६९
४२—तुलसीपुर	.. ..	२१–४–६९
४३—बभनान	.. ..	१६–६–६९
४४—नवाबगंज	.. ..	२५–५–६९
४५—जरवलरोड	.. ..	२०–४–६९
४६—बाराबंकी	.. ..	१४–४–६९
४७—बुढ़वल	.. ..	२४–४–६९
४८—शाहगंज	.. ..	३–४–६९
४९—बस्ती	.. ..	११–६–६९
५०—वाल्टरगंज	.. ..	२५–६–६९
५१—मुन्डेरवा	.. ..	१५–५–६९
५२—खलीलाबाद	.. ..	३०–४–६९
५३—पिपराईच	.. ..	३०–५–६९
५४—घुघली	.. ..	३१–५–६९
५५—सिसवाबाजार	.. .. ..	३०–५–६९
५६—आनन्दनगर	.. .. ..	२७–४–६९
५७—सरदारनगर	.. .. ..	१५–५–६९
५८—गौरीबाजार	.. .. ..	१३–५–६९
५९—बैतालपुर	.. ..	१६–५–६९
६०—देवरिया	.. ..	८–५–६९
६१—भटनी	.. ..	२२–३–६९
६२—परतापपुर	.. ..	२५–३–६९
६३—खड्डा	.. ..	९–५–६९
६४—छितौनी	.. ..	२५–४–६९
६५—कप्तानगंज	.. ..	१६–५–६९
६६—रामकोला (पी०)	.. .. ..	२४–४–६९
६७—रामकोला (के०)	.. .. ..	२३–४–६९
६८—लक्ष्मीगंज	.. ..	
६९—पडरौना	.. ..	१–५–६९
७०—कठकुईयां	.. ..	१३–५–६९
७१—सेवरही	.. ..	१२–५–६९

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५४ एल० ए०—१९६९–८७० ।